

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

19 मार्च, 1984

खण्ड 1, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 19 मार्च, 1984

| | पृष्ठ संख्या |
|---|-----------------|
| स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर | (5)1 |
| तारांकित प्र न एवं उत्तर | (5)52 |
| नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर | (5)66 |
| अतारांकित प्र न एवं उत्तर | (5)71 |
| विभिन्न विशयों का उठाया जाना | (5)76 |
| एम.एल.एज. होस्टल आदि में टेलिफोन/आवास सुविधाएं | (5)78 |
| विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ) | (5)80 |
| ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:— | |
| राज्य में ओलावृष्टि तथा भीत लहर से फसलों को हुई क्षति सम्बन्धी | (5)81 |
| वक्तव्य:— | |

| | |
|---|--------|
| मुख्य मंत्री द्वारा महेन्द्रगढ़, नारनौल तथा अटेली में पेय जल की समस्या सम्बन्धी | (5)84 |
| बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट | (5)93 |
| वाक आउट | (5)101 |
| बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट | (5)101 |
| राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) | (5)102 |
| वैयक्तिक स्पष्टीकरण:— | |
| 1. मुख्य मंत्री द्वारा | (5)116 |
| 2. शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा | (5)117 |
| राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) | (5)118 |
| वैयक्तिक स्पष्टीकरण:— | |
| 1. पालन राज्य मंत्री द्वारा | (5)132 |
| 2. मास्टर प्लान द्वारा | (5)134 |
| राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ) | (5)135 |

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 19 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,
सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 14 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार
तारा सिंह)

ने अध्यक्षता की।

स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।
चीफ मिनिस्टर साहब ने 15-3-1984 को स्टार्ड क्वै चन नम्बर
537, का जवाब आज देने के लिए कहा था। पहले वह सवाल पूछा
जायेगा।

Criminal cases in the State

***537. Prof. Sampat Singh, Sh. Mangal Sein:** Will
the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether any criminal cases have been withdrawn
by the Government during the period from July, 1979 to-date;
if so, the district wise number thereof; and

(b) the names and addresses of the persons involved together with the nature of crime in each such case pertaining to District of Hissar and Sirsa separately?

Chief Minister (Ch. Bhajan Lal):

(a)&(b): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes. 174 criminal cases have been withdrawn from Courts since 1-7-1979 to 29-1-1984. The district-wise break up is under:-

| District | 1-7-79 to 31-12-79 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1-1-84 to 29-2-84 | Total |
|-------------|--------------------|------|------|------|------|-------------------|-------|
| Hissar | 5 | 16 | 14 | 7 | 9 | 2 | 53 |
| Sirsa | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 2 | 36 |
| narnaul | | | 4 | 4 | 3 | | 11 |
| Bhiwani | 9 | 3 | 4 | 4 | | | 20 |
| Ambala | | | 2 | 1 | 2 | | 5 |
| Kurukshetra | 2 | | 5 | 1 | | | 8 |
| Karnal | 1 | 5 | | 1 | | | 7 |

| | | | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|----|---|-----|
| Jind | 2 | | | | | | 2 |
| Gurgaon | | | | 3 | 1 | | 4 |
| Faridabad | | | 1 | 8 | 6 | | 15 |
| Sonepat | | | | | | 1 | 1 |
| Rohtak | | 6 | 2 | 3 | 1 | | 12 |
| Total | 29 | 42 | 34 | 37 | 27 | 5 | 174 |

(b) The name and addresses of the persons involved together with the nature of crime in each case pertaining to Districts of Hissar and Sirsa is given below:-

District Hissar

| Date of withdrawal from court | Nature of Crime | Name, parentage and address of accused |
|-------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 13.7.79 | FIR NO. 515 dt. 4-8-78 u/s 148/149/323/34 IPC PS City Hissar | 1. Nathu Ram s/o Har Lal Sunar r/o Bhara PS Siwani Distt. Bhiwani at present Jindal Industries Hissar. 2. Gandhi s/o Ram |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Nath Pandey r/o Asswalpur PS Phulpur distt. Varansi at present Jindal IND. Hissar.</p> <p>3. Jagdeep Bhagat s/o Kanshi r/o Vishrampur PS Bharwa distt. Siwan (Bihar) at present Jindal Ind. Hissar</p> <p>4. Ram Bilas s/o Hans Raj caste Regar r/o Bhimra PS Kodh pur distt. Sultanpur at present Jindal Ind. Hissar.</p> <p>5. Shanker Shal s/o Sukari caste Mahajan r/o Sadikan distt. Dewaria at present Jindal Ind. Hissar.</p> <p>6. Kanchan Parshad s/o Raghu nath caste Malah</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>r/o Alka talania Toal PS Notam distt. Moti Hari Bihar now Jindal Ind. Hissar.</p> <p>7. Komal s/o Bakaru Kumhar r/o Adfampur PS Jahangiri distt. Konabad present Jindal Ind. Hissar.</p> <p>8. Ram Raj s/o Bhagwatidin caste Kurimi r/o nayalpuri PS Sujanganj distt. Jaunpur U.P. presents Jindal Ind. Hissar.</p> <p>9. Shiv Murat s/o Ram Lakhan Nai r/o Devra Ram Nagar PS bhal distt. Gorakhpur U.P. presents Jindal Ind. Hissar.</p> <p>10. Ram Balak s/o Bal Parshad caste</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Lahri Bhagat r/o Malupur distt. Diwan U.P. present Jindal Ind. Hissar.</p> <p>11. Dev Parshad s/o Bhagawat Parshad Nai r/o Maurajapur PS Muradabad distt. rai Bareli U.P. Jindal Ind. Hissar.</p> <p>12. Ved Nath s/o Tisa Ram caste Ram wasi Sulpur (Bihar) present Jindal Ind. Hissar.</p> <p>13. Mahajan Parshad s/o Ram Dhan Munia r/o Sarob Thana distt. Kiwan present Jindal Ind. Hissar.</p> <p>14. Sita Ram s/o Virobhi Kunami r/o Batalpur PS Phulpura Distt. Varanasi U.P. present Jindal Ind.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|---|---|
| | | <p>Hissar.</p> <p>15. Lakhi Ram s/o jai Pal caste Midaru PS Dahegpur distt. Plakha Bad (U.P.)</p> <p>16. Ramdhari s/o Ram Bachi caste Gawala r/o Khajar pur PS Maharjgang (U.P.)</p> <p>17. Chhote Lal s/o Swami Bnand r/o Qhadwal Kalan PS Rami Ganj Distt. Partapgarh (U.P.)</p> <p>18. mahadev s/o Badeshwar r/o Masalpur distt. Habra (West Bengal)</p> |
| 2. 12.7.79 | FIR NO. 217 dt. 21.3.78 u/s 147/148/149/323/341/447 IPC P.S. City Hissar. | <p>1. Partap Singh s/o Rattan Singh caste Rajput r/o plot No. 92 Bir Hissar.</p> <p>2. Ram Kishan s/o</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Bhag Chand caste Jat r/o Bhatla P.S. Sadar Hansi.</p> <p>3. Bani Singh s/o Karam Chandcaste Nai r/o Vinod Nagar Hissar.</p> <p>4. Prem Chand s/o Kanya Lal r/o r/o Vinod Nagar Hissar.</p> <p>5. Babu lal s/o Chander Nath caste Jogi r/o B.M. colony No. 26 Hissar.</p> <p>6. Yashwant Singh s/o Badan Singh Rajput r/o B.M. colony No. 26, Hissar</p> <p>7. Mahesh Babu s/o Ram Sandri Nai r/o Vinod Nagar, Hissar.</p> <p>8. rajpal s/o Mulak Singh</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|--|--|
| | | <p>Rajput H.N. 129 HTM Hissar.</p> <p>9. Jai Bhagwan s/o Murari Lal Brahman r/o HTM Hissar.</p> <p>10. Satish s/o Om parkash Jogi r/o Vinod nagar Hissar</p> <p>11. Ramesh Chander s/o Satnarioan Brahman r/o Shiv Nagar Hissar</p> <p>12. Baru Ram s/o Pirthvi Jat r/o Jauglan P.S. Ganga Nagar (Rajasthan)</p> <p>13. Shiv Narian s/o Harchand Ram Brahman r/o Dilli Jata P.S. Ganga Nagar (Rajasthan)</p> |
| 3. 13.7.79 | FIR NO. 773 dated 11-11-78 u/s 448/148/149/506/379/427 | 1. Pirthivi Pal s/o Onkar Nath Yadav |

| | | |
|---------------|--|--|
| | IPC, P.S. City Hissar. | <p>r/o Sat rod Khurd.</p> <p>2. Budh Nath s/o Ram Avtar Luhar r/o Firoji Hal Satrod Khurd.</p> <p>3. Darbari s/o Ram Karan r/o Ganeshi Sat rod Khurd.</p> <p>4. Ram Dhari s/o Khunashul r/o Sali pur Sat rod Khurd.</p> <p>5. Tek Chnad s/o Brij Lal Gupta r/o Nagori gate Hissar.</p> |
| 4. 19.7.79 | FIR NO. 611 dt. 1-9-78 u/s 307/148/149/506 IPC, P.S. cioty Hissar. | <p>1. Ram Niwas s/o Sheokarn r/o Jindal Colony Hissar</p> <p>2. Shakti Singh s/o sanwal Singh r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>3. Chander Palm s/o Ram Chander</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>4. Ashok s/o badri Narian r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>5. Lachhman s/o Jagmal r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>6. Dalip Singh s/o Nawal Singh r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>7. Mahabir Singh r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>8. Sanwal s/o Brij Lal r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>9. Puran s/o Attar Singh r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>10. Purshotam s/o r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>11. Ishwar s/o Kishori r/o Jindal</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | Colony, Hissar. 12. Mohan s/o Bhagwana Ram r/o Jindal Colony, Hissar. 13. Bilbagh s/o Manphul Singh r/o Jindal Colony, Hissar. 14. darshan s/o Parma Nand r/o Jindal Colony, Hissar. 15. Siri Ram s/o Bhujang r/o Jindal Colony, Hissar. 16. Subash s/o Parbhu Dyal r/o Jindal Colony, Hissar. 17. Subash s/o Mam Chand r/o Jindal Colony, Hissar. Kishori s/o Jai Narian r/o Jindal |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Colony, Hissar.</p> <p>19. Sat Pal s/o Nand lal r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>20. Yogeshwar s/o Suraj Pathak r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>21. Kamal Kumar s/o Gian Chnad r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>22. Bishan Kumar s/o Tirlok Chand r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>23. Trilok s/o Badhawa ram r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>24. Subash s/o Ram sarup r/o Jindal Colony, Hissar.</p> <p>25. Subh Ram s/o Shadi Ram Jat r/o</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|---|---|
| | | Jindal Colony, Hissar. 26. Ranbir s/o Mangal Singh r/o Jindal Colony, Hissar. |
| 5. 30.10.79 | FIR NO. 408 dt. 14.6.78 u/s 420 IPC & 7 E.C. Act. P.S. City Hissar. | 1. Mohinder Kumar Gupta s/o Hari ram r/o Mohindra Chemist Industry Hissar. |
| 6. 15.2.80 | Fir No. dt. 21.12.78 u/s 452/427/138/186/IPC, P.S. City Hissar. | 1. Amar Singh Ex. M.L.A 2. Dalbir Singh Ex. M.P. Hissar 3. Harp[al singh Ex. Minister Haryana 4. Joginder Singh Ex. M.L.A. 5 . Mani Ram Ex. M.P. 6. Ram Narian Lohia Adviacete Hissar. |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| <p>7. 27.2.80</p> | <p>Fir No. 889 dt. 28.12.78 u/s 452/147/427 IPC, P.S. City Hissar</p> | <p>1. Ram Gopal Advocate s/o Mukh Ram Bishnoi r/o Fatehabad.</p> <p>2. D.C. Ahuja s/o Dev Raj Ahuja r/o City Hissar.</p> <p>3. Vinit Kumar s/o Bijay Chand r/o City Hissar.</p> <p>4. Jagdish Maan Advocate President Youth Congress Hissar</p> <p>5. Ishwar Singh s/o Nihal Singh r/o nauli Kalan P.S. Sadar Hissar</p> <p>6. Balwant Singh Goel s/o Suraj Mal Hissar</p> <p>7. Pawan Kumar s/o Banwari Lal Mahajan r/o city Hissar.</p> <p>8. Rattan singh</p> |
|-----------------------|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>s/o Manhor la r/o City Hissar</p> <p>9. Ajit Singh Advocate s/o Nana Ram Jat r/o Hansi.</p> <p>10. Gordhan dass Ex. Minister Haryana Block now at Hissar.</p> <p>11. Inder Singh s/o Chandu lal Jat r/o Hassangarh P.S. Barwala</p> <p>12. Raj Kumar s/o Dev Karan Advocate r/o Hansi</p> <p>13. Ishwar Singh s/o sahi ram Advocate City Hissar</p> <p>14. Shiv Kumar Goel Advocate Secretary Youth Congress Hissar.</p> <p>15. Ved parkash</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>sharma s/o Laxmi Narian r/o Mohall Ram pura city hissar.</p> <p>16. Hari Singh s/o basu Ex. sarpanch Sisai.</p> <p>17. Ajay Lumar s/o Mani Ram Bishnoi r/o Double Fatak city Hissar.</p> <p>18. Dharam Pal s/o Dewan Singh r/o Hansi.</p> <p>19. Narender Kumar s/*o Nand Lal Kishore Mahajan r/o Tri murti Bazar Hissar.</p> <p>20. Ramesh Chnader s/o nand Lal Chopra r/o Rehri Mazdoor Union Hissar.</p> <p>21. Suraj Bhan Advocate s/o</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>Ranjit Singh r/o City Hissar.</p> <p>22. Pirthvi Singh s/o ram Singh Bishnoi r/o Khazuri P.S. Bhuna.</p> |
| 8. 27.2.80 | Fir NOI. 904 dt. 24.12.78 u/s 506/147/1487 IPC, P.S. City Hissar. | <p>1. Gurmeet Singh s/o Harpal Singh r/o Tohana.</p> <p>2. Raj Kumar s/o Budh ram r/o Jakhal.</p> <p>3. Rajinder Pal Singh s/o Bakshi Singh r/o Tohana.</p> <p>4. Rajinder Kumnar s/o Atma Ram r/o Tohana.</p> <p>5. Sant Lal s/o Kanya Lal r/o Tohana.</p> <p>6. Ashok Kumar s/o Ram Saran Dass r/o Tohana.</p> <p>7. Ashok Kumar</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>s/o Budh raj r/o Tohana.</p> <p>8 Mohinder Singh s/o Bhartu r/o Tohana.</p> <p>9. Sohan ram s/o Neeku Ram r/o Tohana.</p> <p>10. Gobind s/o Niranjn Lal r/o Tohana.</p> <p>11. Jagdish s/o asha Ram r/o Tohana.</p> <p>12. Mahabir Parshad s/o Balraj r/o Tohana.</p> <p>13. Maohinder Singh s/o Balwant Singh r/o Tohana.</p> <p>14. Jagir Singh s/o Ujaggar Singh r/o Tohana.</p> <p>15. Dharam Pal s/o Dheru Lal r/o</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Tohana.</p> <p>16. Gopi Chnad s/o Tilak Ram r/o Tohana.</p> <p>17. Dyal Singh s/o Lahan Singh r/o Tohana.</p> <p>18. Pirthvi Raj s/o Telu ram r/o Tohana.</p> <p>19. Net ram s/o Ganga Ram r/o Laharia.</p> <p>20. Banwari Lal s/o Kundan Lal r/o Tohana.</p> <p>21. Sadhu Ram s/o Megha Ram r/o Tohana.</p> <p>22. Atma Singh s/o Gurbaksh Singh r/o Tohana.</p> <p>23. Kartar Singh s/o Sant Ram r/o Tohana.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>24. Jaggi s/o Nokha Singh r/o Tohana.</p> <p>25. Jagge Ram s/o Ronak Ram r/o Tohana.</p> <p>26. Suraj Ram s/o Yayadar r/o Jakhal Mandi.</p> <p>27. Sarmul Singh s/o Gurbachan Singh r/o Tohana.</p> <p>28. Bachna s/o Santu r/o Tohana.</p> <p>29. Gian Chnad s/o Gurdita r/o Tohana.</p> <p>30. Om Parkash s/o Balkishan r/o Tohana.</p> <p>31. Rishi kesh s/o Karta Ram r/o Tohana.</p> <p>32. Prem Kumar s/o Laghu Ram r/o</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Tohana.</p> <p>33. Bhup Singh s/o Marju Singh r/o Tohana.</p> <p>34. Karnail s/o baishakhi r/o Tohana.</p> <p>35. Baldev s/o Dholu r/o Kanwari.</p> <p>36. Beer Singh s/o Om Parkash r/o Tohana</p> <p>37. Lal Singh s/o Bagga Singh r/o Kanwari.</p> <p>38. Kanshi Ram s/o Mangal Ram r/o Tohana.</p> <p>39. Kappor Chnad s/o Ram Piyara r/o Tohana.</p> <p>41 Dewan Chnad s/o Nika Ram r/o Tohana.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>42. Rajinder Kumar s/o Telu Ram r/o Tohana.</p> <p>43. Rajesh Kumar s/o Budh Ram r/o Tohana.</p> <p>44. Ram Ditta s/o Gopi Ram r/o Fatehabad.</p> <p>45. Dogar Chnad s/o Kanhya Ram r/o Fatehabad</p> <p>46. Kishan Chnad s/o Hari Chnad r/o Fatehabad.</p> <p>47. Kishan Chnad s/o Mangla Ram r/o Fatehabad.</p> <p>48. Feroz s/o Fagan r/o Fatehabad.</p> <p>49. Nami Ram s/o Bishna Dass r/o Fatehabad.</p> <p>50. Hari Ram s/o Jandha Ram r/o</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---------------|--|--|
| | | <p>Fatehabad</p> <p>51. Dholu Ram s/o Sohan Lal r/o Baropal.</p> <p>52. Shanker Lal s/o Roopa Ram r/o Baropal.</p> |
| 9. 27.2.80 | FIR NO. 909 dt. 25.12.78 u/s147/148/506 IPC, P.C. City Hissar. | <p>1. Ghanshyam s/o Hem raj Sain r/o Tohana.</p> <p>2.Kishori Lal s/o Jagan Nath Tandom r/o Hissar.</p> <p>3. Raghbir Singh s/o Lal Singh Harijan r/o Samain P.S. Tohana.</p> <p>4. Mahabir s/o Jiya Ram Jat r/o Hissar.</p> <p>5. Balbir singh s/o Neki Ram r/o Samain P.S. Tohana.</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | <p>6. Mulkh Raj s/o Nihal Chnad Arora r/o Hissar.</p> <p>7. Santokha s/o sheo Ram Harijan r/o Samain P.S. Tohana</p> <p>9. Sardari Lal s/o Sodagar Mal Khatri r/o Hissar.</p> |
| 10. 27.2.80 | FIR No. 311 dt. 25.12.78 u/s 147/148/506 IPC, P.S. City Hissar | <p>1. Sohan Lal s/o Harbhaj Bishnoi r/o Ratta Khera P.S. Rattia.</p> <p>2. Mokh Ram s/o Kalu Ram Bishnoi r/o Ratta Khera P.S. Rattia</p> <p>3. Ram Dhan s/o Ramji Bishnoi r/o Ratta Khera P.S. Ratia.</p> <p>4. Mohar Singh s/o Sanwal Bishnoi r/o Ratta Khera P.S. Ratia</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>5. Har Chnad s/o Moti ram Bishnoi r/o ratta Khera P.S. Ratia</p> <p>6. Chnad Ram s/o Har Lal Bishnoi r/o Neemri</p> <p>7. Makhan Ram s/o Pat Ram Bishnoi r/o Neemri</p> <p>8. Ballu Ram s/o Sheo Narian Jat r/o Neemari.</p> <p>9. Bhgau Ram s/o Dulla Ram Harijan r/o Haroli.</p> <p>10. Kashu Ram s/o Umara Ram Harijan r/o Haroli</p> <p>11. Gulzari s/o Sabha Ram Harijan r/o Haroli.</p> <p>12. Makhan Ram s/o Arjun Arora r/o Haroli.</p> <p>13. Laghu Ram s/o</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Binja Ram Bishnoi r/o Dadupur.</p> <p>14. Shanker Dass s/o Hariji Ram Bishnoi r/o Dadupur</p> <p>15. Bhoop Singh s/o Boga Ram r/o Dadupur</p> <p>16. Surja Ram s/o Mam Raj r/o Dadupur</p> <p>17. Manphool s/o Teja Ram Sunar r/o Dadupur</p> <p>18. Kanshi Ram s/o Malluu Ram Bishnoi r/o Dadupur</p> <p>19. Jagir Singh s/o Mehar Singh Jat Sikh r/o Dhani Dadupur</p> <p>20. Joginder Singh s/o Uttam Singh Jat Sikh r/o</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Dhani Dadupur.</p> <p>21. Teja Singh s/o Gajan Singh r/o Dhani Dadupur</p> <p>22. Gurlal Singh s/o Nand Singh Harijan r/o Dhani Dadupur</p> <p>23. Joginder Singh s/o Harnam singh Jat Sikh r/o Hamjapur.</p> <p>24. Hari Singh s/o Tara Singh r/o Hamjapur.</p> <p>25. Ram Chnad s/o Mona Ram Kamboj r/o Lali.</p> <p>26. Hardyal s/o Jagat Ram Arora r/o Ratia.</p> <p>27. Ranjit Singh s/o Mehar Singh r/o Ratia.</p> <p>28. Sita Ram s/o Chet Ram Sunar</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---------------|---|---|
| | | <p>r/o Ratia.</p> <p>29. Ram Lal s/o Milkhi Ram r/o Ratia.</p> <p>30. Chnader Mohan s/o Jiwan Dass Arora r/o Ratia.</p> <p>31. Chunni Lal s/o Balu Ram Arora r/o Ratia.</p> |
| 11. 4.3.80 | FIR No. 910 dt. 25.12.78 u/s 147/148/506 IC, P.S. City Hissar | <p>1. Jai Kishan s/o Khana Ram Bishnoi r/o Kalwas P.S. Sdr. Hissar</p> <p>2. On Parkash s/o Ganpat Bishnoi r/o Brij Bhnagu P.S. Bara Guda.</p> <p>3. Ram Kumar s/o Kalu Ram Bishnoi r/o Kalwas P.S. Sadr. Hissar.</p> <p>4. Mani Ram s/o Shiv ram Bishnoi r/o Kalwas P.S.</p> |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | <p>Sadr. Hissar</p> <p>5. Hawa Singh s/o Ram Sarup Jat r/o Dhana Dass P.S. Badra Distt., Bhiwani.</p> <p>6. Rajbior Singh s/o Amar Singh Jat r/o Dalawas P.S. Badra Distt. Bhiwani.</p> |
| 12.4.3.80 | FIR No. 914 dt. 26.12.78 u/s 147/148/506 IC, P.S. City Hissar | <p>1. Bhgwan Dass s/o Peda Ram Bharia r/o Umra Gate Hansi.</p> <p>2. Chiranji Lal s/o Kali Dass Mahajan r/o Jakhal.</p> <p>3. Vasudev s/o Lagga Ram Arora r/o Barwala.</p> <p>4. Dhanna Ram s/o Sultan Singh Jat r/o Bhara Kheri</p> <p>5. Deewan Singh</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>s/o Mam Chnad Jat r/o Shyam Sukh.</p> <p>6. Gurbakash Singh s/o Kaniya Singh Jat r/o Barwala.</p> <p>7. Uday Vir Singh s/o Pehlad Singh r/o Barmusu.</p> <p>8. Bhari Lal s/o Ram Dhan Saini r/o hissar.</p> <p>9. Mahavir s/o Gopi Ram Gijjar r/o hissar.</p> <p>10. Mohinder Singh s/o Net Ram Jat Dhand.</p> <p>11. Deewan Singh s/o Gisha Ram Gujjar r/o Kumharia</p> <p>12. Risal Singh s/o Mani Ram Bishnoi r/o Fatehabad.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---------------|---|--|
| | | <p>13. Ram Singh s/o Ghanshyam Dass Arora r/o Umra Gate Hansi.</p> <p>14. Chnader Parkash s/o Bhagat Singh Jat r/o Hansi.</p> <p>15. Ram Kumar s/o Raja Ram r/o Fatehabad.</p> |
| 13. 4.3.80 | FIR No. 916 dt. 26.12.78 u/s 147/148/506 IC, P.S. City Hissar | <p>1. Harbans Singh s/o ram Sing Jat Sikh r/o Ankawali</p> <p>2. Molu Ram s/o Angru ram Jat r/o Dhabbi Kalan.</p> <p>3. Kaulu Ram s/o Ram Prakash Bishnoi r/o Chamarwal.</p> <p>4. Thakur Dass s/o Hem Ram Arora r/o Tohana.</p> <p>5. Ram Chnader s/o Ram sarup</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| | | <p>Arora r/o Tohana.</p> <p>6. Mange Ram s/o Rishi Ram harijan r/o Basti</p> <p>7. Deewan Chnad s/o Mahiya Ram Arora r/o Tohana.</p> <p>8. Murli Dhar s/o Bhagwan Dass Arora. r/o Tohana.</p> |
| 14. 11.3.80 | FIR No. 893 dt. 21.12.78 u/s 147/148/506 IC, P.S. City Hissar | <p>1. Mani Ram s/o saman ram Jat r/o Kharar.</p> <p>2. Kulwant Singh s/o Nek Ram Jat r/o Vity Hissar.</p> <p>3. Partap Singh s/o Chaman Lal Arora r/o City Hissar.</p> <p>4. Satpal s/o Partap Singh r/o City Hissar.</p> <p>5. Hawa singh s/o Ram Jas Bishnoi</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>r/o City Hissar.</p> <p>6. Ram Kumar S/o Man Singh Brahman r/o City Hissar.</p> <p>7. Murari s/o Kura Ram Harijan r/o City Hissar.</p> <p>8. Gopi Ram s/o Raja Ram Verma r/o City Hissar.</p> <p>9. Bhim Singh s/o Raja ram Chohan r/o City Hissar.</p> <p>10. Madan Singh s/o Roop Singh r/o City Hissar.</p> <p>11. Piyare lal s/o Kanshi Ram Brahman r/o City Hissar.</p> <p>12. Ram Ditta s/o pkar dass r/o City Hissar.</p> <p>13. Partap Singh s/o Chnadgi ram</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Jat r/o Hoshiarpur.</p> <p>14. Ram Kumar s/o Sohan Lal Bishnoi r/o Siswal.</p> <p>15. Narinder Nath s/o Ram Ditta r/o tahapari.</p> <p>16. Trilok Chnad s/o Shnaker Lal Verma r/o Adampur.</p> <p>17. Krishan Lal s/o Birbal Dass Brhman r/o City Hissar.</p> <p>18. Banwari s/o Bhalu Ram r/o Khumbae Khera.</p> <p>19. Ram Singh s/o matu ram Jat r/o Petwar.</p> <p>20. Sajjan Singh s/o Hameer Chnad r/o Petwar.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>21. Mam Chnad s/o Jai Ram Jat r/o Petwar.</p> <p>22. Ram Kumar s/o Bhola Ram Jat r/o Hissar.</p> <p>23. Om Parkash s/o Har Chnad Chawla r/o City Hissar.</p> <p>24. Partap Singh s/o Ranjit Jat r/o Petwar.</p> <p>25. Mchar Chnad s/o Amar Chnad Jat r/o Petwar.</p> <p>26. Rattan Singh s/o Beeru Ram Jat r/o petwar.</p> <p>27. Gulab Singh s/o Tara Singh r/o Petwar.</p> <p>28. Banda Singh s/o risal Singh Jat r/o Petwar.</p> <p>29. Pirthvi Singh</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>s/o Shayami Ram r/o Petwar.</p> <p>30. nafe Singh s/o Deewan Singh r/o Petwar.</p> <p>31. Tek Ram s/o Sugaru Balmiki r/o Petwar.</p> <p>32. Mam Chand s/o Shyami ram Harijan r/o Petwar.</p> <p>33. mange Ram s/o Kundan Harijan r/o Petwar.</p> <p>34. Phool s/o baniyari Brahaman r/o Petwar.</p> <p>35. Chnadgi Ram s/o Pyari Harijan r/o Petwar.</p> <p>36. Banwari Lal s/o Chhattar Singh r/o Petwar.</p> <p>37. Lilu Ram s/o</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---------|---|--|
| | | <p>Kanshi Ram r/o Petwar.</p> <p>38. Chhattar Dass s/o Bhai Dass r/o Petwar.</p> <p>39. Bhani s/o Kalia r/o Petwar.</p> <p>40. Sahi Ram s/o Jathu Ram Bishnoi r/o Petwar.</p> <p>41. Bhim singh s/o Gkal Chnad r/o Petwar.</p> |
| 15.7.80 | Fir No. 177 dt. 4.7.80 u/s 188 IPC, PS City Hansi | <p>1. Krishan Bhagwan s/o Kamleshwar Lal caste God r/o Tali PS Mohtani distt. Bihar.</p> <p>2. Mahatama s/o Mohar Lal Malha r/o Chakraret PS Birakat distt. Zonepur UP.</p> <p>3. Baru Ram s/o Chnadgi Ram</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Harijan r/o Barora PS Barora distt. Sonepat.</p> <p>4. Ashok Kumar s/o Ram Diya Arora Roop Nagar Colony Hansi.</p> <p>5. Lali s/o Hamin Miya Musaliman r/o Sirka Rao PS Maharaj Ganj distt. Siwan (Bihar).</p> <p>6. Ram Parshad s/o Ram Ashray Yadav r/o Manetapur PS Bilcharai BastiUp.</p> <p>7. Jagdish s/o Gori Ram Talli r/o Loharia PS Dhanakara Basti Up.</p> <p>8. mehant Parshad s/o Rama Nand Kumhar r/o Batroli PS</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Dhankara Deveria UP.</p> <p>9. Ferru s/o Murat Harijan r/o Dhuni PS Angra distt. Basti.</p> <p>10. Hari Ram s/o Mittu Harijan r/o Bihar PS Bakhir Distt. Basti</p> <p>11. Jai Narian s/o Sher Singh r/o Khera PS Baroda distt. Sonepat.</p> <p>12. Surjeet Singh s/o Dhan Singh Chamar r/o Mehnda PS Sdr. Hansi.</p> <p>13. Chnadgi Ram s/o Prabhati Harijan Baakari PS Bawal distt. M/Garh.</p> <p>14. Ram Rattan s/o Napat Bhagat Kosli PS Siwan</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>distt. Siwan (Bihar)</p> <p>15. Budh Nath s/o Dahir God r/o Manpur PS Bankata Bohre dist. Siwan (Bihar).</p> <p>16. Budh Ram s/o Manki Chamar r/o Hariya PS Mandawal distt. Basti U.P.</p> <p>17. Krishan Nand Lal Paswan V. Mahahar PS Saliabad Distt. Gorkhpur U.P.</p> <p>18. Ram Dhani s/o Devi Karan Telli r/o Thikara PS Ball distt. Gorakhpur U.P.</p> <p>19. feru s/o Tufani Yadav r/o Barwa PS Rampur distt. Dewaria U.P.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>20. Rama Pati s/o Sarwant Kori vill. Lohri PS Katia distt. Gopal Ganj Bihar.</p> <p>21. Ram Kishan s/o Smt. Kim Jagarsawal r/o Katholia distt. basti U.P.</p> <p>22. Shanker s/o Ram Piara Yadav V. Pansal PS Raghuna Pura distt. Siwan.</p> <p>23. Basant parshad s/o Gikev Parshad Harijan r/o Simara PS Bara distt. Devria.</p> <p>24. Kishwant s/o Tameshwar Pandit r/o Thumari distt. Gorkhpur U.P.</p> <p>25. Rambir s/o Ram Chnader Jat r/o Hazampur PS</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Naul distt. Mathura.</p> <p>26. Partap Singh s/o Hardwari Kumhar r/o Dhnai Khan Bahadur PS Barwala.</p> <p>27. Ram Lal s/o Ram Raj Ahir r/o Khatia PS Jiwanpur Distt. Ajampur U.P.</p> <p>28. Antu Ram s/o mahesh ram Jeswar r/o Hariharpr PS Chandwas distt. Zonepur U.P.</p> <p>29. Radhey Sham s/o Mani Lal Malla r/o Buaiwanpur PS Karara distt. Gazipur U.P.</p> <p>30. Inder Dev s/o Ram Kishan Kalheri r/o lakhnur PS</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Memampur distt. Madhubani Bihar.</p> <p>31. Khusi Lal s/o Mahavir Kalheri r/o Lakhanpur PS Memampur distt. Madhubani Bihar.</p> <p>32. Satbir s/o Ram Chnad Bairagi r/o Siwata PS Baroda distt. Sonapat.</p> <p>33. Ramesh Kumar s/o hjari Chnad Siswala r/o Telewal P.S. Mnai Gandhi distt. Darban Bihar.</p> <p>34. Chuni /o Indu Jaswal r/o Bishwa P.S. Khaman distt. Zonepur U.P.</p> <p>35. Dalsigar s/o Beta Ram Jaswal r/o Did Khora P.S. Khuman distt. Zonepur.</p> <p>36. Banarsi Dass</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>s/o Kachen Jaswal r/o Dikhora PS Khuran Distt. Zonepur U.P.</p> <p>37. Mujar s/o Khuli Jaswal r/o Lakimpur PS Khamirpur distt. Ajampur U.P.</p> <p>38. Basheshar Lal s/o Ram sarup Brahman r/o Sinat PS Buwani Khera Distt. Bhiwani.</p> <p>39. Gorakh Parshad s/o Shiv Parshad Mallah r/o Shamsisidanpur PS Silagang Ghamra Bihar.</p> <p>40. Udavir s/o Narian Singh Gadia r/o Giloli Kalan Ps Sikandra distt. Aligarh U.P.</p> <p>41. Pm Parkash</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>s/o Luti singh Kumhar r/o Jiwani Kalan PSSikanderbad distt. Ajamgarh U.P.</p> <p>42. Ishwari Lal s/o Lokman Brahman r/o Jiwani Kalan PS Sikanderbad distt. Ajamgarh U.P.</p> <p>43. Surrinder s/o Chakkar Dhgar Para Brahman r/o Bilwar PS Raghunath distt. Siwan.</p> <p>44. Inder Jit s/o Ram Dagar God r/o Rajawat PS Tatia dist. Devaria U.P.</p> <p>45. Mai Chnad s/o Brij Mohan r/o Bahemgarhs PS Dhandhara distt.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Basti U.P.</p> <p>46. Ram Dev s/o Bindabev r/o Katsral PS Param Mutai distt. Katak Orrisa.</p> <p>47. Rajinder Parshad s/o Jagan Naths Gupta r/o Ubaya PS Umam distt. Basti U.P.</p> <p>48. Som Nath s/o Harnbans Khatri r/o Murdiya PS Basti distt. Baliya U.P.</p> <p>49. Dina Nath s/o Ganesu r/o Gohani PS Muhar distt., Siwan (Bihar)</p> <p>50. Ram Dev s/o Nanal Yadv r/o Kasba PS Raghunathpur distt. Swan (Bihar)</p> <p>51. Laxmi parsad s/o Bhagiraths</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Malha r/o Noka PS Manihar distt. Balua.</p> <p>52. Rameshwar Singh s/o Shyam Bihari r/o Dariya Kalan PS Vikal Gang distt. Rohtash (Bihar)</p> <p>53. Ishawar Dayal s/o Sarwara Harijan r/o Kariya PS Kariya distt. Gopal Gang (Bihar)</p> <p>54. Lal Dhar s/o Ramji Lohar r/o Ram Lakhan PS Adhahdpur dist. devaria U.P.</p> <p>55. Jhuthan s/o Kedar Nath Malah r/o Bashekpura PS Karenda dist. Gazipur U.P.</p> <p>56. Chhattar Singh s/o kali Ram r/o Shiva PS Sdr. Jind</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>distt. Jind</p> <p>57. Mohan Lal s/o Sukhan r/o Tutwar PS Manogandhi distt. Darbanga (Bihar)</p> <p>58. Ram Nath s/o Rati Pal Pandit r/o Lohradpur PS Gudagang Sultanpur U.P.</p> <p>59. Lal Chnad s/o Ram Chnad Harijan r/o Bimwara PS Menakar distt. Allahabad U.P.</p> <p>60. Ram Parwash s/o Parma Yadav r/o Haldi Bandoriya, Tola PS Halt Gita distt. Balua.</p> <p>61. Daya nand s/o Hari Ram Harijan r4/o Naya Gaon Ps Rewari dist.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>M/Garh.</p> <p>62. Gorkha Singh s/o Lutawan Singh mazhad r/o Mazawal PS Siwan distt. (Bihar)</p> <p>63. Ali Udil s/o Sadik Ali Muslman r/o Gutka PS Mahara Maharajganj distt. Siwan Bihar.</p> <p>64. Hari s/o Bhagan Kumar r/o nanusra PS Thirahi Kot distt. Azamgarh.</p> <p>65. Barma Nad s/o Ram, Avtar r/o Lakdi Harang P.S. bagrotiva distt. Siwan Bihar.</p> <p>66. Lalji s/o Faujdar Chohan r/o Ansavir P.S. Gosi dstt. Ajamgarh (U.P.)</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>67. Ram Raj s/o Bharu r/o hariyapur P.S. Bandi Rai distt. Sultanpur U.P.</p> <p>68. Phul Badan s/o Shanker r/o Mizar Maniya P.S. Madhuban distt. Ajamgarh.</p> <p>69. Ras Bihari s/o Chhatu Singh Kohri r/o Siswal Katila P.S. Bindya distt. Mozpur Bihar.</p> <p>70. Sanjay Kumar s/o Malik r/o Amoli P.S. Chothupur distt. varansi U.P.</p> <p>71. Laxman Parshad s/o Vishva Naths Kumhar r/o Shiyapur P.S. Sahapur distt.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--|---|
| | | <p>Mogapur (Bihar)</p> <p>72. Gulab Singh s/o Hari Singh r/o Baland P.S. Kalannaur distt. Rohtak.</p> <p>73. Raj Kishore s/o Rajey r/o Bhawani Sathan P.S. Daroli distt. Siwan Bihar.</p> |
| 16. 15.7.80 | Fir No. 180 dt. 5.7.80 u/s 188 IPC, PS City Hansi | <p>1. Ude Singh s/o Raj Pal Singh r/o Chhapar P.S. Tosham Biwani.</p> <p>2. Suraj Mal s/o Ram, Chnader Simanka P.S. Baroda distt. Sonepat.</p> <p>3. Ajmer Singh s/o baldev Jat r/o Kheri Hissar.</p> <p>4. Gaze Singh s/o Kunda Ram Jat r/o Knoh P.S. Bhuna distt.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Hissar.</p> <p>5. Devki Nandan s/o Raghbir Singh Kohri r/o Balraj Balwjra P.S. Maharaj Gang distt. Siwan Bihar.</p> <p>6. Balraj s/o Jai Singh r/o Thurana P.S. Narnaund distt. Hissar.</p> <p>7. Kaptan Singh s/o Bakhtwar Singh Jat r/o Thurana distt. Hissar.</p> <p>8. Satbir Singh s/o Bhgwan Jat r/o Bali anand pur Rohatk.</p> <p>9. Rampal s/o Sugham Singh Loahr r/o naranund distt. Hissar.</p> <p>10. Tara Chnad s/o Bhgwan Dass</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Arora r/o Narnaund distt. Hissar.</p> <p>11. Jagdish Chnader s/o Badan Singh Jat r/o Thurana P.S. Narnaund distt. Hissar</p> <p>12. Ramesh Kumar s/o Chun Lal Chamar r/o Dhola Kuona Hansi Hissar.</p> <p>13. Om parkash s/o hari Chnad Arora r/o Dhola Kuona Hansi Hissar.</p> <p>14. Rohtash Singh s/o Darya Singh Jat r/o Thurana distt. Hissar.</p> <p>15. Sher Singh s/o Bhale Ram Jhimar r/o Narnaund Hissar.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>16. Rajinder singh s/o Nimat Singh Thakar r/o Gandhi Nagar Hansi Hissar.</p> <p>17. Satbior Singh s/o Rattan Singh Jat NND Hissar</p> <p>18. Richhpal Singh s/o Faquir Chnad NND Hissar.</p> <p>19. Surinder Kumar s/o Krishan Brahman r/o Sai P.S. Pundri</p> <p>20. Raghubir Singh s/o Arju Singh Jat r/o Alkapura P.S. Tosham distt. Bhiwani.</p> <p>21. Kamni Lahan s/o Ram Murti Brahaman r/o Raipur P.S. Timra distt. Davriya.</p> <p>22. Shiv Charan</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>s/o Gordhan Brahman r/o Maharan P.S. Chnarkhi Dadri.</p> <p>23. Raja Ram s/o Ram Karan Kalewra P.S. Bibdiya Bazar distt. Jonpur U.P.</p> <p>24. ram Avadh s/o Ram Kishore Odd P.S. Murni distt. Siwan</p> <p>25. Sh. Narian s/o Jaimurti Malah r/o Bhgwanpur P.S. Kadipur distt. Varansi</p> <p>26. Hari Ram s/o Bhggwan Din r/o Rasiyapur P.S. Surani distt. Breli U.P.</p> <p>27. Bismila s/o kamin Muslman r/o Rampur Bujarg P.S. Benkara distt.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | Devriya. 28. Rajpal s/o MulK Singh Ahir r/o Jhipur P.S. Salahwas distt. Rohtak. 29. Partap Singh s/o Bir Singh Chamar r/o Dinod gate Nagar Mill Hissar. 30. Mahabir Singh s/o Prithi Singh s/o Petwar distt. Hissar. 31. Mintar Singh s/o Darya Singh r/o Petwar distt. Hissar. 32. Satbir Singh s/o Basadar Ramr/o Petwar distt. Hissar. 33. Dhira singh s/o Id Ram Jat r/o Petwar distt. |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Hissar.</p> <p>34. Raj Kumar s/o Rati Ram r/o Petwar distt. Hissar.</p> <p>35. Phool Singh s/o Baldev Singh r/o Petwar distt. Hissar.</p> <p>36. Satbir Singh s/o Ram Chnader r/o Petwar distt. Hissar.</p> <p>37. Pm Parkash s/o Tulsi ram Narnaund distt. Hissar.</p> <p>38. Kappor Singh s/o Rattan Singh Nai r/o Thurana distt. Hissar.</p> <p>39. Tara Singh s/o Richhpal Singh r/o Dhandari distt. Hissar.</p> <p>40. Arjun Singh</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Girdhari Lal rajput r/o Darbar P.S. Tosham Bhiwani.</p> <p>41. Bivji s/o batu God P.S. Kishori Chhapar distt. Davriya</p> <p>42. Rajpal s/o Rampat Jat r/o Khanpur P.S. Barwala Distt. Hissar.</p> <p>43. Ved parkash s/o Chhaju Ram r/o Roop Nagar Colony Hansi.</p> <p>44. Dharambir Singh s/o Dharambir Jat r/o Narnaund distt. Hissar.</p> <p>45. Ved Parkash s/o Shambu Ram Khati r/o Narnaund distt. Hissar.</p> <p>46. Balwant Singh</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>s/o rattan Singh r/o Thurana P.S. Narnaund distt. Hissar.</p> <p>47. Mani Ram so Hazari Lal Naik r/o Narnaund distt. Hissar.</p> <p>48. Hukam Chnad s/o Kurda Ram Mali r/o Narnaund distt. Hissar.</p> <p>49. Shyam Sunder s/o Ram Partap r/o Kharcha P.S. Lal Basti U.P.</p> <p>50. Hoshiyar Singh s/o Badan Singh r/o Thurana distt. Hissar.</p> <p>51. Sakhta Ram s/o Ram Kumar Sunar r/o Prabhu Bhavan Colony.</p> <p>52. Om Parkash s/o Fehate Singh Jat r/o Thurana</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>distt. Hissar.</p> <p>53. Kuldip Singh s/o Chhabila Nai r/o Thurana distt. Hissar.</p> <p>54. Dharam Bir s/o Sukhdev Jat r/o Thurana distt. Hissar.</p> <p>55. Rajbir s/o Pale Ram Jat r/o Thurana distt. Hissar.</p> <p>56. Deva Singh s/o Bharat Singh Jat r/o Thurana distt. Hissar.</p> <p>57. Kailash Kumar s/o Bir r/o Rampur Loharwas distt. Devriya.</p> <p>58. Rama Kant s/o Bachhar God r/o Badu Ram P.S. parhwa distt. Devriya.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>59. Amoka Parshad s/o Jasnath Chamar r/o Chhawriya P.S. Khudiwas distt., Gorakhpur U.P.</p> <p>60. Maha Singh s/o Parshadi Kaparwasi r/o Jamaroha distt. Gopal Gang.</p> <p>61. Dharam Nath s/o Shvji Sunar r/o Mukamb Bihar.</p> <p>62. Inderjit s/o Jhuthan harijan r/o Katawa distt. Davriya.</p> <p>63. Kailash s/o Munshi Ram Yadav r/o Rampur distt. Rajpura.</p> <p>64. Rameshwar s/o Abhan Yadav r/o Bhawa P.S. mahshi district</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Sharhsa Bihar.</p> <p>65. Bhagwan Singh s/o Danga Parshad Brahman r/o Barchhi distt. darbanda Bihar.</p> <p>66. Siri Ram s/o Gidha Nuniya r/o Pancnative P.S. Gudhani distt. Siwan</p> <p>67. Banke Lal s/o Babu lal Teli r/o Rahimpur distt. Siwan Bihar.</p> <p>68. Surinder Pal s/o Ajai Singh Jat r/o Budhi P.S. Modi Nagar.</p> <p>69. Prem Sagar s/o Vishwnath Punia r/o Hagsitona P.S. Meharwan distt. Siwan</p> <p>70. Hari Lal s/o Samat God r/o Banduraon distt.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|---|---|
| | | <p>Devriya.</p> <p>71. Ram Pradesh s/o Srawan Teli r/o Pun Suriya P.S. Daroli distt. Siwan Bihar.</p> <p>72. Ram Chnader s/o Sargu r/o jarina gaon distt. Baliya Mati U.P.</p> <p>73. Hari Har s/o Mithuraw Nai r/o Sura Tapta P.S. Devriha distt. Gatyari</p> <p>74. Mohinder Singh s/o Hazari Lal r/o Narnaund distt. Hissar.</p> |
| 17.15.7.8 0 | FIR No. 182 dt. 7.7.80 u/s 188 IPC P>S. City Hansi | <p>1. Bansi Lal s/o Sampat Ram r/o Gojra P.S. Desapur distt. Johnpur.</p> <p>2. Satinder Milkha s/o Ram Parat Prahman r/o Barora P.S.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Bakundhpur distt. Gopal Ganj Bihar.</p> <p>3. Mewa Ram s/o Biswanth r/o Kalarampur P.S. badhapur distt. Gopal Gtang Bihar.</p> <p>4. Siri Chnad s/o Paras Ram r/o daupur P.S. Karal distt. manouri U.P.</p> <p>5. Pat Ram s/o Swran Hamai P.S. Jai Jai Pur distt. Bilaspur U.P.</p> <p>6. Bachan Singh s/o Gugan Singh Negi r/o P.S. Laxman Jhula distt. Podigadhwal U.P.</p> <p>7. Hari Om s/o Raj Bahadur r/o Adokali P.S. More Darwala distt. Phasrawata U.P.</p> <p>8. ramesh Kumar</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>s/o Ram Chnader Gupta r/o Nansu despur distt. Kanpur U.P.</p> <p>9. Jahan Singh s/o Kesri Wanas r/o Kumarpura distt. Itawa.</p> <p>10. Paualtas s/o maripur Khati r/o Gulbarga P.S. Gulbarna karnataka.</p> <p>11. Amar Naths s/o Vijay Singh Jat r/o Agora P.S. Khurja distt. Bulandshar U.P.</p> <p>12. Dev Dhari s/o Imai r/o badrawn P.S. Patarwa distt. Davria.</p> <p>13. Bhura Singh s/o Babu Singh r/o Musayat P.S. sashni distt. Alhigarh.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>14. Ram Rattan s/o Badras Nath Brhaman r/o mamuchur P.S. Kandhrapur.</p> <p>15. Kali Ram s/o Harkaran r/o Guran distt. Jind</p> <p>16. Tahnbu Ram s/o Kharan Singh r/o Ramyan PS Sdr. Hansi</p> <p>17. Ude Singh s/o Banwari r/o Ramyan PS Sdr. Hansi</p> <p>18. Mohinder Singh s/o Bharbhu Ram r/o Narnaund Distt Hissar.</p> <p>19. Rameshwar s/o Manwar Lal r/o Lehrada PS Barwala Hissar</p> <p>20. Bhim Singh s/o Ami Chnad r/o Thuran P.S./</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----------------|--|--|
| | | <p>Narnaud distt. Hissar.</p> <p>21. Ajmer s/o Rattan singh r/o Meham PS Bhuna distt. Hissar</p> <p>22. Bhup Singh s/o Pretu Ram r/o NND</p> <p>23. Anurodh s/o Ram Piare r/o Kanwarsad PS Raghubatpur distt. Siwan Bihar.</p> |
| 18. 15.7.80 | Fir No. 186 dt. 9.7.80 u/s 188 IPC, P.S. City Hansi | <p>1. Dalbir Singh s/o Chnad r/o Dhnai Gujrawanwali Hissar.</p> <p>2. Chharat Sing s/o Chhotu Ram Naik r/o Phorui s Ps Srd. Hansi distt. Hissar.</p> <p>3. Krishan Kumar s/o Sadhu Ram r/o Jitpura Sdr.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Hansi distt. Hissar.</p> <p>4. Pirthi Singh s/o Dhalu Ram r/o Dhana Kaln PS Sdr. Hansi distt. Hissar.</p> <p>5. Balbir Singh s/o Sulatn Singh r/o Dhani Gujranwali distt. Hissar</p> <p>6. Bir Singh s/o Mattu Ram r/o Gujranwali distt. Hissar.</p> <p>7. Jagdsish Chnader s/o Rattan Singh r/o Mehmra PS distt. Hissar</p> <p>8. Ishwear Singh s/o Chandgi Ram r/o Mehdnda PS distt. Hissar</p> <p>9. Balbir Singh s/o Shadi Ram r/o</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Dhnai Thakriya Sdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>10. Sher Singh s/o ratti ram r/o Tahkriya Sdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>11. Hazari Lal s/o Darya Singh s/o Dhani Gujranwanwali PS City Hansi distt. Hissar</p> <p>12. Bhajan Singh s/o Bani Singh r/o Mehmra PS Sdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>13. Mohinder Singh s/o Budh Ram r/o Dhnai Sarkari PS Sdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>14. Hawa Singh s/o Siri Chnad r/o Dhani Tahkriyan PS City Hansi distt. Hissar</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>15. Balraj s/o Phul singh Jat r/o Dhandari PS Sdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>16. Kanwal Singh s/o Harphul Singh r/o Jamwari Sdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>17. Krishan Chander s/o Chandgi Ram r/o Jitpur PS Sdr. Hansi Hissar.</p> <p>18. Ram Parshad s/o Chnadgi Ram Gari PS Sdr. Hansi Hissar.</p> <p>19. Prem Singh s/o Nathu Ram r/o Dhani Thkriyan PS City Hansi</p> <p>20. Jagdish Rai s/o Ram Chnader r/o Mehnda PS SAdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>21. Balwan Singh</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>s/o sardara r/o Umra PS Sdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>22. Prem Singh s/o arjun Dass r/o Dhnai Gujran PS Sdr,. Hansi distt. Hissar</p> <p>23. Subash Chander s/o Net Ram r/o Balyani Distt. Rohtak.</p> <p>24. Pirthi Singh s/o Dhjnai Gujran PS Sdr. Hansi distt. Hissar</p> <p>25.Madan Lal s/o Kishan Ram r/o Smaat PS Bawani Khera distt. Hissar</p> <p>26. Ram Parkash s/o Sadh Ram r/o Hansi Spinning Mill Hansi distt. Hissar</p> <p>27. Ramesh Kumar s/o Hari Chand</p> |
|--|--|---|

| | | |
|-----------------|---|--|
| | | r/o Ajampur PS Sdr. Hansi distt. Hissar |
| 19. 20.10.80 | FIR No. 46 dt. 22.2.80 u/s 452/323/148/149 IPC, PS City Hansi | 1. Kartar Singh s/o bakhatwar Singh Jat r/o Gurana. 2. Karam Singh s/o Bim Singh Jat r/o Sorkhi 3. Ranbir Singh s/o Gulab Singh Jat r/o Sorkhi 4. Wazir Singh s/o Kjapoor Singh Jat r/o Sorkhi 5. Satbir Singh s/o Gulab Singh Jat r/o Sorkhi 6. Prem Dass s/o Mal Khan Singh Ahir r/o Roop Nagar Hansi. 7. Ram Kishan s/o Bhag Chand Jat r/o Bhatala PS |

| | | |
|-----------------|--|--|
| | | Sdr. Hansi |
| 20. 25.10.80 | FIR No. 45 dt. 22.2.80 u/s /148/149/323 IPC, PS City Hansi | 1. Krishan Kumar s/o Bhale Ram Jat r/o Kheri Gagan 2. Arjun s/o Girdhari Rajput r/o Kapar PS Tohsam. 3. Satbir Singh s/o Gulab Singh Jat r/o Sorkhi 4. captan Singh s/o Bakhtawar Singh Jat r/o Thurana. 5. Nasseb Singh s/o Dharam Chand Jat r/o Kheri Gagan 6. Suraj Bhan s/o Mohar Singh Jat r/o Ittal PS Jind 7. Satrpal Singh s/o Nafe Singh Jat r/o Madanheri PS Narnaund. |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| <p>21. 22.12.80</p> | <p>FIR No. 178 dt. 6.6.78 u/s 307/323/341 IPC & 27/54/59 Arms Act, PS Sdr. Hissar</p> | <p>1. Nek ram s/o Ram Lal Jat r/o Kurri PS Sdr. Hissar</p> <p>2. Mohar Singh s/o Ram Lal Jat r/o Kurri PS Sdr. Hissar</p> <p>3. Ram Rikh s/o Jaila Ram Kumhar r/o Kurri PS Sdr. Hissar</p> <p>4. Manphool s/o Ram Rikh Kumhar r/o Kurri PS Sdr. Hissar</p> <p>5. Gokal s/o Birana Ram Kumhar r/o Kurri PS Sdr. Hissar</p> <p>6. Tara Chand s.o Jee sukh r/o Kurri PS Sdr. Hissar</p> <p>7. Kanshi Ram & Sah Ram s/o mam Chnad Kumhar r/o</p> |
|-------------------------|---|--|

| | | |
|----------------|--|--|
| | | Dholu PS Bhuna. |
| 22. 23.2.81 | FIR No. 205 dt. 16.6.78 u/s 307/353/332/145 IPC PS Sdr. Hissar | 1. Bal;i w/o Dhonkal Bishnoi 2. Moharm w/o Prem Narian 3. Banrsi w/o Bhagwana 4. Banwari s/o Ram Jas Bishnoi 5. Kahan s/o Dhonkal Bishnoi 6. Bhagwan s/o Dhonkal Bishnoi 7. Prem Narian s/o Ram Jas Bishnoi r/o Kalirawan. |
| 23.24.2.8 1 | FIR No. 668 dt. 11.10.80 u/s 324/342/506 IPC PS City Hissar | 1. Mehar Chnad JE 2. Gobind Singh AFM 3. Haspati AFM 4. Nand Lal Lines Man |
| (24.) | FIR No. 435 dt. 15.7.75 u/s | 1. Ishwar Singh |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 28.2.81 | 409/420 IPC PS Fatehabad | s/o Sher singh viullage Katakheri PS Fatehabad |
| (25) 11.3.81 | FIR No. 804 dt. 12.12.78 u/s 506/147/148 IPC PS city Hissar | <p>1. Omkar Ram s/o lekh ram Bishnoi r/o Nimi Ex. MLA</p> <p>2. Pirthvi Singh s/o Ladhu Ram saini r/o Hissar</p> <p>3. Huamal s/o Dhani Ram Goel Ex. MLA city Hissar</p> <p>4. Lishan Singh s/o Raghunath Brahman city Hissar.</p> <p>5. Prabhu Dyal s/o giani Ram Arora.</p> <p>6. Beli Ram s/o sheonanand Ram Jat r/o Telgawari Layer Hissar</p> <p>7. Vijay Kumar s/o Atrma Ram Jain r/o Tohana</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>8. Birbal s/o Net ram Saharma r/o Satrod Khurd</p> <p>9. Data Ram s/o Faquir Chnad</p> <p>10. Faquir Chnad s/o Tulsi ram Kumhar r/o City Hissar</p> <p>11. Dariyao Singh s/o Sheonand Dhanak r/o Nangali</p> <p>12. Ramesh Kumar s/o Karam Chnad Arora r/o Hissar</p> <p>13. Suraj Mal s/o Ram Diatta Arora r/o Tohana</p> <p>14. Baljit Singh s/o nand Singh Jat Sikh r/o Tohana</p> <p>15. Tarsem Singh s/o Jodh Singh Jat Sikh r/o Tohana</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>16. Gian Singh s/o Hari chnad arora r/o Tohana</p> <p>17. Nbansi Lal s/o Ram Kishan arora r/o Tohana</p> <p>18. Vijay Kumar s/o Sambhu Dayal Kumhar r/o City Hissar</p> <p>19. Subash s/o Hira lal Kumhar r/o city Hissar</p> <p>20. Mange Ram s/o Devat ram Balmiki r/o City Hissar</p> <p>21. Sultan Singh s/o Krishan Ram r/o City Hissar</p> <p>22. Dhara ram s/o Krishna ram City Hissar</p> <p>23. Zile Singh s/o Jai Dev jat r/o Telanswali</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>24. Rachhupal s/o Ajmer Singh Chippi r/o Ratia</p> <p>25. Jai Ram s/o Bishan dass Arora r/o Memra.</p> <p>26. Mehar Chand s/o Jagdish Bishnoi r/o Ratia.</p> <p>27. Rade Sham s/o Ram Ditta Arora r/o Mehmra.</p> <p>28. Ram Ditta Mal s/o Rupa Ram Rajput r/o Khai.</p> <p>29. Subash s/o Ram Kishan Jain r/o Hissar</p> <p>30. Dharma s/o Chandgi Ram Dhanakr/o Rateravi.</p> <p>31. Shiv Kumar s/o Banwari Lal Mahajan r/o Hissar.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>32. Tek Ram s/o Tulsi Ram Dhanak r/o Raterwali</p> <p>33. Faquir Chnad s/o Tulsi Ram Dhanak r/o Raterwali</p> <p>34. Chhote Lal s/o Jag Ram Harijan r/o Raterwali</p> <p>35. Matu Ram s/o Mai Dhan Dhanak r/o Raterwali</p> <p>36. Jit Singh s/o Gorkha Ram Dhanak r/o Raterwali</p> <p>37. Chhabil Dass s/o Ganga Ram Bishnoi r/o Bdopal</p> <p>38. Des Raj s/o Tirath Dass Arora r/o Baliala.</p> <p>39. Mam Chand s/o Gorkha Ram Gujjar r/o</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Kumarhiya.</p> <p>40. Ram Kumar s/o Brij Lal Brahman r/o Ratia.</p> <p>41. Hari Chnad s/o Manga Ram Kamboj r/o Kalong</p> <p>42. Rohtash s/o Ram Chnader Shhibi r/o Badopal.</p> <p>43. Machhar Ram s/o Sahabitta Sikh r/o Khai</p> <p>44. Sita Ram s/o Chhman Singh Majbi Sikh r/o Khai.</p> <p>45. Gian Singh s/o Atam Singh r/o Baliala.</p> <p>46. Basant Singh s/o Tara Singh Majbi Sikh.</p> <p>47. Sant Lal s/o</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Rajan Singh Shogar r/o Sunal.</p> <p>48. Purshotam s/o Parkash Singh Sikh r/o Baliala.</p> <p>49. Subash s/ Om Parkash bansal r/o City Hissar.</p> <p>50. Sat Pal s/o Pokar Ram Bishnoi r/o Mimri.</p> <p>51. Chapa Ram s/o Pera Ram Kamboj r/o Khai.</p> <p>52. Bhal Singh s/o Arjun Singh r/o Khai.</p> <p>53. Makhan Singh s/o Mal Singh jat Sikh r/o Bhirana.</p> <p>54. Bal Ram s/o Jetha Ram Bishnoi r/o Chinar.</p> <p>55. Devi Dutt s/o Pokhar Mal</p> |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--|---|
| | | <p>Bishnoi r/o Mimri.</p> <p>56. Krishan Kumar s/o Lal Kishan Arora r/o City Hissar.</p> |
| 26. 11.3.81 | FIR No. 895 dt. 22-12-78 u/s 506/147/148 IPC PS City Hissar. | <p>1. Partap Singh s/o Mam Chnad Jat r/o Daulatpur.</p> <p>2. Raghbir Singh s/o Mohar Singh Jat r/o Dobhi.</p> <p>3. Atma Ram s/o Thakur Singh Jat r/o Fatehabad.</p> <p>4. Parshotam Lal s/o Kalu Ram Mahajan Ex. M.C. r/o Hissar.</p> <p>5. Meki Ram s/o Gobind Ram Bishnoi r/o Fatehabad.</p> <p>6. Sudha Singh s/o Mukhitaiar Singh Kamboj Sikh r/o Fatehabad</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>7. Giani Ram s/o Gopal Ram Jat r/o Balsmand.</p> <p>8. Dharam Pal s/o Dhanpat Jat r/o Khedar.</p> <p>9. Balwan Singh s/o Telu Ram Jat r/o Khedar.</p> <p>10. Suresh s/o Nanu Ram sharma r/o City hissar.</p> <p>11. Rama Nand s/o Ram chnader Goyal r/o Ram chander Goyal r/o City Hissar.</p> <p>12. Om Parkash s/o Chuni Lal Singla r/o Uklana Mandi.</p> <p>13. Ram Niwas s/o chnader Bhan Goyal r/o Uklana Mandi.</p> <p>14. Budh Ram s/o</p> |
|--|--|--|

| | | |
|-------------|--|---|
| | | <p>Ridmal Bishnoi r/o Buda Khera.</p> <p>15. Ganga Mandi s/o Shiv Chand Brahman r/o Kalar Bhani</p> <p>16. Amar Singh s/o Lal Kishan Harijan r/o Uklana Mandi</p> <p>17. Alem Kumar s/o Sh. Ram Harijan r/o Hissar</p> <p>18. Bhag Singh s/o Mai Sikh Jat r/o Ralwas Khurd.</p> |
| 27. 19-3-81 | FIR NO. 131 dt. 7.3.80 u/s 7/10/55 EC Act. PS City Hissar. | 1. Shiv Kumar s/o Hari Chnad Anaj Mandi Hissar. |
| 28. 20-5-81 | FIR NO. 531 dt. 20.9.80 u/s 7/10/55 EC Act. PS Fatehabad. | 1. Sujjan Kumar r/o Fatehabad |
| 29. 20-5-81 | FIR NO. 538 dt. 22.9.80 u/s 7/10/55 EC Act. PS Fatehabad. | 1. Brij Lal s/o Kurara Ram Bishnoi r/o Dhani Dhanger. |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | 2. Ranjit s/o Kurara Ram Bishnoi r/o Dhani Dhanger. |
| 30. 12-8-81 | FIR NO. 538 dt. 11.3.80 u/s 7 EC Act. PS Sdr. Hissar. | 1. Mangtu s/o Jassa Jat r/o Dhobi |
| 31. 6-7-81 | FIR No. 344 dt.27-4-80 u/s 332/186 IPC PS Sdr. Hissar. | 1. Om Parkash s/o Lal Chnad Khati r/o Neoli Khurd. 2. Sita Ram s/o Har Lal Khati r/o Neoli Khurd. 3. Lal Chnad s/o Budh Ram Khati r/o Neoli Khurd. |
| 32. 13-7-81 | FIR No. 56 dt. 24-1-78 u/s 7/10 (1) of Haryana Urban Development Regulation Act. PS Fatehabad. | 1. Dawarla parshad s/o Bani Lal Mahajan r/o Fatehabad. |
| 33. 11-8-81 | FIR NO. 91 dt. 11-3-80 u/s 7 EC Act PS Sdr. Hissar. | 1. Hira Lal s/o maman Mahajan r/o Dhobi. 2. Ram Chnader s/o Hira Lal |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | Mahajan r/o Dhobi |
| 34. 11-9-81 | FIR No. 482 dt. 22-12-77 u/s 400 IPC PS Ratia | 1. Om Parkash Clerk of BDPO. |
| 35. 21-10-81 | FIR No. 635 27-9-80 u/s 452/323/506/34 IPC PS City Hissar | 1. Paramjit s/o Hukam Chnad Arora r/o Hissar. 2. Murli s/o Bhagat Singh Arora r/o Hissar. 3. Ramesh Chnader s/o Kishan Chnad Arora r/o Hissar. |
| 36. 8-3-82 | FIR NO. 100 dt. 27-6-81 u/s 7 EC Act PS Sadar Hansi. | 1. Hem Raj s/o Ratim Arora r/o Hansi. 2. Ranjit s/o Atwala Singh Jat Sikh r/o Hansi. 3. Kirti Ram s/o Moti Ram Odd r/o Hansi. 4. Kishan Lal s/o Mangtu Odd r/o Hansi. |

| | | |
|-------------|--|---|
| | | 5. Ram Sarup s/o Kanshi Ram Arora s/o Hansi. |
| 37. 27-4-82 | FIR NO. 97 dt. 26-1-81 u/s 336/427 IPC PS Sdr. Hissar. | 1. Subash Chander s/o Ram Chander Brahman r/o Satrod |
| 38. 11-5-82 | FIR No. 172 dt. 8-7-81 u/s 506/186 IPC PS Barwala | 1. Risal Singh s/o Matu Ram r/o Narnaund. |
| 39. 1-7-82 | FIR No. 91 dt. 25-5-81 u/s 7/10/55/EC Act PS City Hansi Hansi. | 1. Mohinder s/o Baru Ram r/o Narnaund. 2. Ishwar Singh s/o Baru r/o Sulchani. 3. Harish Kumar s/o Parbhu Dyal r/o Bhatla 4. Sat Narian s/o Shiv Chnad Mahajan r/o Gamra. 5. Bani s/o Bhag Mal r/o Thurana. 6. Hemraj s/o |

| | | |
|--------------|--|---|
| | | <p>Panju ram r/o Hansi.</p> <p>7. Satbir s/o Krishan Lal r/o Badana.</p> <p>8. Omparkash s/o Prabhu Ram mahajan r/o Budana.</p> <p>9. Harish chnad s/o Siri Ram r/o Hansi.</p> <p>10. Khushi Ram r/o Dhani Majra.</p> |
| 40. 10-9-82 | FIR No. 4 dt. 7-8-81 u/s 61/1/14 Excise Act PS Adampur | 1. Rameshwar Dass s/o Reu Ram r/o Kauri of Adampur Mandi |
| 41. 28-9-82 | FIR No. 527 dt. -6-82 u/s 279/336 IPC PS City Hissar | 1. Ramesh s/o Raghbir Balmiki r/o Dhani Sham Lal, Hissar. |
| 42. 30-11-82 | FIR No. 192 dt. 15-3-80 u/s 406/420 IPC PS Fatehabad | 1. Suraj Bhan, Sri Ram Brick Kiln |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | owner Baropal. |
| 1983 | | |
| 43. 14-2-83 | FIR NO. 614 dt. 6-7-82 u/s 7/10/55 EC Act & 420 IPC PS City Hissar. | 1. Dharambir s/o Hardutt Rai Brahman r/o Katla Ram Lilla Hissar. |
| 44. 1-3-83 | FIR No. 470 dt. 13-12-77u/s 409 IPC PS Ratia | 1. mohginder Singh s/o Ravi Dutt Sharma r/o rattan Khera |
| 45. 11-3-83 | FIR No. 162 dt. 4-4-81 u/s 377/342/323 IPC PS City Hansi | 1. Parveen s/o Ramesh r/o Hansi 2. Raghbir s/o mange Ram r/o Gugan Khera. 3. Jai Parkash s/o Amar Singh Dhanak r/o Advocate Colony Hansi |
| 46. 17-3-83 | FIR No. 98 12-7-82 u/s 409 IPC PS Jakhal | 1. Ex-Sarpanch r/o Sadanwas PS Tohana |
| 47. 2-4-83 | FIR NO. 288 dt. 6-12-81 u/s 7/10/55 E.C. Act PS Barwala | 2. Shiv Kumar s/o Parma Nath Arora. |

| | | |
|--------------|--|---|
| 48. 1-8-83 | FIR no. dt. 26-5-81 u/s 7/10 55 E.C. Act PS Sdr. Hissar. | <p>1. Ram Kumar s/o Pokar Ram Jat r/o Bhuthan Kalan PS Fatehabad</p> <p>2. Om Parkash s/o Dunger Singh Bishnoi r/o Dhanger.</p> <p>3. Phul Chand s/o Balmukand Mahajanr/o Bhiwani</p> |
| 49. 1-9-83 | FIR NO. dt. 24-1-78 u/s 7(1) 10 th Hr. Rural Development Act P.S.Fatehabad. | <p>1. Dharam Chand s/o lachman dass r/o Fatehabad.</p> <p>2. nanak Chnad s/o Lachhman Dass r/o Fatehabad</p> |
| 50. 30-11-83 | FIR No. 85 dt. 23-4-83 u/s 379 IPC P./S. Barwala | <p>1. Ram Niwas Mahajan r/o Pawara.</p> <p>2. Jai Narian Mahajan r/o Pawara.</p> <p>3. Ram Karan</p> |

| | | |
|-------------------|---|---|
| | | Bishnoi r/o kalirawan |
| 1984 | | |
| 51. 6-12-83 | FIR No. 188 dt. 24-3-72 u/s 409 IPC City Hissar. | 1. Rampat /o Kansi Ahir r/o Dingtana P.S. Barwala. |
| 52. 24-1-84 | FIR NO. 126 dt. 18-8-77 u/s 7 ESM Act P.S. Narnaund | 1. Sh. Nafe Singh Naib Talisdar Patwar Circle Rajthal. |
| 53. | FIR No.s 762 dt. 22-8-83 u/s 420 IPC & E.C. Act PS City Hissar. | 1. Vijay Kumar Bansal s/o Om Parkash Bansal Mohalla Arya Nagar Hissar. |
| District Sirsa | | |
| 1979 | | |
| 1. 19-10-79 | FIR No. dt. 20-6-78 u/s 324/148/149 IPC PS City Sirsa | 1. Amarjit Singh s/o Madhar Singh Jat r/o Jagmalesh. 2. Amar Singh, Nambardar r/o Jagmalesh. |

| | | |
|-------------|--|--|
| | | <p>3. Mal Singh s/o Jit Singh r/o Jagmalesh.</p> <p>4. Kartar Singh s/o Piara Singh r/o Jagmalesh.</p> <p>5. Satnam Singh s/o Piara Singh r/o Jagmalesh.</p> <p>6. Harminder s/o Bahadur Singh r/o Jagmalesh.</p> |
| 2. 20-10-79 | FIR No. 198 dt. 1-12-77 u/s 283/395 IPC PS Rania | <p>1. Mastan Singh s/o Her Singh Jat r/o Jeev Nagar.</p> <p>2. Hawa Singh s/o Mastan Singh r/o Jeev Nagar.</p> <p>3. Wakilo s/o Mastan Singh r/o Jeev Nagar.</p> <p>4. Nehla Singh s/o Mastan Singh r/o Jeev Nagar.</p> <p>5. Paro s/o Mastan Sinmgh</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>r/o Jeev Nagar.</p> <p>6. nirmal Singh s/o Mastan singh r/o Jeev Nagar.</p> <p>r/o Jeev Nagar.</p> <p>7. Amar Jit Singh s/o Kaka Singh r/o Jeev Nagar.</p> <p>8. Gurdip Singh s/o Amar Jit singh r/o Jeev Nagar.</p> <p>9. Chaveg Singh s/o Harnam Singh r/o Jeev Nagar.</p> <p>10. Kuldeep Singh s/o Chaved Singh r/o Jeev Nagar.</p> <p>11. Rajinder Singh s/o Sawarn Singh r/o Nakora.</p> <p>12. Jaswant singh s/o Narian Singh r/o Nakora.</p> <p>13. Dyal singh s/o Barfa Singh r/o</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Nakora.</p> <p>14. Mohinder Singh s/o Dalip Singh r/o Nakora.</p> <p>15. Tahal Singh s/o Dewan Singh r/o Nakora.</p> <p>16. sawaran singh s/o Asha Singh r/o Nakora.</p> <p>17. Mal Singh s/o Jit singhs r/o Nakora.</p> <p>18. Gurdev Singh s/o Uttam Singh r/o Nakora.</p> <p>19. Baldev Singh s/o Basant Singhs r/o Nakora.</p> <p>20. Amarjit singh s/o Gurdev Singh r/o Nakora.</p> <p>21. Laksh Singh s/o Narian Singh r/o Nakora.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|-------------|---|--|
| 3. 20-10-79 | FIR No. 208 dt. 20-11-78 u/s 452/506/148/149 IPC PS Rania | <p>1. Hardwari s/o Suraj Ram Kumar r/o Ghorawali.</p> <p>2. Ami Lal /o Dharam Paul r/o Ghorawali.</p> <p>3. Sh. Ram s/o Dharam Paul r/o Ghorawali.</p> <p>4. Lachman Singh s/o Suraj Ram r/o Ghorawali.</p> <p>5. Man Ram s/o Suraj Ram r/o Ghorawali.</p> |
| 4. 20-10-79 | FIR No. 278 dt. 21-12-78 u/s 506 IPC PS City Sirsa | 1. Suraj Bhan s/o Mansa Ram r/o Gindrawali, present New Mandi, Sirsa. |
| 5. 25-10-79 | FIR No. 54 dt. 27-5-79 u/s 25/54/59 Arms Act PS Rania | 1. Sidhu Singh s/o Anup Singh Jat sikh r/o Harni khurd. |
| 6. 17-11-79 | FIR No. 188 dt. 17-8-77 u/s 148/149/506 IPC Dabawali | 1. Shanker lal s/o Pat Ram r/o |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | <p>Saktakhera.</p> <p>2. Ami Lal s/o Pat Ram r/o Saktakhera.</p> <p>3. Ram Sahib s/o Shanker Lal r/o Saktakhera.</p> <p>4. Sat Paul s/o Ami Lal r/o Saktakhera.</p> <p>5. Nar Singh s/o Mohinder Singh r/o Saktakhera.</p> <p>6. Charat Singh s/o Mohinder Singh r/o Saktakhera.</p> |
| 7. 20-11-79 | FIR No. 114 dt. 23-3-78 u/s 406/409/468 IPC PS Dabawali | <p>1. Gurdev Singh Shant Ex- President, Improvement Trust, dabawali.</p> <p>2. Shiv Lal s/o Dogar Dass r/o Dabawali</p> <p>3. Nirinjan Dass</p> |

| | | |
|--------------|--|---|
| | | s/o Chanan Dass r/o Dabawali |
| 8. 26-11-79 | FIR No. 69 dt. 9.2.79 u/s 162/163 IPC PS Dabawali | 1. Gurdev Singh Shant r/o Dabawali |
| 9. 4-12-79 | FIR No. 267 dt. 28-8-78 u/s 307/420 IPC PS Dabawali | 1. Kahan Singh Sucha singh r/o GiddarKhera 2.Gopal s/o Sucha Singh r/o Dabawali 3. Gurbax Singh s/o Bhag Singh r/o Dabawali 4. Harminder Singh s/o Gubax Singh r/o Dabawali |
| 10. 25-12-79 | FIR No. 328 dt. 21-12-77 u/s 409/IPC PS Baraguda | 1. Puran Mal s/o Khyali Ram Jat r/o Khanewali |
| 11. 15-12-80 | FIR No. 123 dt. 8-5-78 u/s 382/442 IPC PS Sirsa | 1. Shiv Mohan s/o Ram Mahajan r/o Sirsa 2. Jagnohan s/o |

| | | |
|-------------|--|--|
| | | <p>Ram Parkash Mahajans r/o Sirsa</p> <p>3. Suresh Kumar s/o Lial Dhar Mahajan r/o New Anaj Mandi, Sirsa</p> <p>4. Ramu s/o Ram Bharosa, Ahir r/o Mukti PS JOnpur, Distt. Sonpur, Noew Sirsa</p> <p>5. Kulpat s/o Ram Bharosa Ahir</p> |
| 12. 26-2-80 | FIR No. 84 dt. 5-3-78 u/s 365/340/176 IPC PS Sadar Dabawali | <p>1. Raj Singh s/o Gurbax Singh r/o Ganga</p> <p>2. Baljinder s/o Gainda Singh r/o Ganga</p> |
| 13. 21-3-80 | FIR No. 112 dt. 6-6-78 u/s 171/F/132/135/136/186/382 /506 IPC PS Sadar Sirsa | <p>1. Shish Paul s/o Kurda r/o Rampura Dhillon</p> <p>2. Sugreev s/o Kurda r/o Ram pura dhillon</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| | | <p>3. Ram sarup s/o Girdhari Jat r/o Rampura Dhillon</p> <p>4. banwario s/o Mani Ram r/o Rampura Dhillon</p> <p>5. Chet Ram s/o Pema Ram r/o Rampura Dhillon</p> <p>6. Mukhtiar Singh s/o Dana Ram r/o Rampura Dhillon</p> <p>7. Laghu s/o Kurda Ram r/o Rampura Dhillon</p> <p>8. Lal Chand s/o Kurda Ram r/o Rampura Dhillon</p> <p>9. Ram Sarup s/o Mukh Ram r/o Rampura Dhillon</p> <p>10. Nek Ram s/o Het Ram r/o Rampura Dhillon</p> |
| 14. 30-3- | FIR No. 233 dt. 2-8-78 u/s 406/408/467/120-B IPC PS | 1. Sahab Ram s/o Khayali Ram Jat, |

| | | |
|-------------|---|--|
| 80 | Dabawali | r/o Chotala |
| 15. 30-3-80 | FIR No. 326 dt. 20-12-77 u/s 408 IPC PS Dabawali | 1. Bahadur Ram s/o Deav Ram r/o Risalia Khera |
| 16. 30-3-80 | FIR No. 235 dt. 8-8-78 u/s 406/408/409 IPC PS Dabawali | 1. Bahadur Singh s/o Ex-Secy. Co. Agr. Society, Chotala. 2. Sohan Lal s/o Rama Ram r/o Chotala 3. Budh Ram s/o Dugar Ram r/o Chotala 4. Brij Lal s/o Lakhmi Chand r/o Chotala |
| 17. 7-9-80 | FIR No. 303 dt. 5-10-78 u/s 285 IPC & 25/27/54/59 Arms Act, PS Dabawali | 1. Malkit Singh s/o Kartar Singh Jat Sikh r/o Mathdadoo. 2. Rehsam Singhs s/o Kartar Singh Jat Sikh r/o Dath Dadoo. |

| | | |
|-------------|--|--|
| 18. 12-9-80 | FIR No. 128 dt. 23-3-79 u/s 324/506/34 IPC PS Dabawali | <p>1. Tota Singh s/o Santa Singh r/o Mad Dadoo.</p> <p>2. Surjeet Singh s/o Dalip Singh r/o Mad Dadoo.</p> <p>3. Mahinder Singh s/o Harnam Singh r/o Mad Dadoo.</p> <p>4. Surjit Singh s/o Harnam Singh r/o Mad Dadoo.</p> <p>5. Rehsam singh s/o Kartar Singh r/o Mad Dadoo.</p> <p>6. Gurdev Singh s/o Rishpaul r/o Mad Dadoo.</p> <p>7. Malkit Singh s/o Kartar Singh r/o Mad Dadoo.</p> <p>8. Sukhdev Singhs s/o Nand Singh r/o Mad Dadoo.</p> |
| 19. 20- | FIR No. 82 dt. 31-3-80 u/s 4/A-6/80 Cow Slaughter Act | 1. Samula s/o Wazir Khan |

| | | |
|-------|-------------|---|
| 12-80 | GRP Hissar. | <p>Musalman r/o Taprana U.P.</p> <p>2. Mohd s/o Ibrahim r/o Taprana U.P.</p> <p>3. Muna Singh s/o Sukha Muslman r/o Loh Mandi.</p> <p>4. Sahid s/o Joj Muslaman r/o Loh Mandi.</p> <p>5. Shaid s/o Abid Khan Muslman r/o Loh Mandi.</p> <p>6. Istakh s/o Abud Rehman Muslman r/o Loh Mandi.</p> <p>7. Nawabdin s/o Isukali Muslman r/o Loh Mandi.</p> <p>8. Rattan Lal s/o Piare Lal Pandit r/o Sirsa</p> <p>9. Nirmal Kumar s/o Jagdish Parsad</p> |
|-------|-------------|---|

| | | |
|--------------|---|---|
| | | r/o Dabawali. |
| 20. 31-10-80 | FIR No. 194 dt. 27-8-77 u/s 409/420/468/471 IPC PS Dabawali | 1. Bahadur Ram s/o Deva Ram Jat r/o Risalia Khera. |
| 21. 3-11-80 | FIR No. 182 dt. 18-11-79 u/s 307/34 IPC & 25/54/59 Arms Act PS Baraguda PS Dabawali | 1. Amar Sng h s/o Sheo Narian Jat r/o Fatehpur Nayamat Khan. 2. OmParkash s/o Sheo Narian Jat r/o Fatehpur Nayamat Khan 3. Ranjit s/o Nanu Ram Jat r/o Fatehpur Nayamat Khan. |
| 22. 3-12-80 | FIR No. 203 dt. 16-9-71 u/s 326/324 IPC PS Dabawali | 1. Sohan Lal s/o Harji Ram r/o sawat Khera 2. rameshwar s/o Mohan Lal Bishnoi r/o sawat Khera 3. Bagga Singh s/o Tej Ram r/o sawat Khera 4. Kalr Rama s/o |

| | | |
|-------------|--|--|
| | | Tej Ram r/o sawat Khera |
| 23. 1-1-81 | FIR No. 20 dt. 24-1-79u/s 427/148/149 IPC PS City Sirsa | 1. Adarsh Kumar 2. Adarsh 3. Raghubir singh s/o Iqbal Singh Jat sikh r/o Sikandarpur. 4. Adarsh Kumar s/o Narain Dass Aora r/o Sirsa 5. Kesar Lal s/o Dhanpat Jat r/o Arniawali. 6. Puran Ram s/o Brij Lal Bishnoi r/o Panjuana PS Baragudha 7. Jawahar Lal s/o Sokan Lal Mahajan r/o Aanj Mandi Sirsa. |
| 24. 25-4-81 | FIR No. 253 dt. 2-9-78 u/s 61/1/14 Excise Act PS City Sirsa. | 1. Jagdish Kumar s/o Kalu Ram Kathuria r/o |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | <p>Hiossar.</p> <p>2. Bhanwar Khan s/o Harnam r/o Sirsa</p> <p>3. Aloser Khan s/o Nathu Khan r/o Sirsa</p> <p>4. Hem Raj s/o Nathu Ram r/o sirsa</p> |
| 25. 5-10-83 | FIR No. 221 dt. 18-7-75 u/s 409 IPC PS Baragudha | <p>1. Jagdish Kumar s/o kalu Ram Kathuria r/o Hissar</p> |
| 26. 1-11-82 | FIR No. 113 dt. 28-4-81 u/s 427 IPC/25-T Act, PS City Sirsa | <p>1. Chander bhan s/o nand Lal r/o sirsa</p> <p>2. Chhotte Lal s/oMohan Lal r/o Khanmaika (U.P.)</p> <p>3. Ramlotan s/o Shiv Dutt r/o Esmalepur (U.P.)</p> <p>4. Parminder s/o Jaswant Singh r/o</p> |

| | | |
|-------------|--|---|
| | | <p>Kherpur.</p> <p>5. Jit Singh s/o Bhagat singh r/o Kherpur.</p> <p>6. Avtar Singh Ex- Sarpanch r/o Kherpur.</p> |
| 27. 3-11-82 | FIR No. 115 dt. 1-5-81 u/s 364/342/323/148/149 IPC PS City Sirsa | <p>1. Ram Kishan s/o Chhothu Ram r/o Panjuana.</p> <p>2. Ram Bilas s/o Ram Bali r/o Khera (U.P.)</p> <p>3. Ram Sukh s/o Ram Janak r/o Khera (U.P.)</p> <p>4. Ram Bihari s/o Ram Partap r/o Khera (U.P.)</p> <p>5. Pirthi paul s/o Shiv Nath r/o Khera (U.P.)</p> <p>6. Mevarat s/o Ram saran r/o Khera (U.P.)</p> |

| | | |
|-------------|---|---|
| | | <p>7. Ram Niwas s/o Magru Ram r/o Khera (U.P.)</p> <p>8. Birakhu Ram s/o Mehta Partap r/o Khera (U.P.)</p> <p>9. Ram rattan s/o Bahadur r/o Khera (U.P.)</p> <p>10. Brij Lal s/o Ram Bilas r/o Khera (U.P.)</p> <p>11. Janak Raj s/o Dhari r/o Khera (U.P.)</p> <p>12. Bhagawan dass s/o Ram Nath r/o Khera (U.P.)</p> <p>13. Ganga Ram s/o Gumara r/o Khera (U.P.)</p> |
| 28. 3-11-82 | FIR No. 162 dt. 31-5-81 u/s 452/506/148/149 IPC PS City Sirsa | 1. Avtar Singh s/o Dara Singh Jat Sikh r/o Bhavdin |
| 29. 3-11- | FIR No. 163 dt. 31-5-81 u/s 452/341/506/232/34 IPC PS | 1. Baldev parkash s/o Munshi Ram |

| | | |
|-------------|--|--|
| 82 | Sadar City Sirsa. | r/o Chamantara (U.P) 2. Dhanna Ram s/o Panna Ram r/o Chamantara (U.P) 3. Suresh s/o Ram Bai r/o Chamantara (U.P) |
| 30. 24-3-83 | FIR No. 165 dt. 6-7-77 u/s 395/447/506/148/149/379 IPC PS Sadar Dabawali | 1. Brij Lal s/o Lachhman Dass r/o Chotala 2. Jaswant Singh s/o Lachhman r/o Chotala 3. Ranbir s/o Sahib Ram r/o Chotala 4. Sohan lal s/o Rama Bishnoi r/o Chotala 5. Bahadur s/o Kanahi Ram Jat r/o Chotala 6. Madan s/o Bahadur r/o |

| | | |
|--|--|--|
| | | Chotala |
| | | 7. Rameshwar Bishnoi r/o Chotala |
| | | 8. Lal Chnad s/o Sukh Rao r/o Chotala |
| | | 9. Ganesh s/o Manga ram r/o Chotala |
| | | 10. Khandu s/o Biru Chamar r/o Chotala |
| | | 11. Hans Raj s/o Biru Chamar r/o Chotala |
| | | 12. Sikh Ram s/o Bhuka Singh r/o Chotala |
| | | 13. Vijay s/o Indraj r/o Chotala |
| | | 14. Kanshi ram s/o Daulat Eram r/o Lakhuana. |
| | | 15. Om Parkash |

| | | |
|--|--|--|
| | | s/o Hazari r/o Chotala |
| | | 16. Sahib Ram s/o Hazara r/o Chotala |
| | | 17. Lal Chnad s/o Sukh Ram r/o Chotala |
| | | 18. Jagdish s/o Bahadur r/o Chotala |
| | | 19. Ved Paul s/o Sewa Ram r/o Chotala |
| | | 20. Bahadur s/o Sewa ram r/o Chotala |
| | | 21. Basakha s/o Bhoja Singh r/o Mojgarh |
| | | 22. Bahadur Ram s/o Jawana Ram, Harijan r/o Teja Khera. |
| | | 23. Ram Partap s/o Ram Rikh r/o |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | Lakhuana 24. Biru s/o Daya Singh r/o Chotala |
| 31. 11-8-83 | FIR No. 177 sdt. 3-7-82 u/s 452/323/148/149 IPC PS City Sirsa | 1. Dhana Ram s/o Dula Ram r/o Sirsa 2.Lila Ram s/o Tara Chnad r/o Sirsa 3. Sadhu Ram s/o Bhana Ram r/o Sirsa 4.Brij Lal s/o Tanusukh r/o Sirsa 5. Om Parkash s/o Uda Ram r/o Sirsa |
| 32. 1-9-83 | FIR No. 26 dt. 19-11-81 u/s 420/120-B SVB PS Hissar | 1. Jagdish Tiraksh S.K. Tractor CO. FBD 2. Shiv Kumar s/o S.K. Tractor Co. FBD 3. Rajinder Kumar Trikha S.K. Tractor |

| | | |
|------------|--|--|
| | | CO. FBD 4. Shoe Karan, Dealers r/o Mandi Dabawali. |
| 33. 5-9-82 | FIR No. 240/dt. 9-8-82 u/s 341/427/506/232/148/149 IPC PS City Sirsa | 1. Dhana Ram s/o Dulha Ram r/o Sirsa 2. Lila ram s/o Tara Chnad r/o Sirsa 3. Mohinder S/o Tara Chand r/o Sirsa 4. Pala Ram s/o Manga Ram r/o Sirsa 5. Sadhu Ram s/o Pala Ram r/o Sirsa 6. Sat Paul s/o Mota Ram r/o Sirsa 7. Santu s/o Mota ram r/o Sirsa 8. Raja Ram s/o Dunger Ram r/o |

| | | |
|-------------|--|--|
| | | Sirsa |
| 34. 2-12-83 | FIR No. 196 dt. 30-8-77 u/s 467/468/429/509 IPC PS sadar Dabwali | <p>1. Pawan Kumar s/o Munshi Ram r/o Mandi Dabawali</p> <p>2. ratti Ram s/o Suraj Bhan r/o Mohamadpur Distt. Mohindergarh</p> <p>3. Mani Ram s/o Sukhdev Bishnoi r/o Luxmisar, Gangana gar</p> <p>4. Subash Chander employee Marketing Society Dabwali.</p> <p>5. Madan Gopal s/o Hans raj r/o Mandi Dabawali</p> <p>6. Gordhan dass s/o Girdhari Lal r/o Mandi Dabawali</p> |

| | | |
|------------|--|---|
| 35. 5-2-84 | FIR No. 327 dt. 19-8-80 u/s 379/353/332/148/149 IPC PS Dabwali | 1. Nand Kishore s/o Parkash Chnad r/o Tappi 2. Iqbal s/o Baldev Singh Jat Sikh r/o Sakta Khera. 3. Gurdeep Singh s/o Prithi Singh r/o Mithri. |
| 36. 5-2-84 | FIR NO. 441 dt. 20-12-84 u/s 430/432/506 IPC PS Sadar Sirsa. | 1. Randhir s/o Nand Ram Jat r/o rampura Dilo. 2. Hazari s/o Pema Ram Jat r/o Rampura Dilo. |

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने सदन के पटल पर बड़ी लम्बी सूचना रखी है। इन्होंने 1-7-79 से लेकर 29-1-84 तक टोटल 174 ऐसे केस बताए हैं जो वापिस लिये गये हैं। इनमें से हिसार जिले के 53 हैं, सिरसा के 36 हैं और सोनीपत का एक केस है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इन दोनों जिलों पर इतनी कृपा क्यों की गई ? इसके साथ यह भी फरमा दें कि हिसार में जो जिन्दल इन्डस्ट्री में काम करने वाले लोगों के खिलाफ 148, 149 और 323 धाराओं के अधीन मुकदमे

बनाए थे उनमें से 18 आदमियों के खिलाफ मुकदमें वापिस क्यों कर लिये ? इसी तरह से 26 केस जिन्दल कोलानी के लोगों के वापिस लिये गये । क्या ये केस प्रभाव गाली आदमियों की वजह से वापिस लिये हैं या कोड और कारण हैं ? इससे आगे आप देखें कुछ 307 के मुकदमे भी वापिस लिये गये हैं, इनका क्या कारण है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह बता ठीक है कि हिसार और सिरसा जिलों में ज्यादा केस वापिस लिये गये हैं । इसका सब से बड़ा कारण यह है कि जब चौधरी देवी लाल मंत्री थे तो उन्होंने बहुत से लोगों के खिलाफ झूठे और गलत केस बनाये थे । जब मैं मुख्य मंत्री बना तो मैंने इनको देखा । मेरा फर्ज बनता है जिस आदमी के साथ ज्यादाती हुट हो उनको इन्साफ दूं । हमने लोगों को इन्साफ देने के लिए ये मुकदमें वापिस लिये हैं । जहां तक इन्होंने कहा कि जिन्दल इन्डस्ट्री में 18 लोगों के खिलाफ केस वापिस क्यों लिये गये, स्पीकर साहब, इसमें लेबर के केसिज है । अगर लेबर और मालिक का आपस में समझौता हो जाता है तो कसे वापिस हो जाता है । अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बहुत से केसिज ऐसे होते हैं जो कोर्ट में कामयाब नहीं होते और बहुत से केसिज ऐसे भी होते हैं जिनका कोर्ट के बाहर ही समझौता हो जाता है तो वह भी वापिस ले लिये जाते हैं । किसी के दबाव में आकर या किसी के साथ भेदभाव करके केस

वापिस नहीं लिये गये। हमारा किसी के साथ ज्यादाती करने का सवाल नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जो केस वापिस लिये गये हैं या जो वापिस लिये जाते हैं क्या उसके लिए सरकार ने कोई क्राइटेरिया भी रखा हुआ है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जब बहिन जी जनता पार्टी की अध्यक्ष थी उस समय 1977 से लेकर 1979 तक दो साल के अर्से में 86 केस वापिस लिये गये थे। मैंने तो 5 सालों के अन्दर केवल 174 केस ही वापिस लिये हैं। जहां तक केस वापिस लेने के लिए क्राइटेरिया का संबंध है यह केस की नौइयत पर डिपेंड करता है कि केस किस किस्म का है। कोर्ट में कामयाब होने वाला है या नहीं। अगर दोनों पार्टियों में समझौता हो जाए तब भी केस वापिस हो जाता है।

प्रो० सम्पत सिंह: मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो केस वापिस लिये गये हैं क्या इनमें एम्बैजलमेंट के, 307 के और क्रपान के केस भी शामिल हैं ? स्पीकर साहब, इनमें डायरेक्ट ऐवीडेंस है। ऐसा होता हुए भी इन्होंने ऐसे केसिज वापिस क्यों लिये ? दूसरे ऐसे कितने केस हैं जो इन्होंने लिये और वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्वैट हो गये ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं है कि कोई केस सुप्रीम कोर्ट ने क्वैट किया हो लेकिन

आप जानते हैं कि कोर्ट से केस विदड्रा करने का अधिकार कोर्ट की मर्जी से ही है। कोर्ट सरकार की रिकमेंडैशन को माने या न माने। इसलिये यह कोर्ट का ही फैसला है, सरकार का फैसला नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने यह पूछा था कि जब इन केसिज में डायरेक्ट ऐपीडेंस हैं तो वापिस क्यों लिये गये ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्वै ? कितने केस हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष: जहां तक क्वै ? होने की बात है उस बारे में इन्होंने कहा है कि मेरे इलम में नहीं है। दूसरी बात ऐपीडेंस है या नहीं जब कोर्ट ने अलाउ कर दिया तो गवर्नमेंट बीच में कैसे आती है ?

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि जो केसिज विदड्रा किये जाते हैं उनमें देखा जाता है कि केस कामयाब होने वाला है या नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि आया इस बारे में ला डिपार्टमेंट से भी एग्जामिन करवाया गया था ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसे केसिज को डिपार्टमेंट भी देखता है और डिस्ट्रिक्ट एटौर्नी भी देखता है कि केस कामयाब होने वाला है या नहीं। कुछ केसिज ऐसे भी होते हैं कि उनमें चाहे ऐपीडेंस भी क्यों न हो गई हो लेकिन दोनों

पार्टियों में समझौता होने के कारण उसके बाद भी वापिस हो सकते हैं। हमने लोगों की भलाई को देखते हुए ही ये केस वापिस लिये हैं

चौधरी ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने अभी बताया कि एक क्राइटेरिया यह होता है कि अगर केस कमजोर हो तो उसे वापिस ले लिया जाता है। जिन केसिज की इन्होंने लिस्ट दी है उनके बारे में क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से कौन कौन से केस कमजोर थे और कौन कौन से दूसरे कैटेगरी में आते हैं ? स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि इनमें कई 406 और 409 के केसिज भी हैं और इनमें डाकूमैटरी ऐवीडेंस होती है। इनको वापिस लेने का क्या कारण था ? इसी तरह से एक केस दफा 377 का था तो इसको वापिस क्यों लिया गया ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, 409 के केस गबन के होते हैं। किसी केस में पंचायत के सरपंच ने गड़बड़ कर रखी हो और बाद में उसे वापिस दे दिये हो और गांव वाले भी इस बात की पुष्टि कर दें तो ऐसे केस को गवर्नमेंट वापिस ले लेती है। जहां तक क्राइम केस का संबंध है, किसी भी भले आदमी के खिलाफ कोई केस दर्ज करवाया जा सकता है। ऐसे केस में सरकार मुनासिब समझ कर केस वापिस ले सकती है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने ठीक फरमाया कि कई बार गलत मुकदमे हो जाते हैं। ऐसे मामलों में इनका तजुरबा है, इनके साथ भी ज्यादाती हुई थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप यह बात न कह कर अपना सवाल पूछें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब इन्होंने अभी कहा कि जब कोर्ट की तसल्ली हो जाए तो इनकी मजबूरी होती है। अगर किसी केस में लोअर कोर्ट से सजा मिली हो, हाई कोर्ट से सजा मिली हो और सुप्रीम कोर्ट से भी सजा मिली हो लेकिन उसके बाद भी श्री परमा नन्द जी को ये गवर्नर साहब के द्वारा पार्डन करवा दें तो क्या मुख्य मंत्री जी उस बारे में पोजी इन क्लीयर करेंगे ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, श्री परमा नन्द अब डी.एस.पी. हैं। यह 1970 के केस की बात कर रहे हैं जब वे सिरसा में एस.एच.ओ. थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जुडिचियल मैजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा कायम रखी। उनको तीन साल की सजा और 500 रूपये जुर्माना हुआ था लेकिन गवर्नर साहब ने संविधान की धारा 161 के तहत उनको पार्डन किया है। संविधान की धारा के मुताबिक गवर्नर साहब को ऐसा करने का अधिकार है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, ये कहते हैं कि सरकार की मजबूरी है। स्पीकर साहब, सरकार मजबूर नहीं है। सरकार की मर्जी है जहां किसी को माफ करना चाहे वहां कर देती है और न चाहे वहां नहीं करती।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब आल पावरफुल हैं। (गोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, क्या इनको पता ही कुछ नहीं है कि क्या हो रहा है। (गोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी के जवाब के सीरियल नम्बर 22 पर मुकद्मा नम्बर 205 दिनांक 26-6-1978 धारा 307/353/332/145 थाना सदन हिसार क केसिज में बाली पत्नी ढांकल बि ानोई, मोहरम पत्नी प्रेम नारायण बि ानोई, बनारसी पत्नी भगवाना बि ानोई क्रिमिनल लोग हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रेम नारायण नाम का आदमी है क्या इसके खिलाफ कोर्ट में तीन और क्रिमिनल कसे चल रहे हैं और क्या इन केसिज में से दो केसिज वापिस लेने के लिए डी.सी. ने कोर्ट में दोबारा ऐप्लाई किया है ? स्पीकर साहब, डी.सी. ने, इस आदमी के खिलाफ जो तीन और केस कोर्ट में चल रहे हैं, उनमें से दो केसिज वापिस लेने के लिए कोर्ट में दोबारा ऐप्लाई किया हुआ है। दूसरा सवाल मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि इनकी वजारत में एक ऐसा व्यक्ति था जो पहले अपोजी ान

में था और बाद में कांग्रेस (आई) में आ गया। उस सदस्य के लड़के खिलाफ 377 का केस दर्ज था, क्या वह केस भी इन्होंने वापिस लिया है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो सवाल पूछे हैं। एक तो इन्होंने यह पूछा है कि क्या 307 का केस सरकार ने वापिस लिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इनके हल्के में एक गांव कालीरावण है। उस गांव का यह केस है। इस आदमी के खिलाफ 1978 में गलती से 307 का केस दर्ज हो गया। सरकार ने इस केस की पूरी तह में जा करके इंकवायरी वगैरह करके वापिस लिया है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने एक अन्य माननीय सदस्य के बारे कहा कि वह पहले अपोजी 11 में थे बाद में कांग्रेस (आई) में आ गए। (गोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, मैंने यह भी पूछा है कि जो प्रेम नारायण है, जिसके खिलाफ हिसार कोर्ट में जो तीन केस चल रहे हैं, उनमें से डी.सी. ने दो केस वापिस लेने के लिए क्या कोर्ट में फिर दोबारा ऐप्लाई किया हुआ है ? (गोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि सरकार 100 केसिज वापिस लेने के लिए ऐप्लाई कर सकती है, अगर सरकार मुनासिब समझेगी तो केस वापिस लेने के लिए कोर्ट

में ऐप्लाइं जरूर करेगी। संविधान के तहत सरकार को जो अधिकार प्राप्त है, सरकार उनका उपयोग अवय करेगी। किसी के कहने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। (गोर) आप सुनने की कृपा कीजिए। (गोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जो आदमी क्राइम करने में हैबीचुअल हो जाता है, उस आदमी के केस विदड़ा नहीं होने चाहिए। (गोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Mr. Sampat Singh, you are a Professor. When the Leader of the House is on his legs, you should at least not stand up.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उस भारीफ आदमी के खिलाफ गलती से केस दर्ज हो गया था और इंक्वायरी के दौरान यह पाया गया कि वह आदमी मौके पर था ही नहीं, गलती से उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया। वह आदमी कहीं और जगह पर गया हुआ था, उसके खिलाफ फिर भी केस दर्ज करवा दिया। सरकार ने यह महसूस किया कि वाकई में इस आदमी के साथ ज्यादाती हुई हैं, इसलिए सरकार ने केस वापिस ले लिया इसमें कोई दो राय नहीं है। (गोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जो आदमी पहले अपोजीशन में था और बाद में कांग्रेस (आई) में आ गया उसके लड़के के खिलाफ जो 377 का केस दर्ज था वह इन्होंने वापिस ले लिया। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरे मुख्य मंत्री होते हुए ही यह केस दर्ज हुआ था और मैंने मुख्य मंत्री होते हुए ही यह केस वापिस लिया है। इसके अलावा, मुझे जहां तक मालूम है और जहां तक मैं समझता हूं, वे अपोजी टान में नहीं थे। (गोर एवं विघ्न)

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो श्री परमानन्द वाला केस है इसको माफ करने के लिए क्या सरकार ने गवर्नर साहब को रिकमेंड किया है या श्री परमानन्द ने खुद गवर्नर साहब को माफी के लिए रिप्रिजेंट किया है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, परमानन्द जी ने खुद गवर्नर साहब को रिप्रिजैन्ट किया है कि मेरे साथ ज्यादाती हुई है और इसमें मेरा कोई दोश नहीं है इसलिए गवर्नर साहब मुझे इन्साफ दें। (गोर एवं विघ्न)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इनकी बात रिकर्ड में आ रही है। (विघ्न) स्पीकर साहब, परमानन्द जी को सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्साफ दिया नहीं और गवर्नर साहब ने उनको इन्साफ दे दिया। (गोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, मैं आपको बोलने के लिए टाईम दूंगा। (गोर एवं विघ्न)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं तो इनकी पोजी 11 न सेफ कर रहा हूँ। यह एक बहुत ही सीरियस मैटर है। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब बहुत सीनियर मैम्बर हैं, बहुत पुराने आदमी हैं इनको यह पता होना चाहिए कि यदि किसी आदमी को फांसी की सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति उसको भी माफ करते हैं। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने जो केस वापिस लिए हैं उनकी एक बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने रखी है इसमें कितने पोलिटिकल केसिज हैं जो विदड्रा हुए हैं और कितने दूसरे केसिज हैं ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि 7 सितम्बर 1979 को मेरे खिलाफ और 27 दूसरे आदमियों के खिलाफ चौधरी भजन लाल जी ने जो झूठे केस बनवाए थे क्या वे केसिज भी वापिस लिए जाएंगे ? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि श्री बृज मोहन सिंगला ने मंत्री बनते ही एक केस दर्ज करवाया था क्या वह केस भी वापिस लिया जाएगा ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि यदि इनके साथ कोई ज्यादइती हुई है तो ये लिख करके भिजवा दें, उस बारे में इंकवायरी करवा करके इनको इन्साफ देंगे। जहां तक इन्होंने यह पूछा है कि कितने केस

पोलिटिकल हैं और कितने दूसरे हैं, इस बारे में मैंने इनके सामने एक बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट रखी है ये मेहरबानी करके इसको पढ़ लें। इनको यह पता चल जाएगा कि इनमें कितने पोलिटिकल केसिज हैं और कितने दूसरे केसिज है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था कि ये सारे काम पुराने चीफ मिनिस्टर के किए हुए हैं, मैंने किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करवाया। अगर ये काम मैंने किए होते तो कोई भी केस वापिस नहीं लेता। स्पीकर साहब, इस जवाब के पेज 18 पर इन्होंने फरमाया है कि फतेहाबाद के अन्दर अभी पिछले दिनों धारा 406 और 420 के केसिज दर्ज हुए हैं। वहां पर सूरजमान वल्द श्री श्रीराम भट्टे वाले के खिलाफ इनके राज में ही 15-3-1980 को मुकदमा दर्ज हुआ और इन्होंने ही 30-11-1982 को वह केस वापिस लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने इस केस के बारे में गलती का अहसास किया या इनके ऊपर कोई दबाव पड़ गया या उन्होंने यह कहा कि आयांदा हम आपकी ताबेदारी करेंगे। इनमें से कौन सी बात हुई जिसके कारण इन्होंने वह केस वापिस लिया। साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन्होंने यह कैसे कह दिया कि इनके वक्त में कोई झूठा केस दर्ज नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष: डा० साहब, मुकदमा दर्ज करते वक्त पुलिस वाले मुख्य मंत्री या एस०पी० से यह नहीं पूछते और न ही होम मिनिस्टर से यह कहते है कि हम यह केस दर्ज करने जा रहे है।

केस दर्ज होने के बाद की बात आप कह सकते हैं। (गोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, आपने ठीक फरमाया है। (गोर एवं विघ्न)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने यह कैसे कह दिया कि मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। स्पीकर साहब, 23 दिसम्बर 1983 को फतेहाबाद में बेतहा ग केस दर्ज हुए हैं। (गोर एवं विघ्न)

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था कि ऐसे केसों को ला-डिपार्टमेंट ऐग्जामिन करता है। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि कालका सब-डिविजन में बहुत से झूठे केस दर्ज किए हुए हैं। क्या मुख्य मंत्री जी उन केसों को ला-डिपार्टमेंट से ऐग्जामिन करवाने की कृपा करेंगे और जो केसा कामयाब होने वाले हैं उनका चालान करवाएंगे ओर जो केस नाकामयाब होने वाले हैं उनको विदड्रा करेंगे?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरदार लछमन सिंह जी ला-डिपार्टमेंट से केसों को ऐग्जामिन करवाने की बात कहते हैं, मैं इनको यह कहता हूँ कि ये लिख करके भेज दें कि यह केस ठीक नहीं हैं और इस केस की इंकवायरी करवाई जाए। जिस

अफसर से ये उस केस की इंकवायरी करवाना चाहेंगे उसी अफसर से इंकवायरी करवा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वै चन श्रीमती चंद्रावती। (गोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह बहुत ही अहम सवाल है इसमें बहुत से किमिनल केस सरकार विदड्रा किए है। काफी केस ऐसे है जिनमें लोग काइम के हैबीचुअल हो गए है और उनके केस विदड्रा हुए है। सरकार ने भी इस सवाल का जवाब देने के लिए तीन दिन का समय ज्यादा ले लिया था। हम इस सवाल के बारे में पूरी तैयारी करके आए है और हमारे पास इस सवाल के बारे में पूछने के लिए बहुत सा मसाला है।

श्री अध्यक्ष: मैंने इस सवाल के लिए आपको 17-18 मिनट का टाईम दिया है और आपने भी तीन चार सप्लीमेंटरी पूछी है। डा० साहब को भी दो तीन सप्लीमेंटरी पूछने के लिए मौका दिया है। इस सवाल के लिए मैंने काफी समय दिया है। अब मैंने लीडर आफ दि अपोजी इन को अगले सवाल के लिए काल अपौन कर लिया है। (गोर एवं विघ्न)

श्रीमती चंद्रावती: स्पीकर साहब, आप इस सवाल के लिए थोड़ा समय और दे दें उसके बाद मैं अपना सवाल पुट कर दूंगी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह काफी अहम मामला है इस पर आप हमें सप्लीमेंटरी पूछने के लिए और टाईम दें।
(गोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: No pleas. I have given sufficient time on this point. You please sit down. Now, we will take up the list of questions for to-day.

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Embezzlement of Stationery Store in Haryana State Electricity Board

***521. Shrimati Chandravati:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any employees of the haryana State Electricity Board were placed under suspension in December, 1981, on the charge of embezzlement of stationery stores; if so, the cost of the stationery store embezzled togetherwith the names and designations of the employees involved therewith;

(b) whether any case against any of the employees referred to in part (a) above, has been registered with the police; if so, the present position thereof; and

(c) whether the cost of embezzled store, or any part thereof has been recovered from any of the employees as referred to in part (a) above; if so, the details thereof?

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes. Two employees were placed under suspension in December, 1981 on the charge of embezzlement of stationery worth Rs. 7.28 lakhs. Their names and designations are given as under:-

1 Shri P.D. Mahendru, Superintendent.

2 Shri J.P. Sharma, Assistant.

(b) F.I.R. was lodged with the police authorities of Sector-17, Chandigarh and the case is still under investigation with the concerned authorities.

(c) Cost of embezzled stores has not been recovered from any of the employees so far.

श्रीमती चन्द्रावती: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इस केस में जो दो कर्मचारी निलम्बित किए गए थे, क्या उनको दुबारा नौकरी में लिया गया है या नहीं ? दूसरा सवाल यह है कि 7 लाख 28 हजार रूपये की रिकवरी की क्या स्टेज है ? साथ ही साथ मंत्री जी यह भी बता दें कि क्या रिकवरी के लिए उनकी प्रोपर्टी आदि को कब्जे में लिया गया है या नहीं और इस केस में इन दो कर्मचारियों के अलावा और तो कोई कर्मचारी भामिल नहीं था ?

चौधरी भाम र सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, श्री पी.डी. महेन्द्र, अधीक्षक तो रिटायर हो चुका है। इस केस में भामिल होने की वजह से उसे अभी तक उसकी ग्रेचुइटी नहीं दी गयी है। वह बिजली बोर्ड ने रोक दी है। दूसरे जे.पी. भार्मा

सहायक है, वह अभी निलम्बित है। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस केस में और कोई तो भामिल नहीं है, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले बिजली बोर्ड ने एक अन्डर सैक्रेटरी को सस्पेंड किया था लेकिन बाद में उसे रि-इनस्टेंट कर दिया। मैं हाउस की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि इस सवाल के बारे में डिस्कान के दौरान बिजली बोर्ड के व्यू से मेरी तसल्ली नहीं हुई। मैंने इस केस में अलग से इन्क्वायरी करने के लिए कहा है कि आया इसमें कोई और तो भामिल नहीं है। अगर कोई और आदमी भामिल होगा तो जरूर कार्यवाही करेंगे।

चौधरी साहब सिंह सैनी: अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में माना है कि इस केस में दिसम्बर, 1981 में सस्पेंडान हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह गबन कब डिटैक्ट हुआ और केस कब रजिस्टर हुआ ?

चौधरी भामिनी सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, यह केस 16-7-1981 को डिटैक्ट हुआ और 18-12-1981 को रजिस्टर हुआ था। एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में कोई देरी नहीं हुई। इस केस की एफ.आई.आर. नं. 1015 है। यह केस अन्डर सैक 109, 420, 120, 467, 468 और 471 आई.पी.सी. के तहत पुलिस स्टेशन 17, चण्डीगढ़ में दर्ज हुआ है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी मंत्रजी ने फरमाया है कि हम इस केस की अलग से इन्कवायरी करवा रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि 1981 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मुकदमें को दर्ज करवाये हुए चारी साल हो चुके हैं, क्या कभी बिजली बोर्ड ने इस केस को परसू करने के लिए कोई रिमाइन्डर आदि दिया है ? इस केस को हुए समय बहुत अधिक हो गया है और एक अधीक्षक भी रिटायर हो चुका है। दूसरा व्यक्ति जो इस केस में भागिल है, वह अभी निलम्बित है। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूँगा कि जो इस सवाल का पार्ट बी है, उस पर आपने क्या ऐक्शन लिया है ?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: पार्ट बी का तो जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ।

श्री मंगल सैन: मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस पर क्या ऐक्शन लिया है ?

चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, डिपार्टमेंट का अपना तरीका होता है, किसी केस को परसू करने का। वह केस को परसू करने के लिए कोई लेटर आदि भी लिखता है। डिपार्टमेंट किसी केस को अलग से तो परसू नहीं करता। इस केस में भी डिपार्टमेंट ने लेटर आदि लिखे होंगे। जैसा अभी मैंने कहा था, इस केस की मैंने दुबारा इन्कवायरी करने के लिए आज सुबह ही बिजली बोर्ड को आदेश दे दिए हैं और पूछा है कि यह

केस कब से पेंडिंग है तथा इंकवायरी में देरी के क्या कारण है? इस केस की अलग से रिपोर्ट मैंने बिजली बोर्ड से मांगी है।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: अध्यक्ष महोदय, इस केस को पेंडिंग पड़े हुए पौने तीन साल के करीब हो गए है और इस में प्रोग्रैस अभी तक नील है। क्या मंत्री महोदय हाउस को यह बताने की कृपा करेंगे कि फलां डेट तक रिकवरी कर ली जाएगी?

चौधरी भाम े र सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगा कि किमिनल केस में यदि ऐम्बैजलमेंट साबित हो जाए तो उसके बाद ही डिपार्टमेंटल जांच के दौरान ऐक्शन लेकर रिकवरी की जा सकती है। जब तक ऐम्बैजलमेंट साबित नहीं हो जाता तब तक रिकवरी करना संभव नहीं है। मैंने अपने जवाब में बताया है कि इस केस में भामिल अधीक्षक की ग्रेचुइटी आदि रोकी हुई है। जब तक केस फाईनल नहीं हो जाता तब तक उस की राशि का भुगतान बिजली बोर्ड उसे नहीं करेगा। एक आदमी जो अभी निलम्बित है, उससे रिकवरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक रिकवरी नहीं हो सकती।

श्री फतेह चंद विज: अध्यक्ष महोदय, 1978 के अंदर ऐम्बैजलमेंट का पता चल गया था और मुकदमा 1981 में जाकर दर्ज किया गया था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि

तीन साल तक इन्होंने क्या कार्यवाही की और क्या आडिट वालों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिलाया था?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इंटरनल आडिट के समय ही 1981 में पता चला कि यह गबन हुआ है। जिस समय गबन का पता चला, उसी समय एफ0आई0आर0 दर्ज करवा दी गयी।

श्री कंवल सिंह: क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस रिकवरी के लिए कोर्ट के अंदर कोई केस दायर किया गया है या नहीं?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: रिकवरी करने के कई तरीके हैं। जैसे रिटायर्ड अधीक्षक की ग्रेचुइटी रोक दी गई है। जहां तक रिकवरी के लिए कोर्ट में जाने का सवाल है, उस संबंध में मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि अभी तक कोर्ट में सिर्फ किमिनल केस ही रजिस्टर करवाया गया है और कोई केस रजिस्टर नहीं करवाया है।

श्रीमती चंद्रावती: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सिविल सूद के द्वारा यह पैसा रिकवर किया जा सकता है या नहीं? दूसरा सवाल यह है कि अकाउंटैंट जनरल ने ही अपने आडिट केक समय यह त्रुटि पायी थी या इससे पहले भी बोर्ड का कोई ध्यान इस ओर गया था?

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: यह प्वायंट बिजली बोर्ड के इंटरनल ऑडिट के समय ही नोटिस में आ गया था। दूसरी बात यह है कि रिकवरी केवल सिविल सूट से ही नहीं हो सकती है, उसके लिए अलग से कई और तरीके हैं। एक तरीका तो डिपार्टमेंटल ऐक्ट्स का है। दूसरा तरीका क्रिमिनल केस में कोर्ट सजा भी दे सकती है और फाईन भी कर सकती है। जो फाईन कोर्ट करती है वह मुद्दे को एम्बेजलमेंट के बदले में मिल जाता है।

Plying of Buses by other States in Haryana Territory

***534. Prof. Sampat Singh:** Will the Minister for Transport be pleased to state-

(a) whether any Bus Operators belonging to the States other than the State of Haryana have been permitted by the Government to ply private buses in the State;

(b) if so, per day number of kilometres permitted to be covered by such buses together with the monthwise amount of passengers tax realised from them during the period from April, 1982 to-date.

(c) the number of kilometres covered by Haryana Roadways buses in the State together with the monthwise and Depotwise amount of passengers tax paid by Haryana Roadways during the period from April, 1982 to-date; and

(d) the number of kilometres, if any allotted to the private bus operators by the Rajasthan Government on:-

(i) Hissar Bhadra and

(ii) Fatehabad Nohar (via Bhattu Kalan)

routes togetherwith the monthwise amount of passengers tax realised fromthem during the period from April, 1981 to-date together with the amount of passengers tax paid by the Haryana Roadways buses on the same routes for the same number of kilometres during the same period?

श्री अध्यक्ष: इस प्र न के लिए गवर्नमेंट ने ऐक्सटेंशन मांगी है जो कि ग्रान्ट कर दी गई है। इस बारे में सम्बन्धित मंत्री से आया पत्र इस प्रकार है:-

Interim Reply

“Col. Rao Ram Singh

D.O. No. 409-UST-84/320

Minister,

Transport Department

Haryana, Chandigarh.

March 15, 1984.

My dear Sardar Sahib,

Starred question No. 534 relating to the Transport Department is due on Monday, the 19th March, 1984, All

possible efforts have been made to collect the requisite information from the field but it has not been possible to do so. It is, therefore, requested that an extension for a period of 10 days may be granted to enable the department to prepare the reply. It is assured that no further extension would be requested.

Best wishes,

Yours sincerely,

Sd/-

(Col. Rao Ram

Singh)

Sh. Tara Singh,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

श्री मंगल सैन: क्या इस सवाल का जवाब इसी सै न
में आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: जी हां।

Starred Question No. 550

This question was not put as the hon. Member, Sh. Lachhman Singh Kamboj, was not present in the House.

New Koth Minor

***554. Sh. Inder Singh Nain:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether the work for the construction of the New Koth Minor in District Hissar has been started; and

(b) if so, the time by which the construction of the afore said minor is likely to be completed?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala):

(a) Yes.

(b) The work is likely to be completed by 31-3-1985.

श्री इन्द्र सिंह नैन: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो नई कोथ माईनर बनाई जा रही है, इससे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और क्या इस माईनर की फरदर लाइनिंग करने की स्कीम गवर्नमेंट के विचाराधीन है ?

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: नई कोथ माईनर स्कीम गवर्नमेंट ने सैव इन की है और यह 19000 आर.डी. लम्बी बननी थी जिस पर 14.4 लाख रूपया खर्च होना था। इस मानईर के आस पास के गांव जिन में कोथ गांव भी शामिल है और ये माननीय सदस्य के इलाके के गांव हैं। इन गांवों में लोगों ने रिप्रेजेंट किया था कि इस माईनर को फरदर एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि इसका बैनिफिट इन लोगों को भी पहुंचे। अब यह 19000 आर.डी. से बढ़ा कर 45000 आर.डी. तक एक्सटेंड की

जाएगी और इस पर टोटल 35.24 लाख रुपया कास्ट आयेगी। फिलहाल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से अनलाइन्ड चैनल के तौर पर बनानी है जिस पर लगभग 14 लाख रुपया खर्च होगा। बाद में वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत इसको फरदर लाइन्ड किया जाएगा। जहां तक यह सवाल है कि कितने एकड़ जमीन को पानी लगेगा, इसका जवाब इस वक्त मेरे पास नहीं हैं क्योंकि इस सवाल का सम्बन्ध बेसिक सवाल से नहीं है। अगर मैम्बर साहब सैप्रेट सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं इसका जवाब हाउस के अन्दर या बाहर दे सकता हूँ।

Regularisation of service of aAd-hoc Teachers

***558.@Dr. Bhim Singh Dahiya, Sh. Hira Nand Arya, Ch. Kulbir Singh Malik:** Will the Minister of State for Education be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularise the services such teachers as are working in the State on ad-hoc basis after they have put in uninterrupted service of not less than two years; and

(b) if so, details thereof?

State Minister for Education (Sh. Jagdish Nehra):

(a) No.

(b) Question does not arise.

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, 15 सितम्बर, 1982 को सरकार ने एक क्राइटीरिया बनाया था कि इस तारीख तक जिन एडहोक टीचर्स की सर्विस दो साल से ज्यादा हो गई है उनको रैगुलर किया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि उस फैसले पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री जगदी ा नेहरा: अध्यक्ष महोदय, चीफ सैक्रेटरी साहब की तरफ से एक सरकुलर सरकुलेट हुआ था कि 15-9-82 तक जिन एडहोक कर्मचारियों की सर्विस दो साल पूरी हो गई है, उनकी इन्फर्मे ान भेजी जाए।

चौधरी ओम प्रका ा: स्पीकर साहब, जिन लोगों की सर्विस 15-9-82 को दो साल की हो चुकी है लेकिन सर्विस में नहीं हैं, क्या उनका रैगुलर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री जगदी ा नेहरा: जो कर्मचारी सर्विस में नहीं है उनको रैगुलर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन जो सर्विस में है उनके बारे में सरकार सोचेगी लेकिन अभी ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है।

चौधरी साहब सिंह सैनी: क्या ि ाक्षा मंत्री महोदय बतायेंगे कि 15-9-82 तक जो टीचर्स रैगुलर नहीं थे, उनकी संख्या कितनी थी और 15-9-1982 के बाद जिन कर्मचारियों की

सर्विस दो साल से ज्यादा हो चुकी है, उनको रैगुलर करने के लिए क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री जगदी । नेहरा: जिन कर्मचारियों की सर्विस 15-9-82 को दो साल की पूरी हो गई है, उनकी तरतीब इस प्रकार है:-

| | |
|-----------------------|------|
| प्राध्यापक | 18 |
| मास्टर / मिस्ट्रै सिज | 231 |
| सी. एंड वी. | 1042 |
| जे.बी.टी. | 1017 |

इसके इलावा माननीय सदस्य ने यह भी पूछा कि जिन कर्मचारियों की सर्विस 15-9-82 को दो साल से ज्यादा हो गई है, उनको रैगुलर करने का मामला विचाराधीन है या नहीं। इस बार में मेरा कहना यह है कि जहां तक शिक्षा विभाग का ताल्लुक है, 1-4-1980 तक जिन कर्मचारियों की सर्विस दो साल से ज्यादा हो चुकी थी, उनको रैगुलर कर दिया गया था। दूसरों के बारे में कोई केस विचाराधीन नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्य: स्पीकर साहब, इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था कि इन एडहौक कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा। क्या शिक्षा मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो अध्यापक 15-9-82 के बाद भी सर्विस में थे, उनको रैगुलर करने के लिए

कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि 15-9-82 को जो कर्मचारी सर्विस में थे, उनको हटाया तो नहीं गया ? अगर हटाया गया है और सरकार के आदे की पालना जिन कर्मचारियों ने नहीं की है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री जगदीश नेहरा: जिन्होंने इस मामले में गड़बड़ की है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, सरकार ने सभी महकमों के एडहौक कर्मचारियों के बारे में निर्णय लिया है कि कर्मचारियों की सर्विस दो साल पूरी हो चुकी है उनको रैगुलर कर दिया जाएगा। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनको अभी तक क्यों रैगुलर नहीं किया गया ?

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, चीफ सैक्रेटरी ने सब डिपार्टमेंट्स से यह इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि हरियाणा में 15-9-82 तक कितने एडहौक कर्मचारी हैं। जहां तक शिक्षा विभाग का ताल्लुक है, यह अलग मामला है तथा अभी तक उनको रैगुलर करने की बात सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, 15-9-82 तक जिन कर्मचारियों की सर्विस के दो साल पूरे हो चुके हैं या जिन को दो साल से लम्बी सर्विस हो गई है, क्या उनको रैगुलर करने के लिए सरकार सोच रही है या नहीं ? दूसरा सवाल यह है कि जो

कर्मचारी 15-9-82 को या हफ्ता दस दिन पहले सर्विस से रिलीव हो गये थे और जिनकी सर्विस का पीरियड दो साल से ज्यादा हो चुका था, क्या इनको भी रैगुलर करने की बात सरकार सोच रही है ? अगर सोच रही है तो क्या यह इन्स्ट्रक्शन कारपोरेट अंज वगैरा पर भी लागू होगी या नहीं ?

श्री जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, सब महकमों के बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा है कि 15-9-82 को जो कर्मचारी सर्विस में नहीं थे, उनको रैगुलराइज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां तक सर्विस में बैनिफिट देने का सवाल है, शिक्षा विभाग उन कर्मचारियों को वेटेज देता है जिनका एक्सपीरिएंस हो।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, शिक्षा मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि 1-4-80 तक जिन कर्मचारियों की सर्विस दो साल से ज्यादा थी उनको रैगुलर किया गया है। इन्होंने कुछ कैटेगरीज के नाम लिये हैं। क्या इनको पेंशन में और ग्रेचुटी में भी बैनिफिट दिया जाएगा ?

श्री जगदीश नेहरा: बाद में जो कुछ भी होगा रूलज के अनुसार होगा।

श्री निहाल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिन कर्मचारियों की सर्विस चार साल की हो गई है, उनको रैगुलर करने में क्या दिक्कत है ? स्पीकर साहब, इन्होंने एक्सपीरिएंस

हासिल कर लिया है, सर्विस का रिकार्ड बन गया है इनको रैगुलर क्यों नहीं किया जाता ओर जिन लोगों को एक्सपीरिएंस नहीं है उनको भर्ती क्यों किया जा रहा है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, सरकार ने फ़ैसला लियसा है कि 15-9-82 को जिन कर्मचारियों को दो साल हो गये हैं और वह सर्विस में हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उन सब को रैगुलर किया जाएगा।

डा. भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि जिन टीचर्ज की सर्विस 1-4-80 को दो साल से ज्यादा हो गई थी उनको रैगुलर किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जो टीचर्ज की कैटेगरीज मिनिस्टर साहब ने गिनाई हैं उनमें एक कैटेगरी नर्सरी टीचर्ज की भी हैं, क्या इनको भी यह बैनिफिट मिला है या नहीं ? अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जिन टीचर्ज के दो साल पूरे हो गये हैं उनको रैगुलर किया जाएगा। क्या यह पालिसी आगे भी कंटीन्यू रहेगी कि जो कर्मचारी सारे डिपार्टमेंट्स में एडहौक लगाये जाएंगे ओर दो साल पूरे करेंगे, उन्हें आगे कंटीन्यू किया जाएगा ?

श्री जगदी । नेहरा: स्पीकर साहब, नर्सरी टीचर्ज ऐजुके ।न डिपार्टमेंट में नहीं हैं इनका ताल्लुक हैल्थ डिपार्टमेंट से हैं बालवाड़ी और नर्सरी की कलासिज सो ।ल वैल्फेयर डिपार्टमेंट के अंडर भी लगाई जाती है। ऐजुके ।न डिपार्टमेंट का

इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक पालिसी के कंटीन्यू करने का सवाल है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे की बात आगे देखी जाएगी।

श्री भागी राम: क्या मंत्री जी के नोटिस में यह बात है कि डी०पी०आई० ऑफिस से सभी डी०ई०ओज० को एक लैटर इ पू हुआ था कि जो जे.बी.टीज. मैट्रिक में एक सबजैक्ट में फेल हैं उनको रिलीव कर दिया जाए और कई जगह वे रिलीव भी हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष: इसके लिए आपको सैपरेट नोटिस देना पड़ेगा।

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल: अध्यक्ष महोदय, लेडी पी.टी. आईज. ने जिस इंस्टिट्यूटान से कोर्स पास किया था वह पहले हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से रिकोगनाइज्ड था लेकिन बाद में उसे डी-रिकोगनाइज कर दिया गया और जिन लेडी पी.टी.आईज. की 4-4, 5-5 साल की सर्विस थी उन्हें हटाया गया। क्या मंत्री जी बताएंगे कि उन लेडी पी.टी.आईज. के बारे में सरकार की अब क्या पालिसी है ?

श्री जगदी 1 नेहरा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा वह दुरुस्त है। कई ऐसी पी.टी.आईज. थीं जिनकी कई दिनों की सर्विस हो गई थी लेकिन उनके पास इक्विलेंट सार्टिफिकेट जिसकी ऐजुकेटान डिपार्टमेंट को जरूरत होती है

चूंकि नहीं था इसलिए उन्हें हटाना पड़ा। अध्यक्ष महोदय हुआ यह कि पंजाब गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हरियाणा के कोर्स को रिकोगनाइज नहीं किया इसलिए ऐजुके इन डिपार्टमेंट हरियाणा ने भी उनके कोर्स को रिकोगनाइज नहीं किया। जहां तक इनकी इस बात का सम्बन्ध है कि उनकी 4-4 और 5-5 साल की सर्विस हो गई थी, इस बारे में हम सहानुभूति से विचार कर रहे हैं ताकि उनकी समस्या हल हो सके।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरे पिछले सवाल का जवाब भी ठीक नहीं आया। मेरा सवाल यह था कि जिस कर्मचारी को 15-9-82 को, 2 साल पूरे हो गए थे लेकिन एक रोज का जो गेप देते हैं या ब्रेक देते हैं वह आ गया था उनके बारे में सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य श्री राम बिलास भार्मा जी ने जो सवाल पूछा था वह भी बड़ा वाजिब सवाल है। कई कर्मचारी जैसे तो 6 साल से नौकरी में थे लेकिन रैगुलर हुए 15-9-82 को। क्या सरकार उनकी रिट्रोस्पैक्टिव इफैक्ट से फ़ैसिलिटीज देने के बारे में विचार कर रही है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खुद वकील है और समझते हैं कि ऐडहौक सर्विस पर्मानेंट सर्विस में शामिल नहीं हो सकती। जिस दिन से कोई रैगुलर होगा उस दिन से ही उसे रैगुलर सर्विस में शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष

महोदय, एक बात इन्होंने कही कि किसी के 10 दिन कम रह गए, किसी के 15 दिन कम रह गए, इसके बारे में अर्ज यह है कि सरकार को कोई न कोई डेट तो फिक्स करनी ही पड़ेगी। सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 15-9-82 तक जो कर्मचारी सर्विस के अन्दर थे और जिनकी सर्विस उस तारीख तक दो साल की हो चुकी थी उन सबको रैगुलर कर दिया जाएगा।

श्री ए.सी. चौधरी: माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी बात कलीयर कर दी है लेकिन एक सवाल मैं आपके माध्यम से और पूछना चाहूंगा। यह ठीक है कि सरकार ने 15-9-82 एक टारगैट डेट फिक्स की थी लेकिन जिन लोगों को 15-9-82 से पहले ही दो दो, तीन तीन और चार चार साल सर्विस करने के बाद निकाल दिया गया था और जो आज के दिन ओवर एज होने जो रहे हैं क्या वे अगर नौकरी में आना चाहें तो क्या सरकार उनके साथ सहानुभूति रखते हुए उनकी मदद करेंगी ?

श्री जगदी । नेहरा: अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को इन्टरव्यू में वेटेज दिया जाता है। सर्विस के अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग वेटेज दिया जाता है।

डा. भीम सिंह दहिया: मंत्री महोदय ने कहा कि नर्सरी टीचर्स ऐजुके ान डिपार्टमेंट के मातहत नहीं है बल्कि सो ाल वैल्फेयर डिपार्टमेंट के मातहत है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि 15-9-82 वाला सर्कुलर सभी डिपार्टमेंट्स में लागू होना

था। क्या मुख्य मंत्री जी या सो ल वैल्फेयर मिनिस्टर यह बताएंगे कि नर्सरी टीचर्ज को क्यों रैगुलेराइज नहीं किया गया ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा था कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, उसमें अगर किसी ऐडहोक कर्मचारी की सर्विस 15-9-82 को दो साल की हो गई थी और वह उस दिन सर्विस में था तो वह ऑटोमैटिकली रैगुलर हो जाएगा।

Crops damaged due to Floods

***568. @Ch. Balvir Singh Grewal, Ch. Kulbir Singh Malik:** Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state:-

(a) the total area of land affected by floods during the calender year 1983 together with the extent of damage, in terms of rupees, caused to the crops due to floods;

(b) whether any steps have been taken or are proposed to be taken to compensate the farmers whose crops have been damaged; if so, the details thereof; and

(c) the total area of land, out of that referred to in part(a) above, as was under flood waters on 31-12-1983 and the time by which the said area is likely to be dewatered?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा):

(क) 363528 हैक्टेयर

503947755 रूपये

(ख) नकद मुआवजा नहीं दिया जाता फिर भी बाढ़ के दौरान नष्ट हुई फसलों के लिए निर्धारित दर अनुसार भूमि जोतकर तथा आबियाना की मुआफी दी गई थी। तकावी कर्जा एवं सहकारी कर्जा की वसूली का स्थगन किया गया था। पात्र किसानों को सहायता के रूप में खाद, बीज व सबसिडी भी दी गई।

(ग) भूमि को थोड़ा सा क्षेत्र लगभग 2000 हैक्टेयर अधिकतर निचले स्थानों में अभी जलमग्न है। इसमें से भीघ्र ही जल निकासी कर दी जाएगी।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: अध्यक्ष महोदय, कपास की फसल बरबाद होने में लगभग 80 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और फ्लड से 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। किसान की इकौनोमी बिल्कुल बरबाद हो चुकी है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि किसान की इकौनोमी को ठीक हालत में लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय, 31-12-83 को दो हजार हैक्टेयर से ज्यादा भूमि पानी में थी। किसान की खरीफ और रबी की फसलें बरबाद हो गई हैं। क्या किसान को मुआवजा देने की कोई प्रोजेक्ट सरकार के सामने हैं ?

श्री लछमन दास अरोड़ा: मैंने अभी बताया कि नकद मुआवजा देने की कोई स्कीम सरकार के सामने नहीं है। खाद, बीज और उसकी जरूरत की अन्य चीजों के लिए उन्हें हर तरह से ऐकमोडेट किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, दो हजार हैक्टेयर भूमि में पानी होने की बात ठीक है। पानी जींद में भी है और रोहतक में भी है। रोहतक से पानी की निकासी का काम जारी है। जींद के गांवों में निचले हिस्सों में पानी भरा हुआ है लेकिन साइड में फसलें बोई हुई है।

चौधरी धीर पाल सिंह: क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बादली हल्के में कितनी भूमि पानी के नीचे हैं और पानी को वहां से न निकालने का क्या कारण है ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि 2 हजार हैक्टेयर जमीन में पानी है लेकिन मैं कहता हूं कि इससे भी ज्यादा जमीन पानी के नीचे हैं। मुख्य मंत्री जी बहादुरगढ़ गए थे और इन्होंने वहां की हालत स्वयं देखी थी। (विघ्न)

श्री लछमन दास अरोड़ा: स्पीकर साहब, जिलावाइज फिगरज सवाल में नहीं पूछी गई थी। इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए। इस समय तो मैं इतना बता सकात हूं कि रोहतक जिले में 28 गांवों में पानी है और जींद जिले में 10 गांवों में पानी है। रोहतक जिले में तकरीबन 1900 हैक्टेयर भूमि पानी के नीचे है और जींद जिले में 153 हैक्टेयर भूमि पानी के नीचे हैं। (विघ्न)

(इस समय चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला जवाब देने के लिए खड़े हुए)

कुछ आवाजें: सम्बन्धित मिनिस्टर ही इस सवाल का जवाब दें तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: ज्वायंट रिसपोंसिबिलिटी है। कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, अरोड़ा साहब ने जो फिगरज दी हैं वे पिछले साल की हैं। इस समय रोहतक, सोनीपत और जींद में हजारों या सैकड़ों एकड़ में पानी नहीं है। वे दिसम्बर, 1983 की फिगरज दे गये। चार पांच पौकटस में कहीं 20 एकड़ में और कहीं पर 50 एकड़ जमीन में पानी है।

श्री मंगल सैन: सर, ये दो तीन भाशा बोल रहे हैं। You kindly take cognizance of it Sir. (Interruptions)

Mr. Speaker: All right. I defer further supplementaries on this question. These will be asked tomorrow in the morning sitting before the list of questions fixed for that day is taken up.

Construction of Over-Bridge on Railway Crossing

***566. Ch. Sahab Singh Saini:** Will the Chief Minister be pleased to refer to the starred question No. 466, answered on the floor of the House on 15-9-83, and state:-

(a) whether the work for the construction of the over bridge on railway crossing at Kurukshetra has been started; and

(b) if not, the reasons, if any, for delay in starting the construction together with the time by which the construction work is likely to be started?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं।

(ख) पुल का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि रेलवे विभाग, सिने पुल का निर्माण करना है, वर्तमान रेलवे ट्रैक के ले आउट प्लैन के भविष्य में विस्तार तथा सं गोधन को ध्यान में रखते हुए पुल की लम्बाई और स्थान को अन्तिम रूप दे रहा है।

आ 11 है कि प्रस्तावित उपरी पुल के पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य 1984-8 में शुरू हो जायेगा।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो 'ख' भाग में जवाब दिया है उसमें स्पष्ट रूप से आ वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने लिखा है पुल का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका क्योंकि रेलवे विभाग जिसने पुल का निर्माण करना है, वर्तमान रेलवे ट्रैक के ले आउट प्लैन के भविष्य में विस्तार तथा सं गोधन को ध्यान में रखते हुए पुल की लम्बाई और स्थान को अन्तिम रूप दे रहा है। मेरा डेफिनिट सवाल यह

था कि पुल बनना कब भुरु हो जायेगा। उसका पूरा जवाब नहीं आया। वहां पर पुल की बहुत आव यकता है। वहां पर आधा आधा घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है ओर आपको भी मालूम है कि वहां पर क्या हालत रहती है ?

Mr. Speaker: I agree with you.

चौधरी भजन लाल: यह ठीक बात है वहां पर पुल की बहुत आव यकता है। कुरुक्षेत्र वैसे भी पवित्र स्थान है और वहां बहुत लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इस पुल को पहले मन्जूर कर दिया था लेकिन फिर से रिवाइज्ड प्लान बनाने के लिए लिख दिया है। पहले वहां पर दो लाइनें जाती थी लेकिन अब भारत सरकार ने महसूस किया है कि वहां पर दो रेलवे लाइनें ओर निकाली जायें। भारत सरकार से हमने बात की थी कि इस पर काम चालू कर दिया जाये। हमने अपने बजट में एक करोड़ 58 लाख रूपये का प्रोविजन रखा था लेकिन रिवाइज्ड प्लान मंजूर न होने के कारण काम भुरु नहीं हो सका। मैं सदन को आ वासन दिलाना चाहता हूं कि तीन चार महीने में हम कोि । । करेंगे कि इसका निर्माण कार्य भुरु हो जाये।

चौधरी हरि चन्द हुड्डा: चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी न होने के कारण से यह पुल नहीं बन रहा है लेकिन मैं हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि टटोली गांव का पुल जो चार साल से मंजूर हुआ पड़ा है उसे यह कब बनायेगी ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री भले राम: मुख्य मंत्री महोदय ने बताया है कि कुरुक्षेत्र में रेलवे पुल बनाने के लिए भारत सरकार को लिखा है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पानीपत और रोहतक में भी पुल बनाने के लिए भारत सरकार को लिखा है ?

चौधरी भजन लाल: सोनीपत, कैथल, रोहतक और डबवाली आदि कई जगहों पर पुल बनाने के लिए भारत सरकार को लिखा है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, भिवानी में भी रेलवे क्रोसिंग ब्रिज की मंजूरी एक साल से आई पड़ी है। क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार उस काम को भीघ्राति िघ्न भुरू करेगी ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, उस पुल का एक करोड़ 27 लाख रूपये का ऐस्टीमेंट बना है। उसकी अभी भारत सरकार ने सैंक ान नहीं दी है। हमने अपनी तरफ से कह दिया है कि हमारा जो भी पैसा बनता है, हम देने के लिए तैयार हैं। ज्यों ही भारत सरकार से मंजूरी आ जायेगी हम काम भुरू कर देंगे।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, ये इतने जरूरी पुल हैं लेकिन भारत सरकार इनकी मंजूरी नहीं दे रही है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये कब बनने भुरू हो जायेंगे ? अगर फ्लोर क्रोसिंग करने का ब्रिज बनना हो तो बहुत जल्दी बन

जाता है लेकिन रेलवे लाइन क्रॉसिंग ब्रिज बनना हो तो देर क्यों लगती है ?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री फतेह चन्द विज: मुख्य मंत्री जी ने बताया है कि तीन चार पुलों के निर्माण की प्रोपोजल है। क्या इन पुलों में किसी की प्रोपोजल फाईनल हो गई है या सभी की पैंडिंग हैं ?

चौधरी भजन लाल: विज साहब, पानीपत के बारे में जानकारी चाहते हैं। पानीपत रेलवे लाइन पर पुल बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉंगली रिकमैन्ड करके भेजा हुआ है। अभी तक भारत सरकार से मंजूरी नहीं आई।

श्री ए०सी० चौधरी: स्पीकर साहब, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ हरियाणा का सबसे बड़ा इन्डस्ट्रीयल कम्पलैक्स है। वहां के लिए दो रेलवे पुलों की 1968 में भारत सरकार से मंजूरी गई थी। एक एन.आई.टी. वाला पुल मुकम्मल हो गया। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बल्लभगढ़ इन्डस्ट्रीयल कम्पलैक्स के लिए जो पुल बनना था उसकी क्या पोजीशन है ?

चौधरी भजन लाल: उसके लिए भी भारत सरकार को लिखा हुआ है लेकिन हमारे पास मंजूरी नहीं आई।

श्री अध्यक्ष: अब सवालों का समय समाप्त होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Loans obtained by Haryana State Electricity Board

***580. Sh. Mangal Sein:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether the loans, if any, obtained by Haryana State Electricity Board from various sources are being repaid in regular monthly instalments;

(b) if so, the total amount of loans being repaid every month through such instalments; and

(c) in case the said loans are not being repaid in regular monthly instalments the reasons therefor?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला):

(क) दो प्रमुख स्त्रोतों से बोर्ड ने ऋण प्राप्त किया है, जिनके नाम राज्य सरकार ओर दूसरी ऋण दात्री सस्थाएं जैसे जीवन बीमा निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, आई.डी.बी.आई. हुडको आदि। अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त बाजार से भी उधार लिए गए हैं।

बोर्ड सरकारी ऋण पर देय कि त/ब्याज देने में असमर्थ हैं। फिर भी अधिनियम में दी गई प्राथमिकता के अनुसार

उधान देने वाली संस्थाओं को देय मूल/ब्याज आव यक अन्तराल पर नियमित रूप से दिया जा रहा है।

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान लौटाए गए ऋण की महीने के अनुसार कुल राशि का विवरण विधान सभा के पटल पर रखा गया है।

(ग) जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, उधार देने वाली संस्थाओं को मूल/ब्याज की कि तें दी जा रही है। केवल सरकारी ऋण और उनका ब्याज ही ऐसा हे जो कि नहीं दिया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान लौटाए गए ऋण की स्थिति का माहवार विवरण।

| मास | राशि लाख रूपयों में |
|------------|---------------------|
| अप्रैल, 83 | 10.33 |
| मई, 83 | 619.21 |
| जून, 83 | 157.03 |
| जुलाई, 83 | 155.00 |

| | |
|-----------------|----------------|
| अगस्त, 83 | 283.42 |
| सितम्बर, 83 | 205.49 |
| अक्तूबर, 83 | 145.92 |
| नवम्बर, 83 | 100.00 |
| दिसम्बर, 83 | 171.07 |
| जनवरी, 84 | 378.55 |
| फरवरी, 84 | 32.50 |
| कुल जोड़ | 2258.52 |

Digging of drain in Hassangarh Constituency

***681. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) whether any new drain is proposed to be dug for draining out the standing water of village Simli, Karontha, Baland, Titoli, Kabulpur and other places of Hassangarh constituency; and

(b) if so, the time by which the said drain is likely to be dug?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला):

(क) हां, निम्नलिखित ड्रेन को पूरा करने का प्रस्ताव है:—

1. गांव सिमली और करौंथा में कुलतानी, छुडानी, बुपनियां ड्रेन के हैड रीच को साफ करना।

2. गांव रिठौली (जो प्रान में दिया गया टिटौली नहीं) और कबुलपुर में रिठौली लिंक ड्रेन।

3. गांव रोहद के लिए रोहद पम्प हाउस लिंक ड्रेन।

4. गांव बालंद क्षेत्र में बालंद पम्प हाउस लिंक ड्रेन।

5. गांव हसनगढ़ के लिए नई हसनगढ़ लिंक ड्रेन।

(ख) जो ड्रेन उपरोक्त भाग (क) में दी गई हैं वे जून, 1985 तक पूरी होने की सम्भावना है।

Making Ambala Cantt a Tehsil

***692. Seth Ram Dass Dhamija:** Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state:-

(a) whether any criteria have been formulated for the creation of new Tehsils and Sub-Tehsils in the State; if so, the details thereof; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to make Ambala Cantt. a Tehsil; if so, the time by which the said proposal is likely to be finalised?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री लछमन दास अरोड़ा):

(क) राज्य में नई तहसीलों तथा उप-तहसीलों का गठन प्रायः इलाके की जनता की मांग और प्रशासकीय सुविधा तथा अन्य कोई भी कारण, जोकि किसी विशेष इकाई के गठन के लिए उचित समझा जाए, को ध्यान में रखकर किया जात है।

(ख) नहीं।

Construction of new Hospitals in the State

***644. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Health be pleased to state:-

(a) whether the construction of any new hospitals in the State has been sanctioned during the period from 1-1-1980 to date; if so, the names of the places of location thereof together with the dates of sanction and the dates on which foundation stones thereof, if any, were laid separately;

(b) the names of the hospitals out of those referred to in part(a) above, the construction of which:-

(i) has been completed;

(ii) is in progress;

(iii) has not yet been started, separately; and

(c) the reasons for which the construction work of the hospitals referred to in part(b) has not been (i) started (ii) completed together with the time by which the construction thereof is likely to be started and completed, separately?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) हां। सूचना नीचे दी गई है:—

| क्रमांक | स्थान | प्रशासनिक अनुमति मिलने की तिथि | नींव पत्थर रखने की तिथि |
|---------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | उपलाना (जिला करनाल) | 26-9-80 | |
| 2 | खरहर (जिला रोहतक) | 28-5-80 | 1-3-80 |
| 3 | अम्बाला | 12-8-80 | 11-2-80 |
| 4 | सोनीपत | 24-3-81 | 31-3-80 |
| 5 | होडल (जिला फरीदाबाद) | 21-8-80 | 16-10-79 |

| | | | |
|----|----------------------------|----------|----------|
| 6 | उकलाना (जिला हिसार) | 19-9-80 | 17-11-79 |
| 7 | बावल (जिला महेन्द्रगढ़) | 13-8-82 | 23-10-79 |
| 8 | असन्ध (जिला करनाल) | 26-11-81 | 14-11-79 |
| 9 | फरीदाबाद | 19-8-82 | 31-8-81 |
| 10 | करनाल | 22-7-83 | 31-10-83 |
| 11 | कलानौर (जिला रोहतक) | 29-3-83 | |

(ख) 1—उपलाना, खरहर।

2— अम्बाला, होडल, उकलाना, सोनीपत, बावल और असन्ध।

3— फरीदाबाद, करनाल और कलानौर।

(ग) अस्पतालों के निर्माण का कार्य फण्डज की कमी के कारण आरम्भ/पूर्ण नहीं किया जा सका, पर्याप्त फण्डज के उपलब्ध होने पर यह कार्य आरम्भ/पूर्ण किया जाएगा।

Construction of Bye-Pass at Panipat

***652. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether the construction of Panipat Bye-Pass has been sanctioned by the Union Government; if so, the date of sanctioned thereof; and

(b) whether the construction work of the above said Bye-Pass, if sanctioned, has been started, if not, the reasons therefor?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) नहीं।

(ख) (क) के दृष्टिगत प्र न ही नहीं उठता।

Appointments made in the Haryana State Electricity Board

93. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the category wise names, addresses and qualifications of the persons appointed to various posts in the Haryana State Electricity Board during the period from 28-6-79 to-date?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला): वांछित सूचना एकत्रित करने में जितना परिश्रम और समय लगेगा उससे उतना लाभ न होगा।

Housing Board Schemes

135. Prof. Sampat Singh: Will the Minister for Housing & Jails be pleased to state:-

(a) the number of Housing Schemes made by Haryana Housing Board during the period from April, 1980 to-date;

(b) the names of the places where the said schemes have been implemented;

(c) the number of houses built during the period from April 1980 to-date; and

(d) the number of houses allotted and the number and addresses of persons as have taken the possession thereof?

आवास तथा जेल मंत्री (चौधरी कल्याण सिंह): मांगी गई सूचना इस प्रकार है:-

- (क) 1. भाहरी स्कीमें 37
2. ग्रामीण स्कीमें 3

(ख) भाहरी स्कीमें

| क्रमांक | जगह का नाम | स्कीमें |
|---------|------------|---------|
| 1 | सोनीपत | 3 |
| 2 | चीका | 1 |

| | | |
|----|---------------|---|
| 3 | कुरुक्षेत्र | 1 |
| 4 | गुड़गांवा | 1 |
| 5 | पानीपत | 2 |
| 6 | कैथल | 2 |
| 7 | अम्बाला कैन्ट | 4 |
| 8 | फरीदाबाद | 2 |
| 9 | पंचकूला | 1 |
| 10 | हिसार | 1 |
| 11 | कालका | 1 |
| 12 | करनाल | 3 |
| 13 | सिरसा | 1 |
| 14 | आदमपुर | 1 |
| 15 | रिवाड़ी | 1 |
| 16 | नूंह | 1 |
| 17 | हथीन | 1 |

| | | |
|----|-------|----|
| 18 | जीन्द | 1 |
| | जोड़ | 28 |

भिन्न भिन्न स्थानों के लिए 9 स्कीमें फरवरी, 1984 में बनाई गई थीं जोकि अभी हुडको द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं।

ग्रामीण स्कीमें (निम्नलिखित गांव 3 स्कीमों के अन्तर्गत आते हैं)

| क्रमांक | गांव का नाम | जिले का नाम |
|---------|-------------|-------------|
| 1 | मोहाना | फरीदाबाद |
| 2 | खेड़ी ढबलान | कुरुक्षेत्र |
| 3 | लोहारा | कुरुक्षेत्र |
| 4 | बालसमन्द | हिसार |
| 5 | चक्करपुर | गुड़गांव |
| 6 | पुनहाना | गुड़गांव |
| 7 | तिगांव | फरीदाबाद |

| | | |
|----|-------------|----------|
| 8 | धनकोट | गुड़गांव |
| 9 | रम्भा | करनाल |
| 10 | फतूपुर | करनाल |
| 11 | सुबरी | करनाल |
| 12 | उचाना | करनाल |
| 13 | दयालपुर | फरीदाबाद |
| 14 | मिताथल | भिवानी |
| 15 | बापोड़ा | भिवानी |
| 16 | लोहारी जाटू | भिवानी |
| 17 | बहल | भिवानी |
| 18 | कुरुल | भिवानी |
| 19 | महराना | भिवानी |
| 20 | बलियाली | भिवानी |
| 21 | अगवानपुर | फरीदाबाद |
| 22 | सिवाह | करनाल |

| | | |
|-----|------------|--------|
| 23 | रतेरा | भिवानी |
| 24 | उचानी | करनाल |
| (ग) | भाहरों में | 11984 |
| | गांवों में | 1890 |

(घ) भाग 'ग' में भाहरी व ग्रामीण स्कीमों के अन्तर्गत बने सभी मकान नियतन किये जा चुके हैं या नियतन की अन्तिम स्थिति में है और उनके कब्जे लिये जा चुके हैं या लिये जा रहे हैं। जहां तक उन कब्जा लेने वाले व्यक्तियों के पते का सम्बन्ध है, यह विस्तृत सूचना फील्ड से प्राप्त करने में काफी समय लगेगा और समय व परिश्रम के समानान्तर नहीं है।

Purchase of Gunny Bags

136. Prof. Sampat Singh: Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether any audit objection relating to the purchase of gunny bags by Haryana Agro Industries Corporation during the period from April, 1982 to-date, has been raised; and

(b) if so, the action, if any, taken thereon?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जी, हां।

(ख) लेखा परीक्षा आपतियां निगम के निदेशक मण्डल के सम्मुख उनकी बैठक दिनांक 30-12-83 को प्रस्तुत की गई थीं और प्रबन्धकों (मैनेजमेंट) को निर्देश दिए गए कि आपतियों का समाधान करने के लिए उपयुक्त पग उठाये जायें। प्रबन्ध निदेशक ने इस मामले में वरिष्ठ उपमहालेखापाल से विचार विमर्श किया था। लेखा परीक्षा विभाग ने असीर्ई प्रारूप पैरा बनाया है जो कार्यवाही अधीन है।

Reduction of Size of outlets in Fatehabad

126. Sh. Bhagi Ram: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether the size of the outlets in the Fatehabad branch is proposed to be reduced; if so, the names of all such outlets together with the reasons thereof?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला):

(1) जी हां।

(2) फतेहाबाद ब्रांच पर निम्न 6 नं० मोघों का आकार कम करना प्रस्तावित है:—

(1) आर०डी० 9780—एल,

(1) आर०डी० 42080—एल,

- (3) आर0डी0 54975—एल,
- (4) आर0डी0 56222—आर,
- (5) आर0डी0 2424500
- (6) आर0डी0 263575—एल।

कारण:—

मैन कैनल और ब्रांच कैनलज सामान्यतः बारी पर नहीं चलती। वे वास्तव में सारा समय चलती है जबकि विट्रिकार्ये और माईनर्ज बारी पर चलती है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि पानी की बराबर मात्रा सप्लाई करने के लिए मेन कैनल और ब्रांच कैनलज के मोघों में जल स्तर 60 प्रति फीट नियत किया जाये।

Harijan Chaupals in Fatehabad Constituency

121. Sh. Mangal Sein: Will the Minister for Industries be pleased to state whether any grants for the construction of Harijan Chaupals in Fatehabad Constituency have been given during the months of December, 1983 and January, 1984; if so, the total amount thereof?

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया): हरिजन चौपालों के निर्माण के लिए अनुदान निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से नहीं दिया जाता। अतः वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। फिर भी वर्ष 1983—84 के लिए जिलावार बांट की राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से दिया जाता है।

| क्रमांक | जिले का नाम | नई चौपालों के लिये राशि (रु०) | पुरानी चौपालों की मुरम्मत/पूर्ण के लिए राशि (रु०) |
|---------|-------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अम्बाला | 292500 | 65000 |
| 2 | भिवानी | 157500 | 35000 |
| 3 | फरीदाबाद | 135000 | 30000 |
| 4 | गुड़गांवा | 112500 | 25000 |
| 5 | हिसार | 292500 | 65000 |
| 6 | जीन्द | 180000 | 40000 |
| 7 | करनाल | 202500 | 45000 |
| 8 | कुरुक्षेत्र | 202500 | 45000 |
| 9 | महेन्द्रगढ़ | 157500 | 35000 |
| 10 | रोहतक | 225000 | 50000 |

| | | | |
|----|-----------------|----------------|---------------|
| 11 | सोनीपत | 135000 | 30000 |
| 12 | सिरसा | 157500 | 35000 |
| | कुल जोड़ | 2250000 | 500000 |

Upgradation of Schools in Fatehabad Conswtituency

122. Sh. Mangal Sein: Will the Minister of State for Education be pleased to state the numbe of schools, if any, upgraded in Fatehabad Constituency in the months of November and December, 1983 and January, 1984?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): भून्य ।

Cooperative Societies registered with INFED

129. Sh. Mangal Sein: Will the Minister for Cooperation be pleased to state the names and addresss of members of such Cooperative Societies as stand registered with the INFED at present?

सहकारिता तथा डेरी विकास मंत्री (चौधरी वीरेन्द्र सिंह): इनफैंड से लगभग 1300 उद्योगिक सहकारी समितियां सम्बद्ध हैं। उनके व्यक्तिगत सदस्यों की संख्या लगभग 26000 होगी। सूचना एकत्रित करने में जो समय तथा परिश्रम लगेगा उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

15.00 बजे

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैंने दो काल अटैन्स मोशन दिए हैं। एक पानीपत में जो बम फटा है उसके विषय में हैं। बम फटने से वहाँ के लोगों में बड़ा आतंक फैल गया है। दूसरी मेरी काल अटैन्स मोशन फरीदाबाद में मिनरल्स की इल्लिगल माइनिंग के बारे में है। गवर्नमेंट इस बारे में पोजीटिव साफ करें। अखबार वाले ने तो लिखा है कि बड़ा सीरियस मामला है। इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने भी चिट्ठी लिखी है। यह दिल्ली के साथ लगते हुए फरीदाबाद की माइन्स के बारे में है। स्पीकर साहब टाइम्स आफ इंडिया पेपर के पेज चार पर छपा है:—

“Meanwhile, the Prime Minister, Mrs. Gandhi has written to two congress MPs that the Haryana Chief Minister was being asked to probe the “alleged anti-national and anti-social activities” of Mr. Avtar Singh and Mr. Kartar Singh, two contractor brothers of Anangpur village in Faridabad.”

स्पीकर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहिबा भी इस मामले में कन्सर्न हो जाये, इससे ज्यादा चिन्ता का विषय क्या हो सकता है कि यहाँ पर माइन्स में गड़बड़ है। ऐन्टी नेशनल ओर ऐन्टी सोशल एक्टिविटीज के बारे में आज के टाइम्स आफ इंडिया के पृष्ठ 4 पर न्यूज छपी है। इसलिए मैं इस बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इन माइन्स के बारे में दिल्ली की पुलिस हमारे लोगों को पकड़ लेती है और हमारी पुलिस

दिल्ली वालों को पकड़ लेती है। यह गवर्नमेंट की पंचानिग की मिट्टी प्लीत की जा रही है। (व्यवधान व भाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, डाक्टर साहब यह मामला अभी, नोटिस में लाये हैं। हम इसको देखेंगे और जो कुछ भी इस बारे में कर सकेंगे, करने की कोशिश करेंगे।

श्री मंगल सैन: आपको प्रधान मंत्री की चिट्ठी तो आयी है।

चौधरी भजन लाल: हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है। (व्यवधान व भाोर) हमें क्या पता आपने क्या छपवाया है ? (व्यवधान व भाोर) हम इसको देख लेंगे और जो ठीक बात होगी, वह हम करेंगे।

श्री फतेह चन्द विज: स्पीकर साहब, मेरी भी एक काल अटैन्शन मोशन थी।

श्री अध्यक्ष: वह मेरे पास अभी आयी नहीं है, आने पर जरूर कंसिडर करूंगा।

श्री फतेह चन्द विज: सर, वहां के लोगों में पैनिक फैला हुआ है। वहां पर चिट्ठियां पर चिट्ठियां मिल रही है कि इस तारीख को मन्दिर उाया जायेगा।

श्री मंगल सैन: सर, वहां पर हिट लिस्ट बन रही है। बड़ा ही सीरियस मामला है। इसका जल्दी ही जवाब आना चाहिए।

Mr. Speaker: Don't worry, I am also on the hit list for the last so many days.

श्री मंगल सैन: सर, आपके लिए तो हमारी जान भी न्योछावर है।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, कुछ सिर फिरे लोग चिट्ठियां लिखते रहते हैं। हिट लिस्ट में आने से कोई नहीं मरता। कोई किसी के मारने से नहीं मरता। जब किसी की मौत आई होती है, तभी मरता है।

श्री फतेह चन्द विज: सर, पहले 16, 17 और 18 तारीख को मन्दिर को उड़ा देने की चिट्ठियां आती रही है लेकिन अब 20 तारीख को उड़ा देने की धमकी आयी हुई है। (व्यवधान) इसके अलावा पानपत में सिनेमा हाउस में बम्ब विस्फोट भी हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभी आपका वह काल अटैन्डान्स मोड में मेरे पास नहीं पहुंचा है। मैं उसे कंसिडर करूंगा।

चौधरी साहब सिंह सैनी: स्पीकर साहब, मैंने भी यल 84 के तहत कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अफेयर्स के बारे में डिस्कशन के लिए नोटिस दिया था। सरकार ने जो वहां के वाइस चांसलर गणपति चन्द्र गुप्त को सस्पैन्ड कर दिया है यह तो

ठीक किया है लेकिन उनके खिलाफ फाइनेंशियल इररैगुलैरिटीज के इतने सीरियस चार्जिज थे कि उनको तुरन्त रिमूव करना चाहिए था। मेरी उस मोशन का क्या बना है ?

श्री अध्यक्ष: वह मैंने एडमिट कर ली है।

चौधरी फूल चन्द: स्पीकर साहब, मुझे आपका एक पत्र मिला है जिसमें यह लिखा हुआ है कि मेरे सवाल स्पैसिफिक नहीं है। मेरा एक सवाल तो रिजर्वेशन पालिसी के बारे में था कि क्या रिजर्वेशन की पालिसी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या किसी जगह पर बैकलाग तो नहीं है और अगर है तो क्या उसे पूरा किया जा रहा है ? दूसरा मेरा सवाल यह था कि क्या सभी सर्विसिज में रिजर्वेशन इन-प्रोमोशन है या नहीं ? स्पीकर साहब, मेरे यह दोनों ही सवाल स्पैसिफिक है और आप लिखते हैं कि सवाल स्पैसिफिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया इस बारे में मुझे चैम्बर में मिल लें।

चौधरी फूल चन्द: स्पीकर साहब, मुझे एक पत्र आल इंडिया फिडयूल्ड कास्ट फंडरेजेशन की तरफ से मिला है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारियों के लिए जो रिजर्वेशन पहले थी, वह वापिस ले ली गयी है। इस बारे में मैं काल अटैन्शन मोशन भी दूंगा। क्योंकि वह पत्र मुझे आज ही मिला है इसलिए मैं पहले काल अटैन्शन

मो इन नहीं दे सका था। इस बारे में सरकार क्या कुछ स्पष्टीकरण देगी ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दो रोज पहले ही मुझे हरियाणा बिजली बोर्ड ऑफ इंडियन कास्ट कर्मचारियों का एक डैपुटे इन मिला था। उनकी रिप्रेजेंटेशन इन मैंने ले ली है और इसी वीक में मैंने बिजली बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे मैम्बरज को यह कहा है कि वह कृपा करके इस बार में डिस्क इन के लिए मेरे कमरे में आएं। इससे ज्यादा प्रॉम्पट ऐक्ट इन मेरा ख्याल है, हम नहीं ले सकते। सरकार जो इन्साफ की बात होगी, वह उनके साथ करने की पूरी कोशिश करेगी।

एम.एल.एज. होस्टल आदि में टैलीफोन/आवास सुविधाएं

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं एक मामला आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि सारे मैम्बरज से कन्सर्न रखता है। जब भी हम एम.एल.ए. होस्टल में ठहरते हैं तो हमें टैलीफोन करने में बड़ी दिक्कत आती है। कई बार टैलीफोन एक्सचेंज वाले कहते हैं कि लाईन डाउन हो गयी है, कई बार कहते हैं कि हमारे पास लाईनें थोड़ी हैं, सब बिजी है। स्पीकर साहब, हमारा फंक्शन करना ही मुश्किल हो जाता है। एक बात और है कि इस सैक्रेटेरियट में एक कमरा मैम्बरज के लिए रिजर्व रख दिया जाना

चाहिए जहां टेलीफोन लगा हुआ हो वरना तो हमें टैलीफोन करने के लिए किसी क्लर्क के पास बैठना पड़ता है या फिर सैक्रेटरी साहब के पास बैठना पड़ता है। हम यह नहीं चाहते कि हम किसी के कमरे में जाकर उसको डिसटर्ब करें।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं इस बारे में यह कहना चाहती हूं कि यह िाकायत तो सारे एम.एल.एज. को ही है कि हमारी टेलीफोन की लाईनें ठीक नहीं होतीं। वहां पर ज्यादा लाईनें होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं भी एक कमरे और एक टैलीफोने के लिए एन्टाईटल्ड हूँ। मैंने इस बारे में आपको बहुत बार चिट्ठियां लिखी है लेकिन आज तक भी मुझे न तो कोई कमरा ही मिला है और न ही कोई अलग से टेलीफोन।

श्री अध्यक्ष: जहां तक टेलीफोन की बात है, हम 10 लाईन्ज पी.बी.एक्स. में जल्दी ही और ऐड करवाने जा रहे हैं। उसके लिए पैसा जमा करवा दिया गया है। वह जल्दी ही हमें मिल जायेंगी। वैसे मैं वक्तन फवक्तन अपने स्टाफ को खींचता रहता हूँ। अगर मैं किसी को सस्पेंड करता हूँ तो आप लोग कह देते हो कि सस्पेंड न करो।

एक आवाज: सस्पेंड न ही करो, ठीक बात है।

श्री अध्यक्ष: आपको भी यह महसूस होता होगा कि जब तक हम इस एक्सचेंज को एक्सटेंड न करें तब तक काम ठीक नहीं चल सकता। उसके लिए जैसे मैंने बताया हम को िा िा कर

रहे हैं। जहां तक कमरे की बात है, मैडम, मैं जानता हूँ कि आपकी चिट्ठियां भी काफी आयी है लेकिन मैंने भी उनका जवाब दिया है। जो कमरे आपने मुझे दिये हैं, मैं उनमें से ही तो अलोट कर सकता हूँ।

श्री मंगल सैन: हमारे होस्टल में पंजाब वालों के पास भी कुछ कमरे हैं। आजकल उनका हाउस भी नहीं चल रहा है। अगर उनसे कुछ लेकर काम चल सके तो चला लीजिये।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, पंजाब वाले एक इंच जगह भी देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने हमें एन्क्लोजर बनाने की भी इजाजत नहीं दी। वह तो छोटी मोटी बातों में भी बाधा डालते हैं। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहता। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, एम.एल.ए. होस्टल के कमरा नं. 4 में रात भर कुत्ते रोते रहें, हमें रात भर सोने नहीं दिया। हमने आपके घर पर टेलीफोन भी किया। (व्यवधान व भाोर)

श्री अध्यक्ष: साहेबान, मेरी भी डिफीकल्टीर है। मैं अगर किसी आनरेबल मैम्बर को यह कहूँ कि मरा नहीं है तो आनरेबल मैम्बर्ज नाराज हो जाते है। जिस आनरेबल मैम्बर का यह जिकर कर रहे हैं वह एक एक्स एम.एल.ए. हैं मिस्टर जयसवाल।

श्री मंगल सैन5 वह आपके पड़ोसी है।

श्री अध्यक्ष: मेरे ही नहीं, वह तो सब के पड़ौसी हैं। अगर कल को डाक्टर साहब, आप कुत्ता साथ ले आये तो क्या मैं आपको रोक सकता हूँ ? हमने उनकी रिक्वेस्ट कर दी है कि अपने पड़ोयियों का कुछ तो ख्याल किया करो।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: स्पीकर साहब, एम.एल.ए. होस्टल में चोरियं बहुत हो रही है। पहले राजे । भार्मा जी का टेप रिकार्डर चोरी हो गया । फिर दयानन्द भार्मा जी की कार में से जो एम.एल.ए. होस्टल के बाहर खड़ी थी, टेप रिकार्डर चोरी हो गया था।

एक आवाज: इसी वजह से वहां पर सिक्योरिटी टाईट कर दी गयी है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री किताब सिंह: स्पीकर साहब, मैंने बिजली तथा सिंचाई मंत्री के विरुद्ध एक प्रिविलेज मो । दिया था। यहां पर मंत्री महोदय ने यह कहा था कि आठ घंटे बिजली किसानों को दी जा रही है लेकिन वास्तव में बिजली आती ही नहीं है। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, मैंने उसको डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, मैंने संजय गांधी मैमोरियल टैक्नीकल इंस्टिट्यूट, भिवानी में स्कैण्डल के बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दिया था। स्पीकर साहब, इस इंस्टिट्यूट के साथ 350 लड़कों की जिन्दगी जुड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने डिसअलाऊ कर दिया है और आपको जवाब भी पहुंच गया हागगा। आपका इस सम्बन्ध में एक स्टार्ड क्वैशन ऐडमिट हुआ है। आप उस पर सप्लीमेंटरी पूछ सकते हैं। उससे सारा हाउस जानकारी ले सकेगा।

श्री हीरानन्द आर्य: स्पीकर साहब, यह लिस्ट पर नहीं आ पाएगा। अगर आप सप्लीमेंटरी पूछने का आवासन देते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आपने मुझे अपने चैम्बर में बुलाया था और डिस्कशन भी हुआ था। मैं यह मानकर चला आया था

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, यह बनता नहीं है आउट आफ दिवे जाकर भी सारे कागज मैंने आपको पढ़ा दिए थे।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, सरकार की तरफ से तो जवाब उसी प्रकार का आएगा। अगर हाउस के सामने आ जाए कि कितनी अनियमितताएं हो रही है तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष: वह मैंने डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री भागी राम: स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैन्शन मोशन ओलावृशिट और भीत लहर से फसलें खराब होने के बारे में दिया था। स्पीकर साहब 17 तारीख को सिरसा जिले के पचास गांवों में बहुत जबरदस्त ओले पड़े थे और ओलों की गाड़ी, ट्रैक्टर भर कर मिनिस्टर साहब को हमने दिखाई थी।

श्री अध्यक्ष: उसे ऐडमिट कर लिया गया है और उसी को अब मैं टेक अप कर रहा हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य में ओलावृशिट तथा भीत लहर से फसलों को हुई क्षति
सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनेरबल मैम्बरज, मुझे सर्वश्री राम बिलास भार्मा, हीरा नन्द आर्य, हुक्म सिंह फोगट, नर सिंह, श्रीमती चन्द्रावती, ओम प्रकाश, भागी राम, धीरपाल सिंह, मांगे राम, सम्पत सिंह और बलवीर सिंह ग्रेवाल की ओर से स्टेट में और पर्टिकुलरली महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, भिवानी, हिसार, रोहतक, सिरसा और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट्स में ग्राम, मस्टर्ड, पीज और वीहट की फसलों को हेल स्टार्म और कोल्ड वेव से हुए डैमेज के बारे में काल अटैन्शन मोशन के नोटिसिज मिले हैं। मैं इनको ऐडमिट करता हूँ। श्री राम बिलास भार्मा अपना मोशन पढ़ दें। बाकी मोशन्स को पढत्रा हुआ समझा जाएगा।

श्री राम बिलास भार्मा: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि पिछले पखवाड़े में राज्य में किसानों की फसलें ओलावृष्टि तथा भीत लहर से नष्ट हो गई है। विशेषतया महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, भिवानी, हिसार, रोहतक तथा सिरसा जिले में चने, सरसों, मटर तथा गेहूँ की फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक प्रकोप से राज्य के गरीब किसान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक प्रकोप से राज्य के गरीब किसान दुःखी है। वे निराशा हैं। इस संबंध में सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें तथा किसानों की राहत के लिए उठाए गए पगों से सदन को अवगत कराया जाए।

श्री हीरानन्द आर्य: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हाल ही में भीत लहर के कारण सरसों, चना, कपास आदि की फसलें नष्ट हो गई हैं तथा इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसके कारण किसानों के दिलों में बहुत रोश है। इसलिए स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करे तथा फसलों का मुआवजा उसी ढंग अथवा आधार पर दें जैसे कि ओलावृष्टि में दिया जाता है। मंत्री वर्ष 1983-84 के दौरान खेतों में कपास की फसलों के मुआवजे के संबंध में की गई अथवा की जानी प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में भी एक वक्तव्य दें।

चौधरी हुक्म सिंह फोगट: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सर्दी के प्रकोप से समस्त जिला भिवानी की चना तथा सरसों की फसल को हानि हुई है। जिला भिवानी में चना और सरसों की मुख्य फसल होती है। बिजली की कमी के कारण नहरों में पानी न मिलने और भीत लहर चलने की वजह से 50 से 100 प्रतिशत तक फसलें नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसानों की फसलों की हानि का भीघ्न उचित मुआवजा दिया जाए तथा कर्जा वसूली तुरंत बंद की जाए और उन्हें राहत देने के लिए काम धन्धे चालू किए जाएं ताकि लोग भुखमरी का शिकार न हों।

चौधरी नर सिंह ढांडा: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जिले कुरुक्षेत्र में सरसों, चने, गेहूं की फसल भीत लहर के कारण नष्ट हो गई है। संबंधित मंत्री एक वक्तव्य दें तथा किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। हाल ही में मेरे जिले के बहुत बड़े भाग में ओलावृष्टि हुई है।

श्रीमती चन्द्रावती: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि इस वर्ष जब सर्दी खत्म होने वाली थी तो भीत लहर के 2 आक्रमण फसलों पर हुए जिससे चना और सरसों की फसल खत्म हो गई। किसानों की छः महीनों की मेहनत व्यर्थ गई और दिन प्रतिदिन उसकी जीविका

का साधन, यहां तक कम हो गया कि इस बची हुई फसल से बीज के पैसे भी किसान नहीं ले सकता और उसे जिन्द्गी का रोजाना का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है। कुएं के पानी देने की मीन और फुहारों के सैट की कि त देना उसके एिल असंभव है। इसलिए किसानों को नश्ट हुई फसला का मुआवजा मिलना चाहिए और उनकी इस साल की दो दो कि तें मुआफ होनी चाहिए।

चौधरी ओम प्रकाश: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि रोहतक, सोनीपत, भिवानी, महेन्द्रगढ़, हिसार, सिरसा तथा हरियाणा राजय के अन्य जिलों में भीत लहर से चना तथा सरसों के बीज की खड़ी फसलों को भारी हानि हुई है। राजय के इस क्षेत्र के किसानों की यह मुख्य रबी की फसलें हैं तथा किसानों को उनकी फसलों की इस क्षति के कारण भारी वित्तीय हानि हुई है। वर्ष 1983 में अभूतपूर्व भयंकर बाढ़ के कारण किसानों की खरीफ की फसल भी नश्ट हो गई थी। किसानों की बिगड़ रही वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी फसलों के नश्ट होने के कारण हुई हानि के लिए वे कम से कम 500 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त मुआवजे की सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि किसान सम्पन्न होगा, तो सारा देना सम्पन्न होगा। यह एक अत्यावश्यक लोक महत्व का विशय है तथा कृषि मंत्री को कहा जाए कि वह सदन में एक वक्तव्य दें।

श्री भागी राम: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि समस्त हरियाणा तथा विशेषकर सिरसा जिले में भीत लहर, ओलावृष्टि तथा सूखे से चनों, सरसों तथा गेहूँ की फसलों को 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हानि पहुंची है। सरकार नहरों में पूरा पानी दे पाई जिससे किसान की हालत चिन्ताजनक बनी हुई है। जब कि पिछली खरीफ (कपास) फसल भी नष्ट हो गई थी जिससे किसान की हालत बड़ी चिन्ताजनक हो गई है तथा भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि किसानों की कर्जा वसूली तुरंत बन्द की जाए और रोजगार के लिए काम धंधे चालू किए जाए। स्पैटल गिरदावरी करवा कर किसानों को इन फसलों की हुई हानि का उचित मुआवजा दिया जाए ताकि लोग भुखमरी का शिकार होने से बच जाएं।

सर्वश्री धीरपाल सिंह तथा मांगे राम: हम सरकार का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहते हैं कि समस्त रोहतक जिले में भीत लहर से चने, सरसों, मटर तथा गेहूँ की फसलों को 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हानि पहुंची है। सरकार नहरों में पूरा पानी नहीं दे पाई जिससे किसान की हालत चिन्ताजनक बनी हुई है। जब कि पिछली खरीफ फसल भयंकर बाढ के कारण नष्ट हो गई थी। किसान की हालत बड़ी चिन्ताजनक हो गई है और सारे जिले में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि किसानों की

कर्जा वसूली तुरंत बंद की जाए और रोजगार के लिए काम धंधे चालू किए जाएं और स्पै रल गिरदावरी करवा कर किसानों को उनकी फसलों की हुई हानि का उचित मुआवजा दिलवाया जाए ताकि लोग भुखमरी का शिकार होने से बच जाएं।

सर्वश्री सम्पत सिंह तथा भागी राम: हम सरकार का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है जहां से गेहूं और चावल लाखों टनों में केन्द्रीय पूल में जाते हैं। वहां कपास का फसल है तथा विशेषकर हिसार और सिरसा जिला तो कपास का भण्डार हैं। पिछली कपास की फसल सारे हरियाणा में तथा विशेषकर हिसार तथा सिरसा जिले में तो तबाह हो गई थी। हरियाणा सरकार ने इस तबाही के लिए किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया है। किसान बुरी तरह कर्ज से दबे हुए हैं। मंहगी खाद, बीज, डीजल, बिजली के कारण खर्च बहुत हो चुका है। कपास की फसल नकली खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाईयों की वजह से खराब हुई है। जहां हरियाणा में कपास की 9 लाख गांठे पैदा होनी थी केवल 4 लाख गांठे पैदा हुई हैं। अतः किसान आज बहुत दुःखी है और यदि उसको कोई मुआवजा न दिया गया तो उसकी कमर टूट जाएगी। अतः हम सरकार का ध्यान इस अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि किसानों को कम से कम एक हजार रूपया प्रति एकड़ मुआवजा

दिया जाए तथा इस विषय में कृषि मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: मैं सरकार का ध्यान एक अत्यावयक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कपास की फसल इस वर्ष पूर्णतया नष्ट हो गई है तथा इसका सारा दोष हरियाणा सरकार पर है क्योंकि कपास की फसल घटिया बीज तथा खराब कीटनाक दवाईयों की सप्लाई के कारण नष्ट हुई है। पंजाब में भी कपास की फसल नष्ट हुई है तथा केन्द्र सरकार ने उन्हें पर्याप्त सहायता दी है। पंजाब सरकार ने भी पर्याप्त साहयता अपने किसानों को दी है जबकि वहाँ लोकप्रिय सरकार नहीं है। हमें लगभग 79 करोड़ रुपये की हानि हुई है फिर भी सरकार ने अभी तक किसानों को कोई सहायता नहीं दी है। आज सारे राज्य में किसान अत्याधिक हतोत्साहित हैं। इसलिए, सरकार उनको 500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में दे तथा भूमि कर और पानी कर से उन्हें छूट भी दें। सरकार इस संबंध में लिए जा रहे पगों के बारे में सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करे क्योंकि यह एक अत्यावयक लोक महत्व का विषय है।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, इनका जवाब हम कल देंगे।

वक्तव्य

मुख्य मंत्री द्वारा महेन्द्रगढ़, नारनौल तथा अटेली में पेय जल की समस्या सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: आनरेबल, मैबर्ज, 15 मार्च 1984 को श्री राम बिलास भार्मा, एम.एल.ए. के काल अटैन्शन नोटिस पर मिनिस्टर महोदय ने आज स्टेटमेंट देने के लिए कहा था। वह अब अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): इससे पूर्व कि मैं सदन में, नारनौल, महेन्द्रगढ़ तथा अटेली में, पेयजल समस्या पर वक्तव्य दूँ, मैं इस सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि यह कहना गलत है कि सरकार इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही अथवा कोई कदम नहीं उठा रही। सरकार पेयजल की सप्लाई बढ़ाने की आवश्यकता की ओर पूरी तरह से सजग है और पेयजल की सप्लाई बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

महेन्द्रगढ़ जिला में पीने का मीठा पानी साहिबी नदी, कृष्णावती नदी तथा दोहन नदी के किनारे उपलब्ध है जोकि कराजस्थान से निकलती है। अन्त में यह नदियां तो तो महेन्द्रगढ़ जिले में या उस के साथ लगते जिले में फैल जाती है, पर केवल साहिबी नदी यमुना नदी में धासा बन्ध द्वारा मिल जाती है।

यह नदियां केवल मौसमी हैं और जिला महेन्द्रगढ़ में भूमि के नीचे के जल स्रोतों को पुष्ट करने में सहायक है। पिछले कुछ वर्षों में जिला महेन्द्रगढ़ तथा उसके साथ लगते

राजस्थान के जिले में वर्षा बहुत कम रही है, जिससे कि वहां सूखा जैसी स्थिति रही है और धरती के नीचे का जल स्तर काफी गिर गया है। धरती के नीचे का जला तय सूखा स्थिति के कारण तथा इन नदियों में पानी का पूरा बहाव न होने के कारण पूरी तरह से पुष्ट नहीं हो पाया, जिससे कि कुआं तथा गहरे नलकूपों में पानी काफी घट गया है। उधर सारा साल चलने वाला कोई नहरी सिस्टम भी नहीं है, जिससे कि तमाम पेय जल योजनायें या तो कम गहरे कुओं पर जो कि इन नदियों के किनारे पर स्थित हैं या गहरे नलकूपों पर आधारित हैं।

हरियाणा सरकार तथा राजस्थान सरकार के सिंचाई विभाग ने इन नदियों पर कुछ बांध बनाये है। स्पष्ट तौर पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि इन बांधों के परिणामस्वरूप जल स्तर नीचे चला गया है तो भी ऐसी सम्भावना को बिना विस्तृत अध्ययन के रद्द नहीं किया जा सकता और यह विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। फिर भी जल स्तर के घटने का मुख्य कारण पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही सूखा स्थिति है।

नारनौल वाटर वर्क्स पर पिछले पांच वर्षों से जल स्तर के घटने का अध्ययन किया गया और इस की लेखा/टिप्पणी निम्न है:—

| क्रमांक | वर्ष | ग्रीष्म ऋतु | वर्षा ऋतु | भारद ऋतु |
|---------|------|-------------|-----------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|
| 1 | 1979 | 46.0" | 38.0" | 42.0" |
| 2 | 1980 | 45.0" | 45.0" | 48.0" |
| 3 | 1981 | 50.0" | 52.0" | 56.0" |
| 4 | 1982 | 65.0" | 63.0" | 65.0" |
| 5 | 1983 | 78.0" | 80.0" | 86.0" |

ऊपर दिए गए आंकड़ों से विदित है कि धरती के नीचे का जलस्तर काफी घटा है, जिस से कि कुओं में पानी की मात्रा भी घटी है। वर्ष 1979 की ग्रीष्म ऋतु में जलस्तर 46" था जो कि 1983 में यह 32" और घट गया। इससे नारनौल भाहर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पये जल की कमी हुई है। महेन्द्रगढ़ तथा अटेली क्षेत्रों में भी जलस्तर के गिर जाने के कारण पीने के पानी की कमी हुई है।

नारनौल भाहर में जल वितरण:—

कृष्णावती नदी के किनारे पर बनाए गए आठ कुओं द्वारा भाहर में जल वितरण किया जा रहा है। यह कुएं पहले तो पर्याप्त मात्रा में पानी दे रहे थे, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से सूखा स्थिति होने के कारण इनकी क्षमता भानै— नै कम होती जा रही है।

कुओं से कम पानी मिलने के कारण नारनौल भाहर में पेय जल घटा कर 10 गैलन प्रति व्यक्ति दिन प्रतिदिन कर दिया गया है जबकि यह 25 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए।

पेयजल को बढ़ान के लिए दूसरे सौरसिज की खोज की गई और यह पाया गया कि (1) नारनौल भाहर से नौ किलोमीटर की दूरी पर हमीदपुर गांव में जो कि दोहन नदी के किनारे पर है, भू धरती के नीचे के जल का प्रयोग किया जाना संभव है। यह जल इस क्षेत्र में नलकूपों द्वारा लाया जा सकता है और इसके लिए एक करोड़ अड़तालीस लाख रूपए का अनुमान तैयार किया गया है। यह अनुमान दस नलकूप लगाने तथा वहां से पाईप लाकर भाहर की जल वितरण प्रणाली के जोड़ने के लिए है। आ ता है कि हमीदपुर गांव में लगे ये नलकूप कम से कम 14 लाख गैलन पानी सप्लाई करेंगे। यह मात्रा तथा इस समय वाटर वर्क्स द्वारा किए गए पानी से आगामी 65 हजार आबादी को 30 गैलन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी दिया जा सकेगा। यह अनुमान जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा नारनौल नगर पालिका को भेजा जा चुका है। नगर पालिका को जीवन बीमा निगम तथा हरियाणा सरकार से कर्जा तथा सरकार द्वारा ग्रांट तथा अपने सौरसिज से पैसे काप प्रबन्ध करना होगा। इस विशय पर जन स्वास्थ्य विभाग तथ जिला प्र तासन में विचार विम र्ति हो चुका है और आ ता की जाती है कि नगर पालिका इस दि ता में भीघ्र ही आव यक कारवाई करेगी। (2) नहर के पानी पर आधारित एक योजना का भी अध्ययन

किया गया था। नारनौल भाहर के निकट जवाहर लाल नेहरू कैनल है, परन्तु यह नहर सारा साल नहीं चलती तथा इसके बन्द होने की अवधि भी कोई निश्चित नहीं है। यह विशय जन स्वास्थ्य विभाग तथा सिंचाई विभाग दोनों के परीक्षण में है ताकि इस योजना को विस्तार से देखा जा सके।

ऊपर दी गई योजनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित उपाय भाहर को अन्तरिम सहायता हेतु किए गए हैं:—

(1) नहर के पानी को किसी एक कुएं में डाल कर इन कुओं की क्षमता को बढ़ाना। इसके लिए नावलपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर वर्क्स तक पाईप लाईन बिछा दी गई है ताकि पानी को पम्प किया जा सके। अभी कुछ ऐसी पम्पिंग कुछ दिनों के लिए की गई थी जिस से कि 50 हजार गैलन पानी प्रतिदिन बढ़ गया।

(2) इन कुओं की बैड पर छोटे बोर ड्रिल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि इनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। यह काम प्रयोगात्मक आधार पर पहले ही इस आ जा के साथ शुरू कर दिया गया है कि इससे प्रति कुआं पानी ज्यादा मिल सकेगा।

महेन्द्रगढ़ नगर:—

वर्ष 1961 में यहां पहली जल वितरण योजना आरम्भ की गई। यह काम 8 लाख 78 हजार के अनुमान से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत 3 नलकूप तथा एक कुआं बनाया गया। इन सब द्वारा मिलाकर कुल 2 लाख गैलन प्रतिदिन पानी मिला।

यह 10 हजार आबादी के लिए 20 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए था।

समय बीतने के साथ कुओं में पानी कम होता गया। कुओं में पानी कम होने का मुख्य कारण जलस्तर का घटना था जोकि वर्ष 1980 में 60 फुट से वर्ष 1984 में 100 फुट हो गया। इनमें से एक कुआं सूख गया और इस समय बाकी के तीन नलकूपों द्वारा एक लाख 20 हजार गैलन पानी प्रति दिन मिलता है।

पेयजल योजना को बढ़ाने तथा वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए 9 लाख 99 हजार रूपए का अनुमान तैयार किया गया जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति सैनीटरी बोर्ड द्वारा दी गई। इसमें एक कुआं और बूस्टिंग स्टेशन लगाने तथा पाईप लाईन बिछाने की व्यवस्था थी। यह काम चल रहा है। इसके लिए 7 लाख 50 हजार रूपए जुटाए गए ताकि जनवरी 1984 तक 6 लाख 93 हजार रूपए खर्च हो गया है। एक कुआं चालू भी हो चुका है। 3 पुराने नलकूपों तथा एक नए नलकूप से प्रतिदिन 2 लाख गैलन पानी मिलता है। इस समय 15 हजार की आबादी को 13 गैलन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी दिया जा रहा है।

ऐसी इच्छा है कि इस भाहर को पानी बढ़ा कर 20 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया जाए जिसके लिए एक पृथक

अनुमान भीघ ही सैनीटरी बोर्ड को प्र तासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

अटैली:—

अटैली के लिए सबसे पहले, वर्ष 1962 में जल वितरण योजना शुरू की गई। यह 1500 की आबादी के लिए 20 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पर आधारित थी। अर्थात् 30 हजार गैलन क्षमता की थी। इसका खर्चा 1.99 लाख रुपए था तथा यह योजना 2 कुओं पर आधारित थी। समय बीतने के साथ साथ दोनों कुओं की पानी देने की क्षमता घटती गई तथा पानी की क्वालिटी भी घटती गई। इस समय दोनों कुओं की क्षमता केवल 15 हजार गैलन प्रतिदिन है। पानी के घटने तथा पानी की क्वालिटी गिरने का एक मुख्य कारण जल स्तर का घटना है।

क्योंकि पानी खारा हो गया इसलिए मीठे पानी को उपलब्ध कराने के लिए दूसरी जगह की खोज की गई। अटैली से सात किलोमीटर दूर तक गांव गुजरवास में जगह चुनी गई। इस योजना का अनुमानित खर्चा 17.36 लाख रुपए है तथा आव यक प्र तासनिक मन्जूरी सैनीटरी बोर्ड द्वारा 14-5-81 को दी जा चुकी है। अब तक का खर्चा 8.49 लाख रुपए है। यह योजना 2 नलकूपों, एक जल टैंकी तथा पाइप लाइन पर आधारित है। एक नलकूप का काम पूरा हो गया है और इसे भीघ ही चालू कर दिया जाएगा। नए वाटर वर्क्स नगर तक पाइप लाइन काफी बिछाई

जा चुकी है। नए वाटर वर्क्स से भाहर को दो मास में 20 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी देना सम्भव होगा।

मुझे वि वास है कि इस सदन के सदस्य मेरे साथ इस विशय पर सहमत होंगे कि राज्य सरकार नारनौल नगर, महेन्द्रगढ़ तथा अटैली को पानी की सप्लाई बढ़ाने की आव यकता के प्रति सजग है और इस दि ा में आव यक उपाय कर रही है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री महोदय ने आने जवाब में यह फरमाया है कि कुओं से कम पानी उपलब्ध होने के कारण नारनौल और महेन्द्रगढ़ में पेय जल घटा कर 10 गलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया है जबकि ये 25 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए। इसके कारण लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। इनकी यह बात ठीक है कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण पानी का लैवल नीचा चला गया है लेकिन इसके लिए इस सरकार ने जो उपाय किये हैं, उनसे लोगों को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। इन्होंने अपने जवाब में कहा कि साहिबी, दोहन और कृष्णावती नदियों में सूखा के कारण, पानी का पूरा बहाव न होन के कारण धरती के नीचे का जला ाय पूरी तरह से पुश्ट नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से पानी का जल स्तर काफी डीप चला गया है और कुओं तथा गहरे नलकूपों में पानी काफी घट गया है इन्होंने यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार ने इन नदियों पर कुछ बांध बनाये हैं जिसकी वजह से इन नदियों में पानी का बहाव पूरा नहीं हो रहा है। स्पीकर साहब, मैं

आपके माध्यम से इनसे यह दरयाफत करना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में राजस्थान सरकार से कोई बातचीत की है या कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि इसका कोई न कोई हल निकाला जा सके जिससे कि महेन्द्रगढ़ और नारनौल के इलाके में पानी के बारे में लोगों में किसी प्रकार का रोश न होने पाये। यह बड़ी गम्भीर समस्या है।

दूसरी बात यह है कि इन्होंने नहरों के पानी को कुओं में डालकर कुओं की क्षमता को बढ़ाने का भी एक एक्सपैरीमेंट किया है लेकिन इस तरह के एक्सपैरीमेंट करने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है यहां तक कि आठ दस आदमियों की जानें भी गयी हैं। इस एक्सपैरीमेंट की जगह क्या सरकार कोई और हल ढूंढने का विचार रखती है ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भाई राम बिलास जी स्वयं इस बात को मानेंगे कि पिछले चार और साढ़े चार सालों में महेन्द्रगढ़ के गांवों में इस मौजूदा सरकार ने ज्यादा से ज्यादा पीने के पानी का प्रबन्ध किया है और लोगों की हर तकलीफ को दूर किया है। इस बात से वे सहमत होंगे। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ इन नदियों पर कुछ बांध बांधे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी का लैवल काफी नीचे चला गया है पर यह कह देना कि यह सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही, यह उचित नहीं है। स्पीकर साहब, अगर हरियाणा में कुछ इलाके पानी में डूब जाते हैं तो हम उनको बचाने के लिए

उपाय करते हैं, या बांध बनाते हैं तो ऐसा ही उन्होंने अपनी तरफ बचाव के लिए इसी तरह के बांध बनाये होंगे जिसके लिए कोई कुछ कहे तो ठीक बात नहीं होगी। इसलिए मैं इस बारे में तो इस वक्त यहां पर किसी किस्म का आवासन नहीं दे सकता लेकिन जहां तक लोगों को पीने का पानी दिलाने का सवाल है, उस बारे में, मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ में 688 गांव हैं जिनमें से 420 गांवों को पीने का पानी दिया जा चुका है और 42 गांवों में पीने का पानी दिलवाने की हर सम्भव कोशिश की जा रही है। स्कीम्ज पर काम चालू है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अभी हमारे माननीय सदस्यगण ने यह कहा कि राजस्थान सरकार ने अपनी ओर इन नदियों पर बांध बांधें हुए हैं जिसकी वजह से इधर पानी का स्तर नीचे चला गया है और इसका जवाब देते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने इतना ही कह दिया कि इस बारे में तो मैं अभी कोई आवासन नहीं दे सकता, या कुछ नहीं कह सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान कोई फारेन कंट्री नहीं है। आखिर हमारे देश का ही एक हिस्सा है। अगर एक प्रदेश की एक्टिविटी दूसरे प्रदेश को नुकसान पहुंचाती हो तो इस बारे में क्या मुख्य मंत्री सैंटर को एप्रोच नहीं कर सकते कि इस बारे में सैंटर राजस्थान सरकार से बातचीत करें और उसे इस बात की डायरेक्टिवान दे कि चूंकि इस तरह से बांध बनाने पर हरियाणा

स्टेट के कुछ जिलों को नुकसान हो रहा है, इसलिए इन बांधों को हटाया जाए।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, मैंने यह कहा कि इस वक्त मैं हाउस को, इस तरह का वि वास नहीं दिला सकता। जहां तक स्टेट के इंटरैस्ट का सवाल है, इस बारे में हम बात करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब यह मामला दूसरे राज्य का है तो मैं हाउस को इस वक्त कैसे कह सकता हूं कि यह हो जाएगा। अगर इस बारे में राजस्थान सरकार से बात करने की आवश्यकता हुई तो हम अव य करेंगे। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि हरियाणा सरकार ने इस बारे में जितनी पेयजल की स्कीमें बनाई हैं, उन से अव य ही लोगों को फायदा होगा।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बारे में रूलिंग चाहूंगा। मेरे लायक दोस्त ने जो काल अटैन् इन मो इन दी है, उसमें उन्होंने पर्टिकुलरली तीन जगहों महेन्द्रगढ़, नारनौल और अटैली तक को ही कंफाइन्ड रखा था कि इन तीनों जगहों में पेयजल समस्या के कारण जनता में अत्यन्त रोश पैदा हो गया है। इन क्षेत्रों में पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है और पानी की मात्रा भी लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं करती लेकिन मुख्य मंत्री महोदय पता नहीं कहां से कहां तक चले गये ओर सारे जवाब में किसी प्रकार का कोई आ वासन नहीं दे पाये और केवल अपने जवाब में इनता ही कह दिया कि यह अनुमान जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नारनौल नगर पालिका को भेजा जा चुका है। नगर पालिका

को जीवन बीमा निगम तथा हरियाणा सरकार से कर्जा तथा सरकार द्वारा ग्रांट तथा अपने सोर्सिज से पैसे का प्रबन्ध करना होगा। एक तरफ तो ये चुंगी हटा रहे हैं (विधन) यह बहुत अच्छी बात है, हाउस टैक्स भी हटाओ। अगर चुंगी हटा देते हैं तो फिर नगरपालिका के सोर्सिज बहुत लिमिटेड रह जाएंगे। तो वह पैसे का इनतजाम कैसे करेगी ? इस बारे में हम आपकी रूलिंग चाहते हैं।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, काल अटैन्स ल मो इन तो श्री राम बिलास भार्मा जी का है लेकिन डाक्टर साहब बार बार इस बारे में क्वै चन पूछ रहे हैं, पर हमें इसका जवाब देने में कोई एतराज नहीं है। वे खुद समझदार हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। मैंने, जिन तीन जगहों के बारे में पूछा गया था, उनके सम्बन्ध में बड़ी ही तफसील के साथ अपने जवाब में बताया है कि हम ने लोगों को पीने का पानी सप्लाई करने के लिए ये-ये स्कीमें बनाई हैं, उन पर इतना पैसा खर्च करते रहेंगे ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और पीने का पानी ठीक मात्रा में मुहैया करवाया जा सके।

श्री मंगल सैन: अध्यक्ष महोदय, इनके जवाब में पेज नम्बर तीन के ऊपर लाईन पन्द्रह में यह लिखा हुआ है, यह अनुमान जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा नारनौल लगर पालिका को भेजा जा चुका है। नगर पालिका का जीवन बीमा निगम तथा हरियाणा सरकार से कर्जा तथा सरकार द्वारा ग्रांट तथा अपने सोर्सिज से

पैसे का प्रबन्ध करना होगा। जब म्युनिसिपल कमेटी के पास अपने सोर्सिज ही नहीं रहेंगे तो वह प्रबन्ध क्या करेगी ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, डाक्टर साहब तो स्वयं मिनिस्टर रहे हैं। इनको पता है कि म्युनिसिपल कमेटी का काम लोन और ग्रान्ट वगैरह से ही चलता है। हमने म्युनिसिपल कमेटी को कहा कि आप एल.आई.सी. से लोन लें और उसके इलावा हम आपको ग्रान्ट भी देंगे। पहले तो कमेटी इसके लिए मान नहीं रही थी लेकिन अब मान गयी है। इस इलाके की पूरी दिक्कत तो तभी दूर होगी जब पंजाब के इलाके में एस.वाई.एल. नहर तैयार हो जाएगी और जे.एल.एन. पैरिनियल हो जाएगी। इससे पहले सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को पीने के पानी की सुविधा ज्यादा से ज्यादा दी जाए।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हम एयोर करेंगे, हमने वायदा किया है और हमने सारी कोशिशें की हैं लेकिन अब ये पलट गये। पलटने में तो ये बड़े होशियार हैं। इन्होंने अगर यह पहले कह दिया होता कि हम जरूर करेंगे तो मैं सवाल ही न पूछता। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमें एक फखर है कि हमने पिछली बार यह कहा था कि देवी लाल जी आज तो आप लोक दल (के) की सीट पर बैठे हो और अगली बार किसी और सीट पर बैठोगे। यह हमने साबित करके दिखा दिया है। वह

हर सै इन में पार्टी बदलता है भोर का बच्चा। अगली बार वे किसी और सीट पर बैठेंगे। (भोर)

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। यह काल अटैन्डान्स मोड में राम विलास भार्मा जी का है और उनके सवाल का मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। क्या इनके अलावा और भी कोई मैम्बर इस पर सप्लीमेंटरी पूछ सकता है ?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अच्छा होता यदि भाम भोर सिंह जी की जगह पर इनको पार्लियामेंटरी अफेयर्स का मिनिस्टर बना दिया जाता। मुख्य मंत्री जी ने स्टेटमेंट के पेज तीन पर कहा है कि कमेटी को प्रबन्ध करना होगा। अब कह रहे हैं कि उसका पूरा प्रबन्ध करेंगे। अच्छी बात है। दूसरी बात इन्होंने यह फरमाई कि यह विषय जन स्वास्थ्य और सिंचाई विभाग, दोनों के एक्सपेरिमेंट में है। अभी इन्होंने कोई कैटेगोरीकल अ योरेंस नहीं दी, यह तो सारी टाल मटोल वाली बात है।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, एक बात तो आप मानेंगे कि इनके क्वेश्चन के बाद सी.एम. साहब ने बहुत कैटेगोरीकल अ योरेंस दे दी है।

श्री मंगल सैन: वह तो इन्होंने हमारे द्वारा क्लैरिफिकेशन मांगने पर दी।

श्री अध्यक्ष: यह तो और भी खुशी की बात है कि आपके कहने पर अयोरेंस मिल गई। (गोर)

श्री मंगल सैन: ठीक है जो, मैं कब कहता हूँ कि यह गमी की बात है। (हंसी)

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसे अभी मुख्य मंत्री जी ने बताया कि तीन जगहों के लिए पानी की योजना बन रही है। नारनौल में 1 करोड़ 48 लाख रुपये के करीब ओर लगेंगे। यह योजना हमीदपुर गांव में बनाने जा रहे हैं। क्या यह देख लिया गया है कि वहां पर पानी है या नहीं। अगर इतना पैसा खर्च ने के बाद भी पानी न मिला तो वह पैसा वेस्ट जाएगा। इसलिए वहां की नहर को पैरिनियल करने की कोशिश की जाए ताकि लोगों और पशुओं को पीने का पानी मिल सके।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, नहर 12 मासियां तभी होगी जब पंजाब में नहर खुद कर तैयार हो जाएगी। अगर नजदीक कोई छोटा माइनर भी हो फिर भी पानी का इन्तजाम हो सकता है लेकिन नारनौल और महेन्द्रगढ़ तो हरियाणा के बोर्डर पर पड़ता है और जहां से नहर ले जानी है वह जगह 150 किलोमीटर है। फिर भी सर्वे करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यहां पर इन्तजाम करने के बाद वहां पर नहर पहुंचेगी।

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: मैं अब वेरियस बिजनैस के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा फिकस किया गया टाइम टेबल रिपोर्ट करता हूँ।

“The Committee met at 11.00 A.M., on Monday, the 19th March, 1984 in the Chamber of the Hon’ble Speaker.

The Committee recommended that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly, whilst in Session, shal meet on Mondays, at 2.00 P.M., and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M., without question being put.

The Committee after a grat deal of discussino, also recommended that the Business on the 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd and 26th March, 1984, be transacted by the Sabha as follows:-

Monday, the 19th March, 1984 (2.00 P.M.)

1. Question Hour.
2. Presentation and adoption of the Second Report of the Business Advisory Committee.
3. Resumption of discussion on Governor’s Address.

Tuesday, the 20th March, 1984

1st Sitting (9.30 A.M. to 1.00 P.M.)

1. Questions Hour.

2. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks.

2nd Sitting (2.00 P.M. to till the presentation of Budget)

1. Questions Hour.

2. Presentation of Budget for the year 1984-85.

Wednesday, the 21st March, 1984 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Papers to be laid on the Table.

3. Official resolution regarding the amendment in the Estate Duty Act.

4. Discussion and Voting on Supplementary Estimates (Second Installment) 1983-84.

5. Discussion and Voting on Excess demands over grants and Appropriations for the years 1978-79, 1979-80 and 1980-81.

Thursday, the 22nd March, 1984 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. Non-Official Business.

Friday, the 23rd March, 1984 (9.30 A.M.)

1. Question Hour.

2. General discussion on Budget for the year 1984-85.

Saturday, the 24th March, 1984

OFF-DAY

Sunday, the 24th March, 1984

Holiday

Monday, the 26th March, 1984 (2.00 P.M.)

1. Question Hour.

2. General discussion on Budget and reply by the Finance Minister.

The Committee then decided to meet on the 26th March, 1984 at 11.00 A.M., in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। आज आपने 11 बजे अपने कमरे में हमें याद किया था और मैं हाजिर हुआ था। हमारे रूलज में प्रोवीजन है कि स्पीकर साहब से उन भुरू होने से पहले भी या बीच बीच में भी डिफरेंट ग्रुपस के रिप्रजेंटेटिवज के साथ बैठ कर बिजनैस ट्रांजैक्ट करने के बारे में कम्प्रोमाइज कर सकते हैं। स्पीकर साहब, 12 तारीख को आपने पहले याद किया था और उस दिन आपने हमारी बात मान ली थी। इस बीच में कुछ अन-पलैजेंट बात हो गई यानी एक मो उन आ गया।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, मेरी पोजी उन भी डिफीकल्ट है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, ठीक है यह तो हर एक ने अपने अपने सफ़ीयर में रहते रहते फंक्शन करना है। तो एक दिन हमारा उस मोडल में चला गया और उसकी जगह पर दूसरा दिन गवर्नर ऐड्रेस पर डिस्कशन अलाट नहीं हुआ। उस दिन भी हमारी अर्ज थी कि बजट पर दो दिन की डिस्कशन का कोई मतलब नहीं होता। बजट एक ऐसी चीज है जिस पर बड़ी थारोली विचार रखने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब मैं एक मिनट आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ। मैं यह पूरी कोशिश करता हूँ कि सभी मैम्बर साहेबान को बोलने के लिए पूरा पूरा मौका दिया जाए। मेरी तरफ से किसी भी माननीय सदस्य को यह गिला नहीं ठाकवा न हो कि मैं किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिए समय देने में एकमोडेट नहीं करूँ। मैं सभी माननीय सदस्यों को एकमोडेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में थोड़ी सी गर्मागर्मी हुई। मैं यह महसूस करता हूँ कि आपको भी कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे आपस में गर्मागर्मी हो जाए और फिर मुझे भी हाइपरटेंशन में कोई बात कहनी पड़ जाए। आज मुझ से थोड़ी गर्मागर्मी में बात कही गई इसलिए आप यह सोचते हैं कि मेरी नियत में आपको बोलने के लिए ज्यादा टाईम देने की बात नहीं है। आज मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। डा. साहब, जहां तक मैं समझता हूँ और आप भी यह महसूस करते हैं कि 30 मार्च तक बजट पास होना है। बजट पर डिस्कशन के

लिए मैंने आपको दो दिन का समय दिया है। इसी तरह से डिमांडज फार ग्रांटस पर डिस्कान के लिए मैंने आपको दो दिन का समय दिया है। इस प्रकार से चार दिन का समय आपको डिस्कान के लिए दिया गया है। दिनांक 27 और 28 को डिमांडज फार ग्रांटस पर डिस्कान होगी और 29 तारीख का जो दिन है वह आपका नान आफिियल डे है। 30 तारीख को बजट पास होना है और उस पर वोटिंग होनी है। अब आप बताएं बीच में कौन सा दिन रह गया जो मैं आपको बजट पर बोलने के लिए एडजैस्ट कर सकूँ। इसके अलावा मैंने ही नहीं बल्कि पार्लियामेंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने भी आपसे यह रिक्वेस्ट की थी कि जो नान आफिियल डे है उसको आफिियल डे में कन्वर्ट कर लिया जाए उस बारे में भी आप ऐग्री नहीं हुए। इसके अलावा आपसे यह रिक्वेस्ट भी की गई थी कि भानिवार के दिन सिटिंग कर ली जाए लेकिन उसके लिए भी आप ऐग्री नहीं हुए। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि एक दिन के लिए सिटिंग बढ़ा देते हैं उसके लिए भी आप ऐग्री नहीं हुए। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप किसी बात के लिए ऐग्री नहीं हुए ता फिर मेरे पास क्या चारा है कि मैं आपको बजट पर डिस्कान के लिए दो दिन से ज्यादा टाईम दे सकूँ।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsheer Singh Surjewala): Speaker, Sir, I beg to Move:-

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—

कि यह सदन बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के साथ सहमत है।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, अभी आपने जो फरमाया था उसके बारे में मुझे भी थोड़ी सी सबमिशन करनी है। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने अपनी बात कह दी। स्पीकर साहब, मैं जब से इस सदन का सदस्य बनता आ रहा हूँ तब से मेरा यही प्रयत्न रहा है कि मैं इस सदन का डैकोरम कायम रखूँ। मैंने हमेशा इस सदन का डैकोरम, इस सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम रखा है। स्पीकर साहब, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी सारे बिजनैस को रैगुलेट करती है और उस कमेटी को आप प्रिजाइड करते हैं। हमने आने वाले व्यू प्वायंट आपके सामने ही रखने हैं। पिछली बार बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हमने आपसे जो बातें कहीं उन बातों के लिए आपने हमें ऐडजस्ट कर लिया। आप प्रिवेल अपोन हो गए और हमारी बातें आपने मान लीं। आज हमारे मित्र चौधरी भामदेव सिंह सुरजेवाला जी फरमा रहे थे कि आपको बजट की जनरल डिस्कशन के लिए केवल दो दिन मिलेंगे वहाँ पर मेरी सहमति नहीं थी। इसलिए मैं मीटिंग से उठ कर बाहर चला गया। इसके अलावा स्पीकर साहब, मैं आपसे

एक बात तो यह अर्ज कर दूं जैसे आपने फरमाया कि मैं आपकी नीयत पर भाक करता हूं। स्पीकर साहब, मैं आपकी नीयत पर बिल्कुल भाक नहीं करता। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। स्पीकर साहब, करनाल में जहां आप रहते हैं, वहां पर मेरे भी कुछ रि तेदार रहते हैं, मैं उनके सामने भी आपके बारे में बहुत तारीफ करता हूं ओर कहता रहता हूं कि हमारे स्पीकर साहब बहुत नेक आदमी है। इनके मन में हमारे प्रति बहुत प्रतिशठा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी बहुत इज्जत करता हूं। हम तो इकट्ठे राजनीति में रहे हैं। स्पीकर साहब, आपके प्रति मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी तो यह खु ाकिस्मती है कि आप जैसे सज्जन पुरुश हमारे स्पीकर हे। मैं तो यह भी गौरव अनुभव करता हूं ओर हमें इस बात का सम्मान प्राप्त है कि पिछली तीन पीढ़ियों से हमारे सदन की अध्यक्षता वकील करते आ रहे हैं स्पीकर साहब, हमने आपको पक्षपात के बारे में जो बातें कही थी वह हमें आपका पक्षपातपूर्ण रवेया लगा इसलिए हमने कह दिया था अदरवाइज हमें आपकी नीयत के बारे में कोई गिला ि ाकवा नहीं है। इसके अलावा आपने एक बात यह कही कि बजट पर डिस्क ान के लिए दो दिन से ज्यादा टाईम देने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है इसलिए मैं आपसे यही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि यदि 12 तारीख की बजाये सै ान 5 तारीख को बुला लिया जाता तो इनको क्या फर्क पड़ जाता ? चौधरी भजन लाल जी 5 तीरख को भी सै ान बुला सकते थे। सै ान एक हफता पहले भी बुलाया जा सकता था। स्पीकर साहब, चौधरी भजन लाल जी तो हमे ा

जल्दी में रहते हैं। ये तो हमारी बातें सुनना ही पसन्द नहीं करते। इनका बस चले तो ये हमें सुबह को हटा दें। एक समय आया था इनको भी हटाया गया था, इनको भी मंत्री पद से हटना पड़ा था और इनके भाई के खिलाफ भी मुकदमें चले थे। स्पीकर साहब, डैमोक्रेसी की यह रिक्वायरमेंट है कि बजट पर डिस्कान हो और मैम्बर्ज केक विचार खुल कर सामने आएँ। बजट से इनमें करोड़ों रूपया जनता का खर्च होता है और यह सरकार बजट पर डिस्कान के लिए केवल दो दिन का समय दें और डिमांडज फार ग्रांटस जो करोड़ों रूपये की है उस पर भी यह सरकार डिस्कान के लिए दो दिन की मेहरबानी करे यह कहां का न्याय है ? इस तरह से गीरब जनता का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग से इसलिए उठ कर बाहर चला गया था कि जो बात ठीक न हो वहां पर बैठने की बजाय उड़ कर बाहर चले जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: डा. साहब, मैंने आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी, अब आप ही बताएं कि 30 मार्च तक बजट पर दो दिन से ज्यादा डिस्कान के लिए किस प्रकार से समय एडजस्ट किया जा सकता है ? 30 मार्च को बजट पास होना है, इस दौरान टाईम कैसे बढ़ाया जा सकता है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आपने अभी कहा कि मैंने भानिवार को सिटिंग के लिए ऐग्री नहीं कियसा। आप बिजनैस

ऐडवाइजरी कमेटी की प्रोसीडिंग्स निकाल कर देखें कि मैंने इस बारे में आपको ओफर किया था या नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष: आप भानिवार को सिटिंग के लिए अब भी मान लें तो अब भी भानिवार को सिटिंग के लिए विचार किया जा सकता है। (गोर)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, हम दिन रात कैसे बैठ सकते हैं ? हमें बोलने के लिए पूरी तैयारी करके आना पड़ता है। स्पीकर साहब, हमें बजट पर डिस्कान के लिए कम से कम चार दिन का टाईम मिलना चाहिए और चार दिन का आईम डिमांडज फार ग्रांट्स पर बोलने के लिए मिलना चाहिए। इसलिए स्पीकर साहब, मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि इस मोडान को वापिस दिया जाए और बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोबारा बुलाई जाए।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यदि नोन ओफिसियल डे को ओफिसियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमें कोई एजराज नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यदि नोन ओफिसियल डे को ओफिसियल डे में कन्वर्ट करना है तो इनकी हमारे ऊपर क्या मेहरबानी है ? स्पीकर साहब, हम नोन ओफिसियल डे को ओफिसियल डे में कन्वर्ट क्यों करेंगे ? (गोर एवं विधन)

श्रीमती चन्द्रावती (बाढड़ा): स्पीकर साहब, मैं किसी जरूरी काम की वजह से आज बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में नहीं आ सकी। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि आप बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दुबारा बुला लें और उसमें इन बातों पर दुबारा विचार कर लिया जाए। (गोर एवं विघ्न) स्पीकर साहब, बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोबारा बुलाई जा सकती है और उसमें सारी बातों पर दोबारा विचार किया जा सकता है। दोबारा मीटिंग बुला लें और उसमें सारी बातें निश्चित कर लें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, समय तो निश्चित हो चुका है, बार बार नहीं हो सकता। (गोर एवं विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनोंद): स्पीकर साहब, मैं आपसे एक सबमिशन करना चाहता हूँ कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी में पार्टी गुप के लीडर को ही नामीनेट किया जाता है इसलिए हमारी पार्टी के लीडर चौधरी देवी लाल जी को हमारी पार्टी की तरफ से आपने इस कमेटी में नामीनेट किया हुआ है। मैंने पिछली बार भी आपसे अर्ज की थी कि चौधरी देवी लाल जी बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बहुत कम आते हैं वे ज्यादातर बाहर ही रहते हैं इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी मैम्बर रिप्रिजेंट नहीं करता। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि मुझे बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में बुला लिया करें। जब तक आप मुझे आदेश

नहीं देंगे तब तक मैं बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में नहीं आ सकता।

श्री अध्यक्ष: मैं डा. साहब को तो मीटिंग में बुला लेता हूँ हालांकि रूलज में स्पे ल इन्वायटी बुलाने का कोई प्रोवीजन नहीं है।

श्री मंगल सैन: अगर रूलज में कोई प्रोवीजन नहीं है तो आप मुझे बे रूक मत बुलाया करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह: रूलज के हिसाब से आप स्पे ल इन्वयटी मैबर बुला सकते हैं। आपने डा. साहब को डीक बुला रखा है।

श्री अध्यक्ष: एक दो मैम्बरों को स्पे ल इन्वाइटी नोमीनेट किया हुआ है।

श्री मंगल सैन: तभी तो हम मीटिंग के अन्दरन आते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अभी हाउस क सामने रूलिंग पार्टी की तरफ से तीन सुझाव आए हैं। पहला सुझाव तो यह है कि भानिवार को एक बैठक और कर ली जाए। दूसरा सुझाव यह है कि नोन आफि रियल डे को आफि रियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाये और तीसरा सुझाव यह है कि कोई डबल सिटिंग कर ली जाये। स्पीकर साहब, यदि ऐसा यिका जाता है तो यह हमारे साथ अन्याय होगा। इस बात को हम भी मानते हैं कि 30 मार्च तक बजट पास

करना जरूरी है। स्पीकर साहब, यदि सै। न को जल्दी बुला लिया जाता तो भायद यह नौबत ही नहीं आती लेकिन यह ऐसा कभी करेंगे ही नहीं खास कर जब तक इनकी सरकार रहेगी। एक दिन तो आनरेबल स्पीकर साहब के खिलाफ नो कांफिडेंस मो। न आने की वजह से ही खराब हो गया। उसके बारे में हमने रिक्वैस्ट की थी कि यह मो। न बजअ पास होने के बाद लायी जाये। इसके लिए हमने कांस्टीच्यू। न का भी मो। न बजट पास होने के बाद लायी जाये। इसके लिए हमने कांस्टीच्यू। न का भी सहारा लिया था लेकिन हमारी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन हाला के अन्दर हकें सिर्फ बजअ पर 4 दिन ही दिए गए हैं जो कि बहुत कम समय है। इतना कम समय तो जो स्टेट हमारे से छोटी है, उनमें भी नहीं दिया जाता। आप हिमाचल को ही ले लें वहां का सै। न 12 अप्रैल तक चलेगा जबकि वहां पर कुल 60 मैम्बर ही हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मुझे सुझाव दें कि मैं क्या कर सकता हूँ ?

श्री वीरेन्द्र सिंह: आप ऐसे समय यह प्रस्ताव लाएं है कि आप कुछ नहीं कर सकते और न ही हम कुछ कर सकते हैं, सिवाये विरोध प्रकट करने के।

श्री अध्यक्ष: मुझे आप एक बात बताएं कि हाउस कौन सम्मन करता है ?

श्री मंगल सैन: गवर्नर करता है, सरकार के कहने पर।

श्री अध्यक्ष: इसमें स्पीकर का क्या रोल है ?

श्री मंगल सैन: आपका कोई रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं तो वही करता हूँ जो आप दोनों पार्टिज मुझे कहती है।

श्री मंगल सैन: पहली बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में फैसला हो चुका था कि बजट पर तीन दिन और तीन दिन ही डिमांडज पर मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप देखिए, बजट तो 30 मार्च तक पास करना ही पड़ेगा। आप कोई सुझाव बता दें, तभी तो मैं कुछ कर सकता हूँ।

श्री मंगल सैन: इन्होंने आपकी पोजी इन भी ओवरड कर दी और हमारी पोजी इन भी ओवरड कर दी। हम तो बोलना चाहते हैं नहीं भी बोलेंगे तब भी गवर्नमेंट चलेगी। हमें तो बोलने का अधिकार है। हम जनता की बात यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि जनता ने हमें चुन कर यहां पर भेजा है। हम तो यही चाहते हैं कि इस डैमोक्रेसी में आप इस तरह से प्रहार न होने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप कोई सुझाव तो देते नहीं, बजट तो 30 मार्च तक पास करना ही है।

श्री निहाल सिंह (अटेली): स्पीकर साहब, आज जो बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें सिर्फ डा. साहब ही थे। लीडर आफ दी अपोजी इन भी हाजिर नहीं थी। इसका हल अब यही है कि आप एक और मीटिंग आज ही अपने चैम्बर में बुला लें। वहां पर हम इस सम्बन्ध में डिस्क इन कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि इस बात पर मुख्य मंत्री जी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने मीटिंग के अन्दर मुझे भी नहीं बुलाया जबकि मैं इतनी बड़ी पार्टी का लीडर हूँ। (हंसी) आपने मुझे भी इग्नोर कर दिया है। इस सम्बन्ध में मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप एक मीटिंग ओर बुला लें तो कोई न कोई हल निकल ही आयेगा।

श्री अध्यक्ष: अगर इतने बड़े हाउस से कोई सुझाव नहीं आये तो मीटिंग करके तीन आदमी क्या सुझाव दे सकते हैं ?

चौधरी भजन लाल: आप कोई सुझाव दे दीजिए। हम सुझाव मानने के लिए तैयार हैं। 30 तक तो बजट पास करना ही पड़ेगा।

श्री निहाल सिंह: स्पीकर साहब, मीटिंग बुला ली जाए। हम आपके साथ मीटिंग कर लेंगे हाउस को डिप्टी स्पीकर साहब रन करते रहेंगे। हम वहां पर सुझाव दे सकते हैं

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, इनके पास कोई सुझाव है ही नहीं। यदि कोई सुझाव इनके पास होता तो ये आना सुझाव हाउस में

लाते। मीटिंग के अन्दर ऐसी कोई खुफिया बकात तो करनी नहीं जो यहां पर नहीं कही जा सकती हो। दूसरी बात डा. साहब ने यह कही कि सै।न 12 तारीख की बजाये 5 तारीख को बुलाया जाना चाहिए था। ये जो बातें कही गयी हैं ये सारी की सारी आफ्टर थोट है।

श्री मंगल सैन: विजडम का सारा ठो इनके पास ही है।

चौधरी भाम।ेर सिंह सुरजेवाला: जब पहली बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई तो उस समय कोई एतराज नहीं था। इन्होंने 2-3 दिन का और सै।न बढ़ाने के लिए कहा था, वह मुख्य मंत्री जी मान गए थे।

श्री मंगल सैन: आपको यहां पर सच बात कहनी चाहिए। स्पीकर साहब, आप खुद बताएं कि मैंने दो तीन दिन के लिए सै।न बढ़ाने के लिए कहा था या 5 दिन के लिए कहा था।

चौधरी भाम।ेर सिंह सुरजेवाला: पहली मीटिंग के अन्दर इनकी बात को मान कर हमने सै।न 4 अप्रैल तक बढ़ा दिया था। वहां पर सर्वसम्मति से फैसला हो गया था और यहां पर भी पहली रिपोर्ट सर्वसम्मति से मान ली गई थी किसी को कोई एतराज नहीं था। आज की मीटिंग के अन्दर लीडर आफ दी अपोजी।न आयी नहीं। किसी ने यह भी कहा कि हमें बुलाया नहीं गया। चौधरी देवी लाल जी को बुलाया गया था, वे भी

मीटिंग में नहीं आए। खुद मीटिंग में आते नहीं अब इलजाम रूलिंग पार्टी पर लगाते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, अभी सिंचाई एवं बिजली मंत्री ने कहा है कि मैं भी मीटिंग में नहीं आयी। जनाब कई बार इस तरह के हालात हो जाते हैं कि जिस वजह से समय पर नहीं आया जा सकता। आज मेरे साथ ऐसे ही हालात हो गये थे जिस कारण मैं मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझावा है कि आप मीटिंग को दोबारा बुला लें वहां पर हम एक मत से कोई न कोई फैसला ले लेंगे। ऐसे फैसले बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में ले लिए जाएं तो ठीक है। नहीं तो सारे फैसल हाउस में ही ले लिया करें।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला: यदि अपोजी 1न इस मामले में वाकई ही सीरियस है तो जो तीन सुझाव हाउस के सामने रखे गए हैं उनको मान लें। ये तो मैं ना मानू वाली बात करते वाक आउट करना चाहते हैं ये इस प्रस्ताव पर रिकार्ड के लिए बहिष्कार करना चाहते हैं। इनके पास कोई सुझाव नहीं हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को पास कर दिया जाये।

सहकारिता एवं डेरी विकास मंत्री (चौधरी बीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, इनकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आ रहा है। इनके

सामने तीन सुझाव रखे गए हैं, उनको भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये नोन ओफिाि ियल डे को भी ओफिाि ियल डे में कन्वर्ट करना नहीं चाहते। मेरा इस सम्बन्ध में सुझाव है कि इस सप्ताह के नोन ओफिाि ियल डे को ओफिाि ियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाये और अगले सप्ताह में जो नोन ओफिाि ियल डे है उसके साथ एक और ओफिाि ियल डे को नोन ओफिाि ियल डे कन्वर्ट कर दिया जाये।

वाक आउट

श्री मंगल सैन: हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम एज ए प्रोटैस्ट कि इस रिपोर्ट को सरकार जबरदस्ती पास करवाना चाहती है वाक आउट करते हैं।

(इस समय विरोधी दल के सभी सदस्य सदन से वाक आउट कर गए)

बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट (पुरराम्भ)

चौधरी भाम ाेर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, अब मो ान को पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्र ान है:—

कि यह सदन बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारि ाों के साथ सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

16.00 बजे

श्री अध्यक्ष: अब गवर्नरर्ज ऐड्रैस पर डिस्कान रिज्यूम की जाएगी। सरदार लछमन सिंह जी बोलेंगे।

श्री लछमन सिंह (कालका): जनाब स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने 12 मार्च, 1984 को जो ऐड्रैस हाउस में दिया था उसके भुक्रिया के प्रस्ताव की हिमायत में खड़ा हुआ हूँ और हाउस से दरखास्त करूंगा कि भुक्रिया के प्रस्ताव को यूनानिमसली पास कर दिया जाए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं भी आज भरे दिल के साथ अपनी स्पीच भुरू करना चाहूंगा जैसे कि गवर्नर साहब ने ऐड्रैस के पहले पैरा में चिन्ता प्रकट की है। पिछले कुछ दिनों से हमारी स्टेट के अन्दर जिस किस्म का वातावरण चल रहा है, उसके बारे में डिप्टी स्पीकर साहब आप जानते हैं वह भाहरा जहां पर गुरू तेग बहादुर जो हिन्द की चादर कहलाते थे, जिन्होंने देा की रक्षा के लिए एक नहीं, दो नहीं तीन खानदान कुरबान कर दिये थे, उनके गुरूद्वारे जलाये गये और रास्ता रोका गया। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बड़ी गम्भीर समस्या है और सारे हाउस को इस स्थिति पर विचार करना चाहिए कि जो कुछ आज पंजाब में हो रहा है, आया उसका असर हरियाणा के अन्दर जरूर रहना चाहिए। आज लोगों को

पार्टी पोलिटिक्स से ऊपर उठकर, जिस किसी के जैसे भी मजहबी ख्यालात हैं दे । की यकजहती के लिए, दे । को इकट्ठा करने के लिए, नै ।नल इन्ट्रैस्ट में और नै ।नल इन्टेग्रे ।न के लिए इस समस्या पर विचार करना है । डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें कोई भाक की बात नहीं है कि सरकार ने इस तरफ बहुत सारे कदम उठाये हैं और वह कामयाब भी हुई है । मैं अर्ज करना चाहतंगा कि एक बहुत बड़ी साईलेंट मूवमेंट चल रही है जिसके तहत माइनारिटी कम्युनिटी के लोगों को तरह तरह की बातें लोग कहते हैं । सबसे बड़ी बात जो आज कल चर्चा का मौजूं बना हुआ है, वह यह है कि लोग कहते हैं कि सी.एम. साहब को ऊपर से हिदायत हुई है कि हरियाणा में सिक्खों को रोका जाए और उनक साथ बदसलूकी की जाए । स्पीकर साहब, मैं सदन को कहना चाहूंगा कि इस किस्म की न तो ऊपर से कोई हिदायत हो सकती है और न ही इन्दिरा गांधी इस किस्म की बात सोच सकती है । She is the chamion of minority community, harijans, backward and weaker section of society. भले ही चीफ मिनिस्टर हरियाणा और मेरी आइडियोलोजी में पोलिटिकली इख्तलाफ हो सकता है और इसके कई वजुहात हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि वे ऐसा सोच ही नहीं सकते । एक गलती जो पुलिस ने की है, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहूंगा । यमुनानगर के अन्दर झगड़ा हुआ और वह झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि उस में डी.एस.पी. इन्वाल्वड था । करनाल के अन्दर भी बहुत सारे लोग मारे गये । डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर भी एक डी.एस.पी. लगा हुआ था जो जनता को भड़काने की

बात करता था। अब चीफ मिनिस्टर साहब देख लें कि इस में क्या सदाकत है ? पानीपत में भी डी.एस.पी. की वजह से ही गड़बड़ हुई, इसका भी सरकार को नोटिस लेना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। अपोजी इन के भाई बैठे हैं, श्रीमती चन्द्रावती बैठी है, श्री वीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, मैं इन से एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या वे किसी सिख को कह सतके हैं कि उसका हरियाणा प्रदेा के साथ इन्ट्रैस्ट नहीं है और उसने सदा पंजाब के फेवर की ही बात की हो और हरियाणा के फायदे की बात न की हो ? बाकी जगहों की बात आप छोड़िये, यहां की बताईए। अकाली पार्टी ने हरियाणा क हित में

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा। ये हमारे नाम को खामखाह घसीट रहे हैं और कह रहे हैं कि अपोजी इन वालों ने डिफैंड नहीं किया है। हम कहते हैं कि हरियाणा में रहने वाला एक एक सिख हरियाणा का है, इसमें कोई भाक नहीं।

श्री लछमन सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि आज के बाद जो सदस्य हाउस में बोले वह इस तरफ अपने ख्यालात का इजहार जरूर करे कि क्या हरियाणा के किसी सिख ने हरियाणा के हित के खिलाफ बात की है या हरियाणा के हित में अपने फर्ज से यूं पीछे हटा है ? अगर हटा हे तो हाउस जो भी कार्यवाही करे, हमें मंजूर है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं और सरदार सुजान सिंह हाउस में बैठे

हैं। हम दोनों भरे हाउस में कहते हैं कि हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम सिख कोम से ताल्लुक रखते हैं। (व्यवधान) इन्होंने कह दिया है और मेरी बात को सरदार सुजान सिंह ने स्पोर्ट किया है और जब वे बोलेंगे तो अपने आप बता देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, बहन भान्ति देवी पर बुजदिलाना हमला हुआ। आज कौन कह सकता है कि बहन भान्ति देवी भारीफ नहीं है, इनसे ज्यादा भारीफ कोई हो ही नहीं सकता। उन पर हमला हुआ। यह बहुत बुरी बात हुई है। अपोजी इन वालों ने तो इस हमले का जिकर किया है लेकिन जहां पर इतनी बड़ी कोम जो मजलूम हुई है, उनके जजबात को ठेस पहुंची है, उसका जिकर तक नहीं किया। मुझे अपोजी इन भाइयों से इस बात का गिला है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये हाउस के बाहर और अन्दर श्रीमती इन्दिरा गांधी को कोसते थकते नहीं। 24 घंटे बातें करते रहते हैं और यही इल्जाम लगाते हैं कि इन्दिरा गांधी जी इस मसले को हल नहीं होने देती।

श्री वीरेन्द्र सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। सरदार लछमन सिंह जी बोल रहे हैं, आफटरआल, हम जो कुछ इस हाउस में कहते हैं, वह दस साल के बाद 50 साल के बाद इतिहास बनेगा। Therefore, record must be straightened (Interruptions). अपोजी इन ने जब कभी कोई बात कही है, ठीक कही है, जब सिखों को जाने से रोका गया तब हमने आवाज उठाई, खूब बोले, अखबारों में भी बोले और मैंने इसके बारे में एक एडजर्नमेंट मो इन दी थी इसी सै इनप के दौरान लेकिन आपने उसको

मन्जूर नहीं किया। मैंने गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए कहा था कि जब हमारी एडजर्नमेंट मोशन आयेगी तो हम बतायेंगे कि किस प्राकर खुद मुख्य मंत्री, खुद इनकी सरकार, जो कुछ हरियाणा में हुआ है उसके लिए जिम्मेदार हैं।

श्री मंगल सैन: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने ओबचुअरी रैफ़ेंसिज पर बोलते हुए एक सुझाव दिया था। रिकार्ड में देख सकते हैं। उस सुझाव पर मुख्य मंत्री ने बड़ी फराखदिली से कहा था कि हरियाणा की धरती पर मरने वाले सब लोगों को श्रद्धांजलि में शामिल किया जाएगा। हमने यह भी कहा था कि पूजा के स्थान पर, वन्दना और आराधना के स्थान पर आक्रमण करना बड़ा ही निन्दनीय है। मैं सरदार लछमन सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि जब सिक्खों को दिल्ली जाने से रोका गया था तो हमने इस बात की निन्दा की थी, लेकिन आप उस समय मिनिस्टरी में थे।

श्री लछमन सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा मुद्दा यह नहीं है जो आप समझे हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा में अच्छा एटमोस्टफीयर रहे। पंजाब के बारे में हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है। पंजाब की हम कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं। हो सकता है पंजाब में एजीटेशन बहुत लम्बी चले लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अगर हालात बदस्तूर रहे तो बहुत कंडैमनेबल है। बहुत बुरी बात है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या हरियाणा के सिक्खों को भी यही सजा भुगतनी पड़ेगी? बी आर नाट बैगर्ज इन हरियाणा।

हम कोई दूसरे दर्जे के भाहरी नहीं है। हम इंडियन फस्ट एंड इंडियन लास्ट रहेंगे और हरियाणा के इन्ट्रैस्ट को सेफगार्ड करने के लिए मैक्सिमम कुर्बानी जो एक सिख दे सकता है, वह देगा। इसमें कोई भाक की बात नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज सबसे बड़ा मसला चण्डीगढ़ का है। दोनों पार्टीज यानी पंजाब वाले कहते हैं कि हम चण्डीगढ़ को लेकर रहेंगे और हरियाणा के लोग कहते हैं कि हम लेंगे। इन हालात में प्राईम मिनिस्टर साहिबा कैसे फैसला कर सकती है। आज हाउस चल रहा है, आप प्राईम मिनिस्टर साहिबा को कोई न कोई प्रोपोजल दे दें। कोई न कोई कंक्रिट प्रोपोजल दे दें जिसका एडवेंटेज कोई पोलिटिकल पार्टी लेने की कोशिश न करें। वैसे प्रोपोजल्ज बहुत है। अन्दर ही अन्दर हर आदमी चाहता है कि इसका फैसला हो जाए और हरियाणा का कैपिटल कुरुक्षेत्र या जींद या रोहतक के दरमियान बने। लेकिन खाहमखाह एक झगड़े की बुनियाद डाल रखी है। आज पंजाब और हरियाणा की दोनों सरकारों को मिलकर कोई न कोई क्लीयर कट प्रोपोजल देनी चाहिए जिससे प्राईम मिनिस्टर साहिबा बिल्कुल निश्चिन्त हो जाएं। एक पार्टी को चण्डीगढ़ दे देना चाहिए और दूसरी पार्टी को 500 करोड़ रूपया दे दिया जाए, इससे चण्डीगढ़ का मसला हल हो जाएगा।

श्री मंगल सैन: सरदार लछमन सिंह जी, आप अन्दर की बात बता रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है कि जीन्द में या और कहीं अगर राजधानी बनती है। हम प्रोपोज करते हैं कि मैडम ने,

जिसके आप फौलोअर है, जो दो अवार्ड दिए हैं उन दोनों को लागू करो वरना ये भी इस्तीफा दें, आप भी दें और हम भी देंते हैं। (विघ्न)

श्री लछमन सिंह: अवार्ड 1971 में दिया था। 13-14 वर्ष हो गए हैं। (विघ्न) एक पार्टी अगर उसे न माने तो वह कैसे इम्पलीमेंट हो ? (विघ्न) डा. साहब, इस अर्से में तो आपकी सरकार भी रही है, जनता पार्टी की सरकार भी रही है। (विघ्न) उसमें मैं भी था। मैं कब कहता हूँ कि मैं उसमें नहीं था। (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, तीन सरकारें बदल चुकी हैं उस अवार्ड के बाद। श्रीमती गांधी की सरका आई, जनता पार्टी की सरकार आइ और आज फिर श्रीमती गांधी की सरकर है। यह झगड़ा आसानी से हल होने वाला नहीं है। बहुत लम्बा चलेगा। (विघ्न) मैं। एक माइन्योरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूँ। मैं यह इम्प्रेान नहीं देना चाहता कि मेरे जजबात मजरूँ हैं। इसमें कोई भाक की बात नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, असैम्बली की मैम्बरी मेरे लिए बड़ी चीज नहीं हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा बौदर नहीं करता। हमें पता है कि *We are injured persons in Haryana.* मैं चीफ मिनिस्टर साहब को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि जहां पर सिखों के जजबात इन्जर्ड हुए हैं और वे अपने आप को निहत्थे समझते हैं वे मेरी एक बात को मानें। पानीपत के अन्दर गुरुद्वारे में अखंड पाठ रखवाएं और किसी मन्दिर के अन्दर रामायण का पाठ रखवाएं। वहां के हिन्दुओं को गुरुद्वारा में ले जाएं और सिखों को मन्दिर

में ले जाएं। दोनों का वहां लंगर इकट्ठा हो। दोनों भाइयों को मिलाया जाए। सब के सब सारे भाहर में गत लगाएं और दरखास्त करें कि We have to live here, we have to die here and we are the citizens of Haryana. यह स्टैप वातावरण को ठंडा करेगा और कूल डाउन करेगा। इससे स्टेट का ऐटमासफियर जो है वह एक दम से ठीक होगा। इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि ये वहां पर स्टेट लैवल का फंक्शन करें। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि जिन आदमियों का करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है उसको सरकार जल्दी से जल्दी कम्पनसेशन दे। कम्पनसेशन जितना ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता हो दिया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, स्पीकर साहब ने अभी पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट दी थी कि हरियाण के सिख चौधरी भजन लाल जी के साथ हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। चौधरी भजन लाल जी के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आती है जबकि स्पीकर साहब ने इनको यह कहा हो। इनका यह फर्ज बनता है कि जो लोग आज लाचारगी की, हालत में हैं, मजबूरी की हालत में हैं, उनकी यह मैक्सिमम मदद करें मैक्सिमम मदद करने से उनके जजबात जो इंजर हुए हैं, वे ठीक होंगे और वे दुआ देंगे। दुःखी लोगों की मदद करने पर भगवान भी दुआ देता है। (विघ्न) मैं डाक्टर साहब और चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी से यह अपील करूंगा कि कल जब ये जवाब दें तो ये बताएं कि आया ये मेरी प्रपोजल से ऐग्रीएबल है या नहीं

है। मैं हाउस के सभी मैम्बर्ज से भी अपील करूंगा कि वे पानीपत के गुरुद्वारे और मन्दिर में जाएं। (विघ्न)

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, सरदार लछमन सिंह जी ने एक बात कही है और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 23 फरवरी को इन्होंने मुझे याद किया था और हमने कोमन अपील की थी। हम उसमें भामिल हुए थे। सरदार लछमन सिंह जी तब कहे यदि हम भामिल न हुए हों। जहां ये कहेंगे हम चलने के लिए तैयार है। (विघ्न)

Mr. Deputy Speaker: Please do not interfere.

श्री लछमन सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, ये मेरा बहत टाईम ले गए है। डिस्टरबेंस बहुत है। पता नहीं डा. साहब को क्या गुस्सा है ? (विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि ऐटमासफियर को कूल करना चाहिए। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त है कि भूट एट साईट वाला हूकम अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। डा. साहब को कई खत आ रहे हैं लेकिन इन्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम इनके साथ है। (विघ्न) जहां आपका खून गिरेगा वहां हम आपके साथ चलेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है।

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, इनको मेरी तबीयत का पता है। हम इकट्ठे जेल में रहे हैं। मैं घबराने वाला नहीं हूँ। (विघ्न)

श्री लछमन सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि हमें इस मामले को बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया दो मिनट में वाइन्ड अप करें।

श्री लछमन सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक दो बातें और अर्ज करना चाहूंगा। गवर्नर साहब ने अपने ऐड्रेस में सरकार की एक साल की परफारमेंस का और इसकी पोलसीज का जिकर किया है। ये बातें गवर्नर ऐड्रेस में हुआ ही करती है क्योंकि गवर्नर साहब ने साल में एक दफा ही भाषण देना होता है लेकिन मैं सरकार से पानी के मामले पर खास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ क्योंकि यह एक डिक्लेड से प्रोग्राम चल रहा है। प्राईम मिनिस्टर साहिबा के 20 प्वायंट प्रोग्राम के तहत पानी सारे इलाकों में देने का फैसला किया गया है। बहुत सारी स्कीम्ज पानी की सैंव इन हुई हैं लेकिन मुक्ति की बात यह है कि वे इम्प्लीमेंट नहीं होती। चीफ मिनिस्टर साहब के पास यह महकमा है। मैं इनसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि ये जरा अफसरों को खींचे क्योंकि आगे दौड़ और पीछे चौड़ हो रही है। जहां पानी पहले दिया हुआ है, वह अब बंद होता जा रहा है। उन स्कीम्ज की रिपेयर के लिए पैसा रखा जाना चाहिए और वह पानी कंटिन्यू रहना चाहिए।

बिजली की सप्लाई न होने की वजह से आजकल पानी कही भी नहीं है। (विधन) में कल कालका गया था। चार दिन से कालका में पानी नहीं है क्योंकि वहां बिजली नहीं है। महेन्द्रगढ़, रोहतक, सोनीपत और डिप्टी स्पीकर साहब, आपके इलाके में भी पानी की बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सरकार को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सड़कों की भी इसी तरह की हालत है। मेरे हल्के में तो कोई सड़क बनी ही नहीं है। इस बारे में बजट पर जब आप मुझे बोलने का टाइम देंगे तो बात करूंगा। (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, इन भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए हाउस से अपील करूंगा कि हमारी स्टेट का जो वातावरण है हम सब इकट्ठे होकर उसे ठीक करने की कोशिश करें और यहां पर अमनो अमान कायम करने का प्रयत्न करें।

श्रीमती बसन्ती देवी (हसनगढ़): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं गवर्नर ऐड्रेस का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूँ। उन्होंने अपने भाषण में बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत हरिजनों के लिए बहुत लम्बे चौड़े दावे किए हैं लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि सालों साल के राज में कांग्रेस सरकार ने हरिजनों के लिए जो कुछ किया है वह न के बराबर है। यह सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है। जब भी हरिजनों की बेहतरी के लिए या हरिजनों का नाम लेकर कोई प्रोग्राम बनाया जाता है वह उनकी गरीबी, उनके भाषण और उनके दुःख को दूर करने के लिए नहीं बल्कि इस बात को सामने रखकर बनाया जाता है कि कैसे हरिजन और नौन

हरिजन के दिल में नफरत पैदा की जाए और सारे के सारे वाटस कांग्रेस हासिल कर सके। मिसाल के तौर पर इन्होंने हरिजन बस्तियों में लाईट का प्रोग्राम चलाया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि हरिजन बस्तियों में लाईट का क्या फायदा है ? क्या कांग्रेस सरकार ने हरिजन भाइयों को इतना अमीर बना दिया है कि उनके यहां चोरी और डाके का डर है ? डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आप सुनेंगे तो हैरान होंगे कि उनकी बिजली का बिल कौन देता है ? वह नौन हरिजन देता है जिनकी गलियों में अंधेरा है। डिप्टी स्पीकर साहब, कोई कितना ही फराख दिल क्यों न हो, अगर ऐसा सलूक किया जाएगा या ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएंगे तो हरिजनों और नोन हरिजनों में नफरत पैदा हुए बिना न रहेगी। गांव में आज कुएं बनाए जाते हैं और चौपालें बनाई जाती है। मैं यह कहती हूं कि अगर गांव में एक चौपाल काफी नहीं है तो दो बना दी जाएं और दो भी काफी न हो तो तीन बना दी जाएं लेकिन उकनो किसी का नाम क्यों दिया जाता है ? यह हरिजन की चौपा है, यह चमार की चौपाल है, यह किसी और की चौपाल है, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। सारे गांव के लिए एक चौपाल हो और जो जहां बैठना चाहे बैठे। इससे सरकार की बुरी नीयत नजर आती है। यह हरिजनों और नौन हरिजनों को मिलने नहीं देना चाहती। यह इनका एम है। अगर सरकार हरिजनों की वैल विार होती तो यह देखती कि हरिजनों का एक एक बच्चा स्कूल जाता, उनकोक यह ऐजुकेान देती लेकिन आज 50 प्रतिगत से ज्यादा हरिजनों के बच्चे गांव की गलियों में घूमते हैं और स्कूल

में नहीं जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कांग्रेस सरकार हरिजनों को तो उभार नहीं पाई लेकिन इसके साथ साथ एक और क्लास पैदा होती जा रही है जिसमें सभी जातियों के लोग हैं। यह क्लास है इकोनोमिकली वीकर सैव इंज की क्लास। इसमें पंडित हैं, जाट हैं, अहीर हैं, गुज्जर हैं और दूसरी जातियों के लोग हैं। जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनके लिए आज कुछ नहीं किया जा रहा है। (विघ्न) एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ। हरिजन भाइयों के लिए प्रामो इन में रिजर्वे इन है। अगर उनकी नौकरी में रिजर्वे इन हो तो किसी भी भाई को दुःख नहीं है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि पुराने रीति रिवाजों की वजह से वे बहुत पिछड़े रहें हैं इसलिए उनकी रिजर्वे इन होना जरूरी है। मेरी आपके जरिए सरकार से रिक्वेस्ट है कि जब कोई हरिजन भाई एक बार सर्विस में आ जाता है तो उसे प्रामो इन में रिजर्वे इन नहीं दी जानी चाहिए। जब वह सर्विस में आया तो उस समय भी वह रिजर्वे इन में आया है।

श्री भले राम: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिजर्वे इन दी जाती है।

श्रीमती बसन्ती देवी: क्या हम यहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं बोल सकते ? डिप्टी स्पीकर साहब, अगर किसी व्यक्ति को आउट आफ टर्न किसी योग्य और सीनियर व्यक्ति के ऊपर बैठा दिया जायेगा तो जिसके ऊपर वह बैठा है उसे नफरत जरूर पैदा होगी। इसलिए यह प्रामो इन में

रिजर्वे तान नहीं होनी चाहिए। दूसरे मैं यह भी कहूंगी कि हरिजनों के लिए जो कुछ काम हो रहा है वह सिर्फ ढकोसला है, काम तो ना के बराबर है।

डिप्टी स्पीकर साहब, फ्लड के विशय में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहती हूँ। रोहतक में जो फ्लड आया है वह मैन मेड है। वहां पर चार पांच साल में एक एस.ई. बैठा हुआ है। उसने न कोई ड्रेन खुदवाई और न ही फ्लड को रोकने के लिए दूसरे प्रबन्ध किये। बारि 1 चाहे कितनी भी हो अगर बारि 1 के पानी को निकलने के लिए रास्ता हो तो एक दिन भी पानी नहीं रूक सकता। अगर पानी निकलने के लिए रास्ता ही नहीं होगा और चारों तरफ पानी खड़ा हो जाये तो वह कहां से निकाला जायेगा। हरियाणा सरकार के अफसरों ने यही किया है। कहीं सड़क बनायी है वहां साइफन नहीं बनाया। कहीं पर ड्रेन खोदी गई है वहां पुल नहीं बनाये। मेरे अपने हल्के में जो ड्रेनज खोदी हुई हैं उनकी सिफाई नहीं हो रही है जिस कारण से पानी खेतों में रूका हुआ है। मेरे अपने हल्के के सात गांवों के खेतों की जमीन में 75 परसेन्ट हिस्से में पानी खड़ा है। इसलिए मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगी कि उन लोगों के लिए भी सरकार ने कुछ सोचा है। डिप्टी स्पीकर साहब, जब ओलों से फसल नष्ट हो जाती है तो किसानों को मुआवजा दिया जाता है लेकिन जिन लोगों को बारि 1 के पापनी से पहली फसल नष्ट हुई, दूसरी फसल पानी न निकलने के कारण बो नहीं पाये और तीसरी फसल भी बोने की उम्मीद नहीं है

क्योंकि वहां पर अब भी पानी खड़ा है। जब ओलों से नष्ट हुई फसल के लिए मुआवजा मिल सकता है तो इन लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या उन लोगों के लिए पैसा नहीं मिल सकता। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि क्या उन लोगों के लिए पैसा नहीं है ? सरकार मिनिस्टर्स के हजारों रूपये के टेलीफोन के बिल एक दिन के देती है तो क्या उन गरीब किसानों के लिए मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है ?

सड़कों की भी यही हालत है। सी.एम. साहब ने कहा कि हर गांव को सड़क से मिला दिया गया है। ठीक बात है कि हर गांव सड़क से मिला हुआ है लेकिन मेरे अपने हल्के में माइना गांव में चार साल पहले मार्किट कमेटी ने सड़क बनानी भुरु की थी लेकिन आज तक यह पता नहीं लग पा रहा है कि वह सड़क बनानी बन्द क्यों कर रखी है। वहां पर पत्थर पड़े हुए है लेकिन सड़क नहीं बन रही। पत्थर गांव के लोगों के लिए मुसीबत बने हुए है। औरतें पानी लेने के लिए जाती हैं तो उनके पैरों में पत्थर लगते है। उन पर चलना बहुत मुश्किल है। दूसरे रास्ते से जाये तो दो किलोमीटर से ज्यादा रास्ता तय करके जाना पड़ता है। जिस दिन से मैं। एक.एल.ए. बनी हूँ उसी दिन से ऐप्रोच कर रही हूँ कि इस सड़क को बनाया जाये। मैंने किसी आदमी को ऐप्रोच किये बिना नहीं छोड़ा चाहे कोई आफिसर हे या मिनिस्टर है। पीपल साहब से भी मैंने इस बारे में कहा लेकिन उन्होंने भी गौर

नहीं किया। आज पीपल साहब भी बैठे हुए हैं और चीफ इंजीनियर साहब भी हैं, वे नोट कर ले और उस सड़क को जल्द से जल्द बनवा दें। अब तक जो रिजल्ट है वह तो जीरो है और यों की यों सड़क पड़ी है। इसी तरह से रोहतक से झज्जर जो सड़क जाती है वह फलड में तहस नहस हो गई थी। जहां यह रास्ता एक घन्टे का था वह अढ़ाई घन्टे में तय किया जाता था। बस उस सड़क पर ऊंचे-नीचे होती रहती थी। लोगों के सिर छतों को लगते थे। अगर कोई प्रगनेन्ट औरत सफर कर ले तो उसका अबोर 1 न अव य हो जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं 18 तारीख को रोहतक से झज्जर गई और बीस तारीख को उसी सड़क से वापिस आई। उस दिन वह सड़क ठीक थी। बस में कोई झटका नहीं लगा। मैंने सोचा कि इतनी जल्दी सड़क अच्छी कैस हो गई ? बस एक घन्टे में रोहतक पहुंच गई। मैंने लोगों से पूछा कि इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई ? लोगों ने बतायसा कि लकडियां गांव में एक बहुत बड़े अफसर उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। बस में पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि कोई बड़े अफसर आ रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि एक अफसर के आने से बीस किलोमीटर की सड़क 24 घन्टे में इतनी अच्छी हो सकती है तो मेरे हल्के की सड़क इतने दिनों से क्यों पड़ी हुई है, वह क्यों नहीं बन रही ? डिप्टी स्पीकर साहब, जब मैं रैस्ट हाउस में टेलीफोन करने के लिए गई तो वहां पर पता लगा कि चन्डीगढ़ से लोग उनके स्वागत के लिए आये हुए हैं। वहां पर जिले का डी.सी. बैठा हुआ था। वह उद्घाटन कर सकता है।

चन्डीगढ़ से लोगों को जाने की क्या आवश्यकता है ? यह सिर्फ चापलूसी है मैं उस आफिसर से से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे हल्के के माइना गांव में भी चले जायें तो मेरे हल्के के गांव की भी सड़क बन जाये ।

इसी तरह से मेरे हल्के में भालोठ गांव है, उस गांव की जितनी भी मोरियां थी वे सब ऊंची कर दी गई है । इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें दुबारा नपवा कर जितना स्टैन्डर्ड है उसके हिसाब से बनवा दें ताकि खेतों में पानी पहुंच सके ।

श्री उपाध्यक्ष: यह बात तो बजट से सम्बन्धित है । इसलिए इन बातों के बारे में बजट पर बोलें । जो आफसर का नाम लिया गया है वह रिकार्ड न किया जाये ।

श्रीमती बसन्ती देवी: डिप्टी स्पीकर साहब, अटाल गांव में छः क्लास के बच्चों की यह हालत है कि वह अपना नाम लिखने के सिवाए अपने बाप का नाम भी नहीं लिख सकते । जब मैंने इस बारे में डी.पी.आई. साहब से जिकर किया तो वे कहने लगे कि यहां तो मास्टर्स को भी अपने बाप का नाम नहीं लिखना आता ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं । स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहती हूं । गिराऊड गांव के एक लड़के श्रीनिवास ने 8 जुलाई, 1983 को गेहूं में डालने वाला जहर खा लिया । उसके घर वाले उसको हास्पिटल ले कर चले गये । वहां पर उन्होंने डाक्टर

के प्राइवेट तौर पर देखने के लिए जो 40 रूपये फीस थी, वह भी जमा कर दी लेकिन जब काफी देर तक डाक्टर कोई नहीं आया तो उसने हाउस सर्जन को कहा। हाउस सर्जन ने उसके रि तेदारों की अपने पास बुलाया और उनका यह कहा कि 200 रूपये लाओ। उन गरीब आदमियों के पास इतने पैसे नहीं थे। खैर, उन्होंने 200 रूपये कहीं से इधर उधरसे उधार लिये और डाक्टर के पास गये। जब डाक्टर उसके बाद देखने के लिए पहुंचा तो वह लड़का मर चुका था। (व्यवधान व भाोर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भामोर सिंह सुरजेवाला): उस डाक्टर का नाम हमें आप प्राइवेटली बता देना। (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती बसन्ती देवी: यह तो ठी कबात है कि वह जहर असली था। डिपार्टमेंट आफ स्किन एण्ड वी.डी. डिपार्टमेंट आफ एनैसथीसिया और डिपार्टमेंट आफ पैडियाट्रिक में हैड आफ दी डिपार्टमेंट जो हैं, वह काफी जूनियर डाक्टर हैं, कोई भी सीनियर डाक्टर वहां रहना नहीं चाहता। वहां की हालत बहुत खराब है। 17 नम्बर वार्ड में एक एक्सरे की मीनी खरीदी गयी है जो आउटडेटिड थी वह 20 लाख रूपये की मीनी थी। किसी डाक्टर को 4-5 लाख रूपये मिल गये होंगे इसलिए वह मीनी खरीदी गयी हालांकि वह मीनी आज भी पैकड रखी हुई है।

चौधरी भामे र सिंह सुरजेवाला: डिप्टी स्पीकर साहब, यह वाईल्ड एलीगे न है, इसको ऐक्सपंज किया जाये। यह बहुत ही गलत बात है। (व्यवधान व भाोर)

श्री उपाध्यक्ष: इन भाब्दों को ऐक्सपंज किया जाये। (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती बसन्ती देवी: मैं नाम लूंगी लेकिन हाउस से बहार के भाशण में ले दूंगी। आखिर में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारे सी.एम. साहब जो है, he possesses every quality of a politician but he does not have the art of saying 'no'. जहाँ पर भी उनसे जो भी कहा जाता है, उसी के लिए वह एकदम से हां भर लेते हैं वहाँ पर पत्थर लगा देते हैं। जगह जगह पर पत्थर लगा दिये गये हैं। मेरा उनको यह सुझाव है कि वह वहीं पर पत्थर लगायें जहाँ पर वह पैसा दे सकते हों ओर काम को भुरू कर सकते हों। इन्हीं भाब्दों के साथ, मैं इस गवर्नर एड्रेस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है, उस का विरोध करती हूँ।

श्री भागी राम (ऐलनाबाद अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, 12 मार्च, 1984 को राज्यपाल साहब ने एक किताब पढ़ दी। जिस किताब को इस विधान सभा के या कहीं के किसी कर्मचारी ने लिखा और लिखकर तपासे साहब के आगे कर दी और जबरदस्ती उनके पढ़ाई गयी। इस किताब को पढ़ने का उनका जी तो नहीं करता था, क्योंकि इस किताब में कोई सच्चाई

की बात नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस किताब को पढ़ने के बाद यह मालूम होता है कि इसमें खासकर दो तीन बातों का ही जिकर किया गया है। एक तो 20 सूत्री कार्यक्रम का, एक किसान का और एक हरिजन का। जगह जगह पर इन्हीं तीनों बातों का जिकर है। चौथी कोई बात इस ऐड्रेस में नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार जैसा सूलूक किसानों के साथ कर रही है वह आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। हरिजनों के साथ किस किस का सलूक किया जा रहा है वह भी आसे कोई छिपा हुआ नहीं है। हमारी पिछल फसल नर्म और कपास की बिल्कुल खराब हो गयी थी। हमारे पडोसी राज्य पंजाब में उसका मुआवजा दिया गया लेकिन हमारे यहां पर कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हिमाचल में भी मुआवजा दिया गया। (व्यवधान एवं भाोर) हिमाचल में सेबों की फसल खराब होने पर मुआवजा दिया गया है लेकिन हमारे यहां कपास की फसल खराब होने से कोई मुआवजा नहीं दिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, हमने चने, गेहूं और सरसों बगैरा की फसल खराब होने के कारण काल अटैं इन मो इन दी है। यह फसल इतनी बरबाद हो गयी है कि जो बीज बोया था वह बीज होना ही मु कल है और परसों भगवान की तरफ की तरफ से कोपी एक और आयी कि ओले पड गये। उसने जो बची खुची फसल थी वह भी तबाह हो गयी है। मेरे एरिया में श्री लछमन दास अरोडा, मंत्री महोदय भी गये थे और इन्होंने वहां पर ट्रैक्टर की ओलों की भरी हुई ट्राली देखी थी। यह सरकार किसानों के साथ और खासतौर पर सिरसा जिले के साथ किस तरह से भददा

मजाक कर रही है यह देखने योग्य है। आज सिरसा जिले के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह ठीक बात है कि इस जिले से तीन भाई हैं। एक मंत्री भी है। एक का नाम अपोजि इन में है और एक इनके आगे पीछे घूमता फिरता है कि मुझे मंत्री बना दो, मंत्री बना दो। इन की कोई चलती नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि सिरसा जिले के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में एक एसजीसी नहर है। उस पर आज से अठाई साल पहले काम शुरू हुआ था। एसजीसी नहर को एक तरफ से पैरेनीयल नहर बनाना था। वह चौधरी देवीलाल जी के टाइम से चल रही है लेकिन आज तक भी वह कम्पलीट नहीं हो सकी है। कभी उस पर चार पाच हजार ईटें गिरा देते हैं तो कभी तीन चार हजार। लेकिन वह नहर अभी तक कम्पलीट नहीं हो सकी है। एक एलनाबाद माईनर है उसका काम शुरू हो रहा था। उसके ऊपर भी अब काम बन्द कर दिया गया है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में एक चंचाल माईनर है। वह मजूर मुदा माईनर है। चौधरी देवीलाल के टाइम में वह मंजूर हुई थी लेकिन उसके ऊपर भी अब काम बन्द कर दिया गया है। एक मल्लका माईनर है जिस वक्त चौधरी देवीलाल हटे थे और चौधरी भजन लाल और चौधरी भाम देर सिंह सुरजेवाला साहब ने कार्यभार संभाला था उस वक्त की मंजूर मुदा है। उस माईनर से कस्सी टोकरी उठाकर पता नहीं कहां ले गई। पता नहीं आदमपुर ले गये या कहीं और, इस किस्म का भेदभाव सिरसा जिले के साथ बरता जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस किताब को पढ़ने के बाद जिस

तरह से बहिन जी ने अभी बताया, इसमें हरिजनों के बड़े गीत गाये गये हैं। आज सुबह ही मरे साथी फूल चन्द जी ने बताया कि बिजली बोर्ड ने कोई एक फैसला किया है जो 2-3-84 को इन्होंने लैटर इ लू किया है उसके मुताबिक जो रिजर्वे इन का कोटा था वह विदड़ा कर लिया गया है ताकि हरिजनों को इसका कोई फायदा न हो सके। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी बहिन भाकुन्तला, पीपल साहब और इन सब हरिजन एमएलएज को एक्साईज डिपार्टमेंट में जो एक एक एईटीओ की पोस्ट है। (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी भामेरा सिंह सुरजेवाला: आन न प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा था कि बिजली बोर्ड ने रिजर्वे इन कोई विदड़ा नहीं की है। वह तो एक कोई कोर्ट का फैसला है। उसको एग्जामिन करके हम देखेंगे। जितनी हम इनकी मदद कर सकेंगे करने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान एवं भाोर)

श्रीमति चन्द्रावती: आन न प्वायंट आफ आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब बाद में जवाब दे सकते हैं इस तरह से बीच में इन्ट्रूट करने और रनिंग कमेंट्री देते रहना कहां तक ठीक है? (व्यवधान एवं भाोर)

चौधरी भाम ेर सिंह सुरजेवाला: जो गलत बात है उसको तो कन्ट्राडिक्ट करना ही पड़ेगा। आप वैसे तो हमें बोलने ही नहीं देते।(व्यवधान एवं भाोर)

श्री भागी राम: सर, उसकी चिट्ठियां चौधरी भजन लाल जी को, चौधरी भाम ेर सिंह जी को, चीफ सैक्रेटरी को, बहिन भाकुन्तला, करतारी देवी, और सुलतान सिंह इन सब को कापियां दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एईटीओ की पोस्ट है। एईटीओ को ईटीओ बनने की बात है। यह सरकार हरिजनों के साथ कितनी ज्यादाती कर रही है यह मैं बताना चाहता हूँ। ईटीओ बनने की नम्बर हरिजन भाई का आता है लेकिन मैनजैमेंट एक सरकुलर निकाल रही है जिसके अनुसार इस पोस्ट को 1966 से क्लास टू बनाया जा रहा है। क्लास टू बनने के बाद जो हरिजन भाई इस पोस्ट के लेने के लिए बहुत समय से आ गए लगाए बैठे थे उनकी आ गए धूमिल हो जाती है। वे कर्मचारी भुक्न्तला बहन से मिले भी थे और इन्होंने कुछ कोर्ि । भी की थी। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार 35-36 साल से हरिजनों को कोई न कोई लालच देती रही है। कभी तो जमीन का लालच दे दिया, कभी प्लाट का लालच दे दिया, कभी कोई और लालच दे दिया और जब इस सरकार ने बीस सूत्री कार्यक्रम का लालच दे दिया है। एक आदमी भूखा बैठा है वह बीस सूत्री कार्यक्रम का क्या करेगा? उससे उस भूखे आदमी का पेट तो भरने वाला नहीं है। यह तो केवल कागजी कार्यवाही है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप

जानते है कि इस सरकार के मंत्रियों को तो कोई भी आदमी मंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है। जगदी । नेहरा पिछले दिनों अपनी कांस्टीच्यूएंसी में गए थे और वहां पर गांव के सब लोग इक्टठे हुए थे।

श्री उपाध्यक्ष: कोई पर्सनल रिमाक्स आप न करें।

श्री भागी राम: मैं कह रहा था कि गांव वाले सब इक्टठे हो गए और सब ने फैसला किया कि हमने एक मांग रखनी है। वह मांग उन्होंने लिखकर रख ली। डिप्टी स्पीकर साहब, इनके साथ चौधरी दलबीर सिंह भी थे। गांव वालों ने अपनी मांग पढकर सुना दी और वह मांग इस तरह से पढकर सुनाई। पिछले इलैक् इन में नेहरा साहब को हमने सिक्कों से तोला था। नेहरा साहब ने हमारा कोई काम नहीं किया इसलिये हमारी मांग है कि वे हमारे सिक्के वापिस करवाए जाएं जो इलैक् इन के टाईम पर दिए गए थे। सारे गांव वालों ने इनको काले झण्डे दिखाए। इस किस्म के ये मंत्री है। डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां जेबीटी सैन्टर ओडा है। श्री जगदी । नेहर ने अपनी धांधली मचाई कि जो गुड फस्ट डिविजन के लडके लडकियों थी जिनको उसमें दाखिला मिलना चाहिए था उनको दाखिला नहीं दिलवाया और जो थर्ड डिविजन लडके लडकियां इनकी जान पहिचान के थे उनको एडमी इन दिलवा दिया.....

Mr. Deputy Speaker: The Hon'ble Minister is not in the House. You may avoid personal aspersions on him (Noise).

श्री भागी राम: वे यहां पर होने चाहिए थे। डिप्टी स्पीकर साहब, वे अपने जवाब में इसके बारे में कह सकते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस किस्म के काम ये मंत्री लोग कर रहे हैं और लोगों को इनमें कोई वि वास नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हरियाणा के अन्दर एक गिरोह सक्रिय है जो कस्टोडियन की जमीन हडपना रहता है।

श्री उपाध्यक्ष: कस्टोडियन की जमीन का तो गवर्नर ऐड्रेस में कहीं कोई हवाला नहीं है।

श्री भागी राम: इसमें जिक्र है। वह मैं बताता हूँ। इस गिरोह में हरबन्स लाल नाम का आदमी है और वजीर मोहम्मद सुपुत्र बीरू मोहम्मद ने पावर आफ अटोरनी ले रखी है और कास्टोडियन की जमीन बेची जा रही है। रजिस्टरी नम्बर 2507, रजिस्टरी नम्बर 2508, रजिस्टरी नम्बर 2509, रजिस्टरी नम्बर 2510 और रजिस्टरी नम्बर 2511, ये पांचों रजिस्टरीज 13-1-1982 को हुई हैं। रजिस्टरी नम्बर 381 और रजिस्टरी नम्बर 382 की रजिस्टरी 13-5-1983 को हुई है। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से झीडी, मौजूखेडा, चाम्बल, नकौडा मिर्जापुर, बुखारा खेडा, दारेवाला, अबूब भाहर, अमृतसर और खुइयां नेपाल पुर गांव है। जहां पर कस्टोडियन की जमीन बेची गई है। यह जमीन शिवनारायण और हरबन्स लाल ने बेची है। इतना ही पता चला है। बाकी कितनी जमीन और बेची, इसका पता नहीं चला। सुना यह जाता है कि सौ एकड़ जमीन इस गैंग ने बेची है।

***** अनुप भाहर का रहने वाला है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जो कुछ भी मुख्यमंत्री के रि तेदार के बारे में कहा गया है वह कुछ भी रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमति चन्द्रावती: उपाध्यक्ष महोदय, जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे तो इस बारे में वह बता देंगे। आप इनको बोलने तो दीजिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भागी राम: *****

प्रो० सम्पत सिंह: *****

श्री उपाध्यक्ष: यह भी रिकार्ड न किया जाए।

श्री भागी राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। हाउस की एक कमेटी बना दी जाए और आप उस कमेटी के चेयरमैन बन जाएं और हाउस के दूसरे मैम्बर उस कमेटी में नोमिनेट कर दिए जाएं। वह कमेटी जो कुछ मैं कह रहा हूं उसकी इंकवायरी कर ले। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि सिरसा जिले के साथ भेदभाव बरता जा रहा है

वैयक्तिक स्पष्टीकरण:—

(1) मुख्यमंत्री द्वारा

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मैं इनकी सारी बात सुन रहा था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ *****

श्री उपाध्यक्ष: वह रिकार्ड पर कुछ भी नहीं आया है।

चौधरी भजन लाल: किसी आदमी के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है जो जैसा होता है दूसरे को भी वैसा ही समझता है (गोर एवं व्यवधान)

श्रीमति चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री इस तरह से किसी मैम्बर को डांट नहीं सकते। आप इस बारे में जवाब दे दीजिए। (गोर एवं व्यवधान) इस तरह से आप किसी मैम्बर को डांट नहीं सकते।

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अपोजिशन की तरफ से बोलते हुए मेरे कुछ भाईयों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर यह आरोप लगाया है कि फलां फलां उनका रिस्तेदार है और उधर मुख्यमंत्री ने उनके आरोपों को डिनाई किया है कि इस नाम के उनके कोई भी ऐसे रिस्तेदार हैं ही नहीं। पहले तो मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मामला इस तरह का हाउस में उठाया गया है, उसे इस हाउस की कार्यवाही में से निकाल दिया जाए और फिर आपकी रूलिंग चाहूंगा कि अगर कोई मैम्बर इस तरह

की गलत ब्यानी करता है तो उसके खिलाफ क्या एक इन हो सकता है? कोई हमारा भी रि तेदार हो सकता है आपका रि तेदार भी हो सकता है किसी का भी रि तेदार हो सकता है। इस हाउस में किसी भी तरह की गलत ब्यानी करना उचित बात नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भागी राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आगे यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार सिरसा जिले के साथ ज्यादाती कर रही है। (गोर एवं व्यवधान)

कर्मल राव राम सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, पहली तो ये बातें कि फलां आदमी मुख्यमंत्री महोदय के रि तेदार है कि नहीं है। इनहें अपने ये लफज वापिस लेने चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मैंने पहले ही कह दिया है कि वह बात रिकार्ड ने की जाए।

(2) शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री जगदी ा नेहरा): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पर्सनल एक्सप्लेने इन देना चाहता हूँ। यहां हाउस में बोलते हुए अपोजि इन के एक मैम्बर ने इस तरह की गलत बातें मुख्यमंत्री महोदय के बारे में कहीं जोकि उनके लिए भाभा नहीं देती। (गोर एवं व्यवधान) ***** इसलिये इन अलफाज को सदन की कार्यवाही में से निकाल देना चाहिए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह भाब्द रिकार्ड न किया जाए।

श्री जगदी ा नेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने कई बातें ऐसी कही है जोकि सिरसा जिला से डायरेक्ट सम्बन्ध रखती है। इन्होंने सिरसा का बहाना लगाकर इस तरह की गलत बातें मेरे बारे में भी कही है कि किस तरह से पैसे लिये गये। (गोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने तो यह कहा था कि लोगों ने किस तरह से आपका स्वागत किया था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री जगदी ा नेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, ये हमे ा ही इस तरह की घटिया सी बातें करते हैं। कभी तो इन्हें सैन्सीबल बातें करनी चाहिए। (गोर एवं व्यवधान) अपोजि ान में होना कोई गुनाह नहीं है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री हीरा नन्द आर्य: डिप्टी स्पीकर साहब, गलत बातें तो ये खुद करते ह। (गोर)

श्री जगदी ा नेहरा: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे बारे में, सरकार के बारे में हमारे मुख्यमंत्री के बारे में गलत बातें कही गयी है उनको इस सदन की कार्यवाही में से निकाल देना चाहिए। ऐसी बातें सदन की कार्यवाही में नहीं आनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: नेहरा साहब, इन्होंने तो यह कहा था कि इनको सिक्कों से तोला गया।

श्री जगदी 1 नेहरा: इन्होंने एक और बात मेरे बारे में कही है कि जेबीटी में थर्ड क्लास को एडमिशन दे दिया गया और फस्ट क्लास को नहीं दिया गया। यह बिल्कुल गलत है सब कुछ मैरिट के हिसाब से हुआ है। कोई गलत नहीं हुआ है। इसलिये की जो जो गलत बातें इन्होंने कहीं हैं उनका इस सदन की कार्यवाही में से कटवाया जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नेहरा साहब, आपके खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने यह कहा था कि लोगों ने तो आपको सिक्कों में तोला था।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भागी राम: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बोल रहा था कि सिरसा में रोडवेज का डिपो मंजूर हुआ था और वह भी चौधरी देवीलाल जी के वकत में मंजूर हुआ था। उसके बाद दो सब डिपोज आदमपुर और फतेहाबाद में भी मंजूर हुए थे। इनकी तो बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गयी है। सिरसा में हालांकि पहले मंजूरी हुई थी लेकिन अभी तक वहां पर न डिपो है न कोई बिल्डिंग बनी है और न ही कोई वर्क गप ही बनी है और बसिज की हालात यह है कि किसी भी बस की खिडकियां साबत नहीं हैं।

भी े बिल्कुल टूटे पडे है। सीटें नहीं है रानिया को जो बस जाने वाली होती है। उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता केवल उसकी देखकर ही लोग यह अन्दाजा लगा लेते है कि यही बस रानियां को जाने वाली होगी, इतनी इनकी म ाहूरी ह। इन्जनों और टायरों को भी बहुत बुरी हालत है पता नहीं वे बसें कैसे चल रही है। रास्ते में बसें खडी अव य होती है। (गोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: भागी राम जी आपका टाईम हो गया है। अब आप अपना स्थान लें।

श्री भागी राम: डिप्टी स्पीकर साहब, बस में एक दो बातें और कहकर अपना स्थान लूंगा। मैं इतना ही कह सकता हूं कि बसों की इतनी गन्दी हालत के होते हुए भी इस रूट से सरकार को ज्यादा आमदनी है। (गोर एवं व्यवधान) इस तरह का भेदभाव अपोजि ान के साथ किया जा रहा है। यह कितनी गलत बात है। डिप्टी स्पीकर साहब, आप जांच करवा के देख लेंवे मैं बिल्कुल ठीक ही कह रहा हूं आपको असलीयत का पता चल जाएगा। (गोर एवं व्यवधान)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम गोर सिंह सुरजेवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, अभी श्री भागी राम जी ने बोलते हुए बसों की हालत के बारे में बताया और यह इल्जाम लगाया कि सिरसा की तरफ बसों को बुरा हाल है। रानियां की तरफ जो बसें जाती है उन पर कुछ नहीं लिखा होता। टूटे हुए भी े, टूटी हुई

खिडकियां और टूटी हुई सीटों को देखकर की यह पता लगता है कि यह बस रानियां की ओर जाने वाली है। इस तरह के आरोप लगाये गये हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि इस तरफ चलने वाली बसों से सरकार को आमदनी भी बहुत ज्यादा होती है। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इस हालत में आमदनी ज्यादा है फिर अगर बसें बदल कर नई लगा दी गयी तो आमदनी घट जाएगी। तो इस मामले पर मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा।

17.00 बजे

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं 12 मार्च को राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के पक्ष में रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदय, अभिभाषण को अगर गौर से देखा जाए तो यह स्पष्ट रूप से राज्य के विकास और उपलब्धियों का द्योतक है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चाहे वह शिक्षा व कृषि का क्षेत्र है चाहे गरीब व हरिजनों के मुताल्लिक है या किसी और विशय के बारे में है कि सरकार ने इन इन गतिविधियों के लिये कुछ किया है और क्या कुछ करने जा रही है। अगर मेरे विपक्ष के भाई इसे गौर से पढते तो इसमें विरोध की कोई गुंजाय न रहती। मैं चाहता हूँ कि सही चीज को हमें आप्रीति एट करना चाहिए। हां अगर किसी काम में उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कमी नजर आती है तो उसके बारे में सुझाव जरूर आने चाहिए, यह अच्छी बात है। नेहरू

जी कहा करते थे कि डिवैल्पमेंट और डिफेंस के मामले में विरोध नहीं करना चाहिए उसमें कृषि और हरिजनों के ऊपर काफी एतराज किया। अगर वे इस अभिभाषण को गौर से देखें तो इससे पता चलता है कि कृषि और बिजली जिसमें सिंचाई भी आ जाती है इनके लिये पिछले बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा रखा गया था। अगर विरोधी भाई यह कहें कि कृषि के लिये इसमें कुछ नहीं कहा गया तो मैं समझता हूँ कि वे ऐसी बातें खाली विरोध के लिए ही कह रहे हैं। अगर आंकड़े उठा कर देखें तो पता चलता है कि 1982-83 में हमारा अनाज का उत्पादन 66.59 लाख टन था और 1982-84 में उसको हमारी सरकार ने अपने तरीकों से पूरी तरह से गति देकर 70.14 लाख टन किया। इसी तरह से हमारा 1984-85 का जो लक्ष्य है वह 75 लाख टन का है। अगर सरकार ने कृषि की तरफ ध्यान न दिया होता तो मैं समझता हूँ कि यह लक्ष्य यहां तक पूरा न होता। वह हरियाणा जिसकी अपने लिये अनाज पूर्ति मुक्ति कल थी आज वह केंद्रीय पूल में लाखों टन अनाज देता है। इस बारे में केंद्रीय पूल में हमारा 20 लाख टन अनाज देने का लक्ष्य है। तो मैं समझता हूँ कि इन बातों को देखकर यह बात बे बुनियाद हो जाती है कि सरकार ने कृषि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मौजूदा सरकार की 1979 में हकूमत आई उससे पहले जनता सरकार थी। मैं अपने जिले की बात बता रहा हूँ। हमारे जिले में किसानों की जमीन एक्वायर की जाती रही है। मैं समझता हूँ कि बाकी हरियाणा में भी ऐसा ही किया जाता रहा होगा। पहले वहां पर जिस किसान को मुआवजा लाखों रुपये

बनता था उसे मुक्ति कल से 15 या 25 हजार रूपया फी एकड रूपये से फालतू नहीं दिया गया। यानि जिस टाईम दफा 4 और 6 के नोटिस जारी होते थे उसी टाइम का रेट दिया जाता था। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि जहां 12 हजार रूपये का मुआवजा दिया जा रहा था उसकी बजाए 85 हजार रूपये तक का मुआवजा दिया है और इसके अलावा किसानों के लिए प्लाटों की भी व्यवस्था की जा रही है। (गोर) आज से एक महीना पहले एलएओ ने जो एवार्ड दिया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर यह बात गलत साबित हो तो मैं दण्ड भुगतने के लिए तैयार हूँ। (गोर) डिप्टी स्पीकर साहब, अभिभाषण में बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से जिकर किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के विकास की गतियों को नई जीवन स्फूर्ति मिली है यह एक ज्योतिपुन्ज साबित हुआ है। हमारी प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में जो रास्ता दिखाया है वह वाकई ही सराहनीय है। इसके तहत देहात के किसानों के लिये, गरीबों और हरिजनों के लिए सरकार ने अनेक स्कीमें भुरु की है। इस बारे में हमारे उधार के भाई भी जानते है कि सरकार ने देहात के भाईयों को करोडों रूपया लोन के रूप में दिया है। ठीक है कि कुछेक कमियां भी है जोकि बैंकों के सिस्टम की वजह से है लेकिन सरकार की पूरी नियत है कि गरीब आदमियों की मदद की जाए। सरकार यह सोचती है कि अगर वे लोग पिछडे रह जाएंगे तो हमारी पूरी तरह से तरक्की

नहीं हो सकती। यह मदद देने के लिए कुछ ट्रस्ट भी बनाए गए हैं जिनके द्वारा करोड़ों रूपया गरीबों में तकसीम किया गया है।

श्री मनफूल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य ने देहात के लोगों के बारे में कहा कि सरकार ने उनको इतना दिया है। (गोर) मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि हरियाणा में एसएसओ (सैर सपाटा अफसर) कितने हैं। (गोर)

चौधरी भाम र सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी दाढी कटवा लें वरना इन्हें कोई एक्सट्रीमिस्ट समझ कर पकड़ लेगा। (हंसी एवं भाोर)

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि जब उधर के साथी बोलते हैं तो हमारी तरफ से एक भी बीच में नहीं बोलता। मैं निवेदन करूंगा कि इन सदस्यों को आप जरा समझाएं। अगर किसी ने कोई बात कहनी है तो बाद में कह ले, बीच में कहने से अच्छा नहीं लगता। हाउस की गरीमा को कायम रखा जाना चाहिए। हम आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं आपको भी हमारी बात ध्यान से सुननी चाहिए। (भाोर) हमने बीच में कोई बात कही हो तो बताएं। (भाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाउस का डैकोरम रखना चाहिए। जिस समय हमारी तरफ से श्री भागी राम जी ने एक सवाल पूछा था उस

समय उधार से ही भाोर मचाया गया था हमारी तरफ से किसी भी सदस्य ने कुछ नहीं कहा था। अगर मुख्यमंत्री जी अपने की मैम्बरज को अपने काबू में रख लें तो हम भी हाउस का डैकोरम रखने के लिए तैयार है। अब मुख्यमंत्री जी अपनी झंप उतारने के लिए यह कह रहे हैं कि हमारी तरफ से मैम्बर बीच में बोल रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, ये भी तो थोक में दल बदल कर गए हैं। हम इनका कहां मुकाबला कर सकते हैं? (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: आप भी अपनी जगह पर कायम नहीं है आपने भी दल बदल किया है। (गोर)

श्री मंगल सैन: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मुख्यमंत्री जी ने हाउस का डैकोरम कायम रखने के बारे में अपने विचार प्रकट किए कि हाउस का डैकोरम कायम रखना चाहिए इस बात के लिए हम मुख्यमंत्री जी की स्पोर्ट करते हैं जहां तक इन्होंने दल बदलने की बात कही है उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने कम दल बदले होंगे। हमने परचून में दल बदला होगा और इन्होंने तो थोक में दल बदला था। डिप्टी स्पीकर साहब, अब तो मुख्यमंत्री जी की तबीयत भी ठीक है लेकिन अब भी ये आपे से बाहर हो जाते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जो देहात में गरीब तबका है उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। गरीब तबके को ऊपर उठाने

के लिए सरकार ने कई नई स्कीमें चला रखी है। देहात में गरीब तबके के उत्थान के लिए इस 1984-85 के साल में सरकार ने 380 लाख रूपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है और जो भूमिहीन गरीब आदमी है उनके लिए एक साल में एक परिवार के एक आदमी को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बात से साफ जाहिर है कि यह सरकार गरीबों को बराबरी के लैवल पर लाना चाहती है। इसके अलावा पिछली दफा मंत्री जी ने यहां पर बताया था कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज की तरफ से किसानों को जो लोन दिया गया है उस लोन पर एक परसेंट ब्याज कम कर दिया है जिसके कारण सरकार पर दो करोड रूपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। किसानों को उससे काफी फायदा पहुंचेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक ग्रामीण उद्योगों का ताल्लुक है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस किसान का बेटा मैट्रिक पास है और बेरोजगार है उसके लिए सरकार ने गांवों में छोटे उद्योग लगाने की योजना भुरु की गई है उसके तहत देहात के बेरोजगारो को काफी फायदा मिल रहा है। 1983-84 में पांच हजार छोटे उद्योग लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा था लेकिन सरकार ने लगभग साढे पांच हजार छोटे उद्योग लगाए है। जो लक्ष्य था उससे भी ज्यादा छोटे उद्योग सरकार ने लगवाए है। 1984-85 में सरकार ने लगभग 4800 छोटे उद्योग लगाने का लक्ष्य रखा है इस बारे में एक सुझाव अपनी सरकार को देना चाहूंगा। यह स्कीम तो बहुत अच्छी है लेकिन इसका गरीब किसान फायदा नहीं उठा पाते है। दूसरे जो अमीर लोग है वे इस

स्कीम का फायदा उठा जाते हैं इसलिए सरकार को इस तरफ पूरा ध्यान रखना चाहिए और गरीब किसानों को इस स्कीम का फायदा पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पंजाबियों के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूँ। किसानों के लिए पंजाब भी इतना ही जरूरी है जितनी किसान के लिए खेती जरूरी है। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने पंजाबियों के लिए 1984-85 में 25 वैटर्नरी डिस्पेंसरीज को वैटर्नरी अस्पताल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है। यह एक बहुत सराहनीय कदम है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है पिछले वर्ष सरकार ने 356 प्राथमिक स्कूलों और 323 मिडल स्कूलों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें क्रमशः मिडल और हाई स्कूल स्तरों पर बनाया है इसके अलावा 1983-84 में 200 लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए हैं। जो लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए हैं। यह सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एजुकेशन के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। इस बारे में मैं जो बात कहना चाहता हूँ वह बात भायद शिक्षा मंत्री जी ने नोटिस में भी होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर देहात में किसी स्कूल के अन्दर चार अध्यापकों की आवश्यकता है तो वहां पर केवल दो ही अध्यापक हैं और भाहरों में यदि चार अध्यापकों की आवश्यकता है तो वहां पर आपको ज्यादा मिलेंगे। देहातों में अध्यापकों की कमी इसलिए है क्योंकि भाहरों में जो अध्यापक लगे हुए हैं उनको देहातों में लगे हुए अध्यापकों से ज्यादा फ़ैसिलिटीज मिली हुई है। यदि सरकार देहातों में लगे हुए अध्यापकों को

भाहरों में लगे हुए अध्यापकों के बराबर सुविधाएं यानि देहाती भत्ता आदि दे दे तो यह कमी दूर हो सकती है। जो भाहरों में अध्यापकों को सुविधाएं मिली हुई है उसको देख कर देहात में लगे हुए अध्यापकगण यह महसूस करते हैं कि देहातों की बजाय भाहरों में हमें ज्यादा फायदा है इसलिए वे भाहरों में रहना पसंद करते हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देहात के अध्यापकों को भी भाहरों के अध्यापकों की तरह मदद दी जाए ताकि उनको देहातों में भी बच्चों को शिक्षा देने का हौंसला मिले। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, जहां पर खेलों का ताल्लुक है हमारी सरकार ने खेलों की तरफ बहुत ध्यान दिया है। एरियाड के दौरान हरियाणा सरकार ने काफी नाम कमाया है। वर्ष 1984-85 के दौरान 38 खेलकूद विकास्कीमों पर 102 लाख रूपए की राशि खर्च की जाएगी यह वाकई एक सराहनीय काम है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक सडकों का ताल्लुक है, हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं है जो सडकों से न जुडा हुआ हो। जो छोटे छोटे गांव है उनको भी सरकार सडकों से जोडने का प्रयत्न कर रही है और इस अगले साल में सडकों के लिए जो योजना है उसके तहत छोटे छोटे गांवों को भी सडकों से जोडने का सरकार का विचार है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार ने 1983-84 में 415 गांवों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था और जनवरी 1984 के अन्त तक 313 गांवों में पेयजल व्यवस्था कर दी गई है।

यह भी बहुत सराहनीय काम है। इसमें देहातों को पूरा फायदा मिल रहा है।

इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एमआईटीसी के बारे में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे हलके मेवला महाराजपुर के क्षेत्र में से जो नहर गुजरती है उस पर एमआईटीसी ने ओगेमैन्टे इन ट्यूबवैल लगाए हुए हैं जिसके द्वारा उस नहर में पानी डाला गया है। इन ट्यूबवैल के कारण जिन गांवों की जमीन में से वह नहर गुजरती है उन गांवों के पानी का लैवल बहुत नीचे चला गया है और दूसरे ट्यूबवैल जो किसानों ने लगाए हुए हैं वे बिल्कुल सूख गए हैं। वहां पर सरकारी ट्यूबवैल लगाने की वजह से पानी का कहत पड गया है। किसानों के ट्यूबवैल का पानी का लैवल नीचा चला जाने के कारण बिल्कुल फेल हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, केवल ट्यूबवैल की फेल नहीं हुए हैं बल्कि उन गांवों में जो कुएं और नलके लगे हुए हैं उनका पानी भी सूख गया है जिसके कारण उन गांवों के लोगों को पीने का पानी की भी बड़ी समस्या हो गई है। इस समय उन गांवों के लोगों को पीने का पानी देने के लिए सरकार ने एमआईटीसी के ट्यूबवैल से सप्ताह में दो दिन की सुविधा दे रखी है जोकि नाकाफी है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार उन गांवों में एमआईटीसी के ट्यूबवैल से दो दिन पानी देने की सुविधा को बढ़ाए। जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या हो गई है उन गांवों के लिए सरकार कोई स्कीम बनाए और उन गांवों की प्रोबलम विलेजिज

करार दे करके वहां पर लोगों को पीने का पानी की सुविधा फौरन दे ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सकें। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। फरीदाबाद थर्मल प्लांट की राखी के पानी के लिए नवादा और डबवा गांवों के पास आज से 10-12 साल पहले एक डैम बनाया गया था। उस डैम में सीपेज की वजह से उन गांवों की आज यह हालत हो गई है कि वहां की जमीन का त के योग्य नहीं रही है और उन गांवों के स्कूलों की बिल्डिंग भी उस के पानी को वहां से हटाया जाए। इसके अलावा मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि एक और गांव भाखरी है जहां पर उस प्लांट की राखी के पानी का डिस्पोजल करने के लिए डैम बनाने की प्रोपोजल है। अगर वहां पर वह डैम बना दिया गया तो वही गलती दोहराई जाएगी जो नवादा और डबवा गांवों के साथ हो रही है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यह डैम वहां पर न बनाया जाए। इसके अलावा सरकार ने वहां पर एक एक्स सर्विस सैनिक कालोनी बनाने के लिए मंजूरी दी है उस आबादी के पास यह डैम बना दिया गया जिसकी खामी वे लोग भुगत रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस डैम के पानी को जमुना नदी में डाल दिया जाए। जमुना नदी के साथ साथ सरकारी जमीन भी पडी हुई है इसलिए सरकार को वहां पर जमीन भी एक्वासर नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, डा० मंगल सैन जी ने एक बात कही थी कि सरकार के संरक्षण पर फोर्ड फैक्टरी में इनटक का झण्डा लहरा दिया गया है। मैं डाक्टर साहब की बहुत इज्जत करता हूँ।

डाक्टर साहब बुजुर्ग है काफी पुराने पार्लियामैंटेरियन है उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। यह भी हो सकता है उनकी खबर का सोर्स गलत हो या यह भी हो सकता है कि उनको किसी ने जानबूझ कर इस बारे में गलत बताया हो। डिप्टी स्पीकर साहब, तथ्य यह है कि फोर्ड फैक्टरी में इनटक की मैजोरिटी है। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर दो महीने पहले यह झण्डा वहां पर लग जाता जो केजी खोसला फैक्टरी जिसमें आलरेडी इनटक की यूनियन है और आज भी मैजोरिटी है वहां पर दूसरी यूनियन के लोग जबरन अपना झण्डा लगाने का हौंसला नहीं करते। डिप्टी स्पीकर साहब, डा0 साहब को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो गलत हो। इनको वह बात वापिस लेनी चाहिए (गोर एवं व्यवधान)। मुख्यमंत्री जी के नोटिस में यह बात होगी कि मेरे हल्के में एक नहर निकाली गयी है। इस नहर में औगमैन्टे इन ट्यूबवैल के जरिए पानी डाला गया है। इस पानी को नहर के जरिए दूर-दराज के इलाकों में भेजा गया है। आज मेरे हल्के में औगमैन्टे इन ट्यूबवैल की वजह से ऐसी हालत हो गयी है जिससे वहां किसानों के ट्यूबवैल फेल हो गए हैं क्योंकि वहां पर वाटर लैवल बहुत नीचे चला गया है। किसानों के लिए भी बहुत समस्या पैदा हो गयी है। मेरे हल्के के कई गांवों में पेय जल की बड़ी दुर्द गा है। सरकार ने पेयजल की कई स्कीमें प्रोब्लम विलेजिज के लिए चालू की गई है जिसके तहत जिन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत है वहां पर पहले पानी दिये जाये। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के के कई गांवों में यह समस्या

है। इस संबंध में मेरी सरकार से गुजारि है कि पेयजल प्रौब्लम विलेज के तहत ही उन गांवों में पानी की सुविधा प्रदान की जाये। अन्त में डिप्टी स्पीकर साहब, मैं गवर्नर महोदय के अभिभाषण का धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं और हाउस से प्रार्थना करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाये।

मास्टर विठ्ठल प्रसाद (अम्बाला भाहर): डिप्टी स्पीकर साहब, 12 तारीख को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव भाई ई वर सिंह जी ने इस सदन में रखा था उसी प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे साथी ने शिक्षा के संबंध में बातें कह कर अपना भाषण समाप्त किया था। अच्छा होगा कि मैं शिक्षा से ही अपी बात आरम्भ करूं। उन्होंने गांवों में शिक्षा के संबंध में जो कमियां थी, उनकी तरफ भी सदन का ध्यान आकर्षित किया था। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में दो तरह के स्कूल हैं। एक प्राइवेट स्कूल और दूसरे सरकारी स्कूल। गैर सरकारी में जब कोठारी कमी लाने लागू हुआ तो उसक समय कहा गया था कि गैर सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के बराबर ही सहूलियतें दी जाएं। आज प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले या पढ़ने वाले टीचरों के परिणाम को, बोर्ड का जो परिणाम आता है निकाल दिया जाये तो बोर्ड की क्या स्थिति है वह बताने की जरूरत नहीं है। आज 12 डीए की कि तें गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को दी जानी

बाकी है। यह बात अलग है कि आजकल गैर सरकारी स्कूलों को 75 परसेंट ग्रांट दी जा रही है। लेकिन आजकल भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचरों से हस्ताक्षर कुछ करवाये जाते हैं और राशि कुछ दी जाती है। मैं इस संबंध में एक सुझाव रखना चाहता हूँ जिससे सारी समस्या हल हो जायेगी। यदि प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को 95 प्रतिशत ग्रांट दे दी जाये और उनको वेतन खजाने से दिला दिया जाये तो यह समस्या बड़ी आसानी से हल हो सकती है। अब इसके लिए समस्या आयेगी कि इसके लिए पैसा कहां से आये। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो गलत तरीके से पैसा अपव्यय हो रहा है उसको बचाया जाये। सरकारी स्कूल जो गांवों में हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर काम करने वाले टीचरों को कोई सुविधा नहीं है। यदि इन स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों को मेडिकल सुविधा, हाउस रेंट सुविधा और देहाती भत्ता दे दिया जाये तो यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। आज जो अध्यापक भाहर के अन्दर काम कर रहा है वह गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप एक बीएबीएड टीचर को ले लें। एक बीएबीएड टीचर भाहर में बैठा है और एक बीएबीड टीचर देहात में बैठा है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जो भाहर में काम करने वाला टीचर है उसको हाउस रेंट भी मिलेगा और दूसरी सारी सुविधाएं भी मिलेगी। घर में वह सिर्फ पांच मिनट पहले स्कूल के लिए चलेगा और पांच मिनट बाद ही स्कूल से घर पहुंच जाता है। जबकि इसके विपरित देहात में काम करने वाला टीचर

10-15-20 मील जायेगा। वह टीचर अपने घर में डेढ घण्टा पहले परे गान होता हुआ स्कूल पहुंचेगा और डेढ दो घन्टे बाद ही वह टीचर स्कूल से अपने घर आयेगा। वह बसों में धक्के खाता हुआ स्कूल जाता है और धक्के खाता हुआ वह स्कूल से घर पहुंच पाता है। बाहरों में वहीं लोग बैठे हैं जिनकी पीठ के पीछे कोई न कोई दवाब है। इसके अतिरिक्त गांवों वाला टीचर बाहर वालों को जो सुविधा मिलती है उससे वंचित रहता है। यह समस्या तभी हल हो सकती है जब गांव वाले टीचरों को भी बराबर की सुविधा मिले। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि गांवों में काम करने वाले टीचरों को यदि देहाती भत्ता या और कोई सुविधा दे दी जाये तो यह समस्या काफी हद तक हल का सकती है। यदि इन स्कूलों में काम करने वालों को बराबर की सुविधा मिल जायेगी तो ट्रांसफरों की समस्या का समाधान भी काफी हद तक हल हो जायेगा। ऐसा होने पर न तो टीचर ट्रांसफर के लिए भागेगा और न ही फिर उसे किसी क्लर्क को कोई पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होने पर टीचर यह सोचेगा कि कहीं पर भी लगा दिया जाये पैसा तो बराबर का मिलेगा ही, इसलिए वह फिर ट्रांसफर के चक्कर में नहीं रहेगा। इसी प्रकार से प्राइवेट स्कूलों को भी 95 परसेन्ट ग्रांट दी जानी चाहिए और इन टीचरों को सरकारी खजाने से वेतन दिलाया जाना चाहिए। कई एक ऐसे खर्चे हो रहे हैं जो बचाये जा सकते हैं। मैं इसके लिए एक दो उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अन्दर एक कैम्पस स्कूल है। इस स्कूल का संबंध आल इण्डिया बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ

है। इस स्कूल के अन्दर न तो सलेबस हरियाणा के स्कूलों का है और न ही इस स्कूल के अन्दर हरियाणा के मुताबिक शिक्षा दी जाती है। सरकार ने इस स्कूल को 1971 से लेकर आज तक सैन्ट परसैन्ट ग्रांट देकर 20 लाख रूपया दिया है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जहां पर हरियाणा के मुताबिक शिक्षा न दी जाये उन स्कूलों को ग्रांट नहीं दी जाये।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं हुडडा के बारे में कुछेक बातें कहना चाहता हूं। अम्बाला के अन्दर हुडडा ने कुछ जमीन लोगों की ली थी। उस जमीन को लेकर हुडडा ने अम्बाला के अन्दर एक 9 सैक्टर कायम किया है। वहां पर लोगों की जमीन तो ले ली गयी, प्लॉट भी काट दिए गए लेकिन जिन लोगों की जमीन ली गयी है उनको आज तक पैसा नहीं दिया गया है। सरकार ने यह जमीन 1976 में ली थीं आज इस जमीन को लिए हुए आठ साल हो गए हैं लेकिन लोगों को पैसा देने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज हुडडा ने जो मकान देने थे उनकी राशि बढ़ा दी है और कितने बढ़ा दी है लेकिन मकान कोई तैयार नहीं किया गया। इन्होंने पैसा तो लोगों से ले लिया लेकिन जो पैसा इनके पास आया वह सारा का सारा और दूसरी जगहों से भी पैसा इकट्ठा करके बिजली बोर्ड को 20 करोड़ रूपया दे दिया, लेकिन जमीन के मालिकों को कोई पैसा नहीं दिया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, इतना ही नहीं, एक जुई कैनाल डिवल्पमेंट अथोरिटी है।

उसको उन्होंने साढ़े छह करोड रूपया दिया है। यह पैसा उसे किसानों को डिवल्पमेंट के लिए दिया गया है लेकिन उसने इस पैसे में से साढ़े तीन करोड रूपया एमआईटीसी को दिया और एमआईटीसी ने यह सारा पैसा बिजली बोर्ड को बिल के भुगतान के रूप में दे दिया। बाकी का तीन करोड रूपया अलग से बिजली बोर्ड को दे दिया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस तरह से दांये बांये करके बिजली बोर्ड को पैसा दिया जाता है। बिजली बोर्ड मूल तो क्या देगा, ब्याज भी नहीं दे पा रहा। इस संबंध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि मंत्री जी ही इस बारे में अधिक बता पाएंगे लेकिन जो पैसा हुड्डा ने खराब किया है यदि उसी पैसे को शिक्षा की तरफ लगा दिया जाता तो शिक्षा का बहुत सुधार हो सकता था।

डिप्टी स्पीकर साहब, इस अभिभाषण में ला एण्ड आर्डर का भी जिक्र किया गया है। (गोर) मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि उस समय के जो पब्लिक हैल्थ के मंत्री थे उन्होंने अम्बाला के हस्पतालों में पब्लिक हैल्थ का काम अपने बड़े लडके को दिया था। (गोर) मुख्यमंत्री जी ने सिविल हस्पताल बनाये जाने का पत्थर 11 फरवरी 1980 को रखा था। अब वहां पर कुछ रिहायशी क्वार्टर भी बने हैं। हस्पताल के लिए भायद इस बजट में कुछ पैसा रखा जा रहा है। उस हस्पताल में पब्लिक हैल्थ के काम को कराने का ठेका लाल सिंह ने अपने बड़े लडके ओम

प्रकाश को साढ़े तीन करोड रूपये का दिया था। (गोर) उस समय उन्होंने कहा था मेरा लडका नाबालिग है।

पुपालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): इस आदमी के झूठे ब्यान पर ही मैंने वह महकमा छोडा था और मेरे लडके के पास कोई ठेका नहीं था। (गोर)

मास्टर शिव प्रसाद: उस समय इन्होंने एक बात कही थी कि मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। (गोर) इन्होंने कहा था कि मेरा लडका नाबालिग है और स्कूल में पढता है। लेकिन टैण्डर उसके नाम निकल गया इसलिए टैण्डर उसके नाम दे दिया गया। (गोर) मैंने मुख्यमंत्री जी को अफसरों के नाम भी बताये और उनकी डायरी में नोट करवाये। इसके दो तीन दिन के बाद इनको यह सजा मिली कि वह महकमा ही उनसे ले लिया और कह दिया कि तुम डंगरों का महकमा सम्भालो। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह जी 1967 में

....

चौधरी लाल सिंह: मैंने यह महकमा मांग कर लिया है।
(व्यवधान)

मास्टर शिव प्रसाद: डिप्टी स्पीकर साहब, ये 1967 में एलएलए बने, 1968 में भी बन गये और जिस को हरा कर बने हैं उसकी बडी चर्चा करते हैं। (व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: तुम भी मेरे मुकाबले में आ जाओ।

(व्यवधान)

मास्टर विठ्ठल प्रसाद: डिप्टी स्पीकर साहब, 1967 में इनकी क्या पोजीशन थी, यह सदन में बताना चाहता हूँ। ये मिनिस्टर हैं मैं इनका एहतराम करता हूँ। इन्होंने 1969 में सढौरा में एक मकान खरीदा जिसकी कीमत 14000 रूपये थी और यह मकान अपनी पत्नी पूरनी देवी के नाम पर खरीदा। इस की रजिस्टरी में लिखा श्रीमति पूरनी देवी वार्डफ आफ लाल सिंह। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब, हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने लिए मकान बनाये, यह बड़ी अच्छी बात है। इलैक्ट होने के दो साल के बाद इन्होंने श्रीमति पूरनी देवी के नाम 14000 रूपये का मकान लिया। यह मकान 22-7-69 को लिया। ठीक है, इन्होंने कम से कम एमएलए बनने के बाद मकान तो रहने के लिए ले लिया। इसके बाद इन्होंने 12-7-70 को लोगों से काला धन इक्कठा किया। डिप्टी स्पीकर साहब, काले धन को कैसे छुपाया जाता है इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। (व्यवधान) तहसील जगाधरी में एक पंजेती गांव है। वहां पर इन्होंने अपने लडके और पूरनी देवी के नाम.....

श्री उपाध्यक्ष: क्या आप बतायेंगे कि गवर्नर एड्रेस के साथ इसकी क्या रैलेवेंसी है?

मास्टर िव प्रसाद: रैलेवेंसी यह है कि यह कुरूपान है और कुरूपान खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएं। यह सरेआम भ्रष्टाचार है। मैं मुख्यमंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इसकी इन्क्वायरी कर लें। इन्होंने लोगों से इकट्ठा किया हुआ रूपया अपने घरवालों के नाम लिख दिया और लडके के नाम के आगे लिख दिया, सन आफ पूरनी देवी। मैं इनके पूछना चाहता हूं कि सन आफ लाल सिंह क्यों नहीं लिखा। उस में लिख दिया पूरनी देवी डाक्टर आफ गरीब दास यानि लाल का का नाम नहीं लिखा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: क्या आप गवर्नर्ज एड्रेस पर बोल रहे हैं या चौधरी लाल सिंह पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

मास्टर िव प्रसाद: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मैं कुरूपान पर नहीं बोलूंगा तो कुरूपान खत्म कैसे होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, रायपुर रानी में एक काण्ड हुआ। (व्यवधान) यह काण्ड 14 फरवरी को हुआ। वहां काला राम नाम का एक गरीब लडका.....

श्री उपाध्यक्ष: आप इसके लिए अलग नोटिस दे दें।

मास्टर िव प्रसाद: इस कांड के सिलसिले में 15 तारीख को सरदार लछमन सिंह भी वहां गये थे। इनके अपने ही लोगों में बडी नाराजगी थी। लोगों ने िकायत की कि उस

काला राम लडके को पीटा गया, उसके मां-बाप को पीटा गया और मां-बेटे को नंगा किया गया। (व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: यह झूठ है। यह सब मास्टर सिव प्रसाद की मन घडंत कहानी है।

मास्टर सिव प्रसाद: डिप्टी स्पीकर साहब, 17 तारीख को मैं भी वहां पर गया, लोगों के साथ मीटिंग हुई और लोगों ने डेमोस्ट्रेशन किया। मैं सरकार से दुख्वास्त करूंगा कि जिन लोगों ने उस परिवार के साथ ज्यादती की है। उनके खिलाफ ऐकेशन लिया जाए। ये 1982 में कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे और अपनी ही पार्टी को बदनाम करते रहे। ये जिस हांडी में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। 1968 में कांग्रेस की टिकट पर एमएलए बने तो कांग्रेस को गालियां दी। 1977 में जनता पार्टी से एमएलए बने तो जनता पार्टी को गालियां दी। अपने देश की लीडर श्रीमति इंदिरा गांधी को भी गालियां दी और चौधरी भजन लाल जी को गालियां दी। 1982 के इलैक्शन में.....

Mr. Deputy Speaker: He is off the track and just concentrating on Shri Lal Singh only.

मास्टर सिव प्रसाद: 1982 में जब ये कांग्रेस से बने तो वहां कांग्रेस पंचायत इलैक्शन में हार हुई। इन्होंने कांग्रेस के लोगों को तंग करने के लिए उनके खिलाफ झूठे मुकदमें बनाना इनका रोज का काम बन गया है।

डा०. ओम प्रकाश भार्मा: आन ए प्वायंट आफ आर्डर। डिप्टी स्पीकर साहब, इस तरीके से अगर करैक्टर असैसिने इन होती है तो बहुत बुरी बात है। अगर यह बात सही है तो ये एफिडैविट दें, तब इल्जाम लगायें। ज्यादा बेहतर तो यही होगा कि बाहर जाकर इल्जाम लगायें और एफिडैविट दें। यहां पर तो आपको बोलने की आजादी है। (व्यवधान)

मास्टर रिाव प्रसाद: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने वहां की स्थिति बताई है। इनके कारण वहां की पंचायतें हार गई है और जो पंचायतें हार गई है उनको नगरपालिका में तबदील करवा दिया। सबसे बड़ी बात मैं यह बताता हूं कि इनकी छत्रछाया में लोग किस तरह पिसते हैं इस के बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी को दुख्वास्त की थी कि इसकी इन्क्वायरी करवायें। वहां पर एक पंजोटी गांव है। इस गांव में एक ओम प्रकाश के आदमी का किसी दूसरे पक्ष के आदमियों के साथ झगडा हो गया और चोटे आई। दूसरे गांव का नाम है पटरेडी। ये उस गांव के एसएचओ राव जसवन्त सिंह के पास गया लेकिन रास्ते में एक धर्मपाल नाम का आदमी मिल गया। उसने कहा कि 4500 रुपये दे दो आपको सर्टिफिकेट बना देंगे। जब उस आदमी से काम नहीं बना तो ये डीएसपी के पास गये। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा लेकिन 2000 रूपया देना पडेगा और वह भी कैश देना पडेगा। इनका एक रिातेदार है मिस्टर चिरंजी लाल। ये चिरंजी लाल को लेकर गये और 2000 रूपया इन्होंने रिात का दे दिया। डिप्टी

स्पीकर साहब, मेरे पास एफिडैविट है। राव जसवन्त सिंह ने उनको कहा कि तुम्हारा काम बन जाएगा। अगले दिन इनके पास एक सिपाही पहुंचा और उसने कहा कि उसे 2000 रुपये नहीं पहुंचे हैं। इन में से साढ़े छह सौ चिरंजी लाल ने रख लिये हैं मुझे तो साढ़े 1300 रुपये दिये हैं। अगले दिन ये साढ़े छह सौ रुपये देकर आये।

श्री इन्द्र सिंह नैन: डिप्टी स्पीकर साहब, आदरणीय मैम्बर साहब क्या गवर्नर एड्रेस पर बोल रहे हैं या चौधरी लाल सिंह पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जो व्यक्ति अपने आपको हाउस में डिफेंड नहीं कर सकता। उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। चाहे कोई आफिसर हो, चाहे कोई सदस्य हो, जो हाउस में हाजिर नहीं है उसका नाम यहां लिया नहीं जाता। इन्होंने राव जसवन्त सिंह का नाम लिया है इसको रिकार्ड में से निकलवा दिया जाए। (व्यवधान)

श्री मंगल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। ठीक है यह कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन कई बार हकीकत कडवी भी होती है। मुख्यमंत्री जी सारी बात सुन रहे हैं अगर इनके बारे में जांच का आदेश दे दें तो बड़ी अच्छी बात होगी।

चौधरी लाल सिंह: बिल्कुल ठीक है। (व्यवधान) किसी हाई कोर्ट के जज से जांच करवा ली जाये क्योंकि मैं बिल्कुल निर्दोश हूँ।

श्री मंगल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, यह जांच हाईकोर्ट के जज द्वारा करवाई जाए। फरीदाबाद माइन्ज में इनके रि तेदारों का हिस्सा है इसको भी इसमें शामिल किया जाए। (व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने प्वायंट आफ आर्डर उठाया था कि जो व्यक्ति हाउस में अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकता उसका नाम नहीं आना चाहिए। क्या आपने इनको नाम लेने की इजाजत दे दी है? इन्होंने राव जसवन्त सिंह का नाम लिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इन्होंने उनके खिलाफ करणान के कोई मोटिवज नहीं किये हैं।

मास्टर रिव प्रसाद: ये सारे केस मुख्यमंत्री जी के नोटिस में हैं क्योंकि इनको मैंने दरखास्तें दी हैं। (विघ्न)

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, मास्टर रिव प्रसाद जी मुझे मिले थे और इन्होंने कुछ दरखास्तें मुझे दी थीं। उनकी जांच हो रही है। मैं हाउस को विवास दिलाता हूँ कि जिसका कसूर मिलेगा उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि सदन की गरीमा को

ध्यान में रखते हुए तो मुनासिब बात हो वही यहां कहनी चाहिए और सबूत के साथ कहनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: मैं मास्टर जी से दरखास्त करूंगा कि इस टौपिक को यहीं छोड़कर गवर्नर ऐड्रैस पर बोला जाए। (विघ्न)

मास्टर िव प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान अम्बाला कांस्टिच्यूएंसी और अम्बाला भाहर की ओर भी दिलाना चाहता हूं। अम्बाला जिले की जो स्थिति है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। अम्बाला जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है लेकिन पानी यहां टिक नहीं सकता। सारा पानी बहकर आगे चला जाता है और यहां के खेत प्यासे रहते हैं तथा लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, इस जिले में बाढ में नदियों के किनारे बसे गांवों के मकानों, जानवरों तथा लोगों का जो नुकसान होता है उसे रोकने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जितनी भी यहां नदियां हैं जैसे मारकंडा, टांगरी आदि उन पर छोटे छोटे बांध लगाकर पानी को रोका जाए ताकि अम्बाला जिले की प्यासी धरती को पानी मिल सके तथा इनसे होने वाले नुकसान से बचा जा सके।

अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की जो स्कीम है उसके तहत यहां तालाब खोदा जा रहा है योजना मंजूर है कि नहर का पानी अम्बाला के लोगों को मिलेगा लेकिन मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि काम की स्पीड बहुत कम है। ऐसा नजर

आता है कि सन 1990 तक ही वह पानी लोगों को मिल सकेगा। ज्यादा तेजी से वह काम किया जाना चाहिए, यह मेरी प्रार्थना है।

अध्यक्ष महोदय, हस्पताल का नींव पत्थर काफी समय पहले रखा गया था लेकिन उसके बाद एक भी ईंट वहां नहीं लगी है केवल रैजिडेंट्स हॉल क्वार्टर वहां बने हैं। इस काम को भी जल्दी से करवाया जाए।

मिनि सैक्रेटेरिएट का नींव पत्थर भी वहां रखा गया है लेकिन बाईपास की वजह से जो पहला रेलवे फाटक था वह बंद हो गया है जिसकी वजह से स्कूटर और मोटर साइकिल वालों को दो किलोमीटर का चक्का काटकर कोर्टस में जाना पड़ता है। रिक्शा वहां से जा नहीं सकता। अगर उस फाटक को खुलवा दिया जाए चाहे उसका खर्चा हरियाणा गवर्नमेंट को बरदाश्त करना पड़े तो लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी (विध्वंस)

अध्यक्ष महोदय, आज अम्बाला में सड़के टूटी पड़ी है। पैदल आदमी भी उन पर चल नहीं सकता, साइकिल और स्कूटर की बात तो दूर रही। अम्बाला में जाकर अगर आप एक राउन्ड लगाएं तो आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज वहां सारे का सारा पैसा ऐस्टेब्लिशमेंट पर खर्च हो जाता है। अगर अम्बाला भाहर को 50 लाख या 1 करोड़ रूपया दे दिया जाए जो उसकी डिवैल्पमेंट के लिए लग जाए तो अच्छा रहेगा। गांव की डिवैल्पमेंट हम चाहते हैं लेकिन भाहर अगर बरबाद हो जाए तो भी काम नहीं

चलेगा। हरिजन भाई, बालिमकी भाई और रविदास भाई भाहारों में भी रहते हैं। इसलिए भाहारों की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे एक सवाल के जवाब में यह कहा गया है कि बलदेव नगर मिनी बस स्टैंड वर्ष 1984-85 में बन जाएगा। अगर यह जल्दी से जल्दी बन सके तो बहुत अच्छा होगा। (घंटी)

अध्यक्ष महोदय, एक बात कह कर मैं अपना स्थान ले लूंगा। रायपुर रानी के कांड के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जुडीयल इन्क्वायरी होगी। (विध्न)

चौधरी भजन लाल: जुडीयल इन्क्वायरी के बारे में मैंने नहीं कहा है।

मास्टर विठ्ठल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां 19 लोगों के विरुद्ध जो झूठे मुकदमें बनाए गए हैं उन्हें वापस लेकर ये फरोखदिली का सबूत दें। जो औफिसर्ज वहां ठीक नहीं है उन्हें वहां से हटा दिया जाए क्योंकि वहां गवाह असर अन्दाज हो रहे हैं। अगर सरकार यह कदम उठा लेगी तो लाल सिंह की ताना गानी से वह इलाका बच जाएगा आपको भी इससे राहत मिलेगी और वहां के लोगों को भी राहत मिलेगी।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण—

(1) प गुपालन राज्य मंत्री द्वारा

प गुपालन राज्य मंत्री (चौधरी लाल सिंह): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन। स्पीकर साहब, जो कुछ मेरे बारे में कहा गया है मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। (विधन) स्पीकर साहब, रायपुर रानी के कांड के बारे में मेरे पास यह हलफिया ब्यान की फोटोस्टेट कापी है जो हल्का एमएलए होने के नाते मुझे भेजी है। इस हलफिया ब्यान को मुख्यमंत्री जी को दे दिया गया है। (विधन) इसे ओथ कमीशनर ने अटैस्ट किया हुआ है। एक बनियानी औरत है। वह मेरी जात की नहीं है लेकिन इन्होंने उसे मेरी बहन बना रखा है। अखबार वालों ने भी लिखा है कि वह मेरी जात की नहीं है। उस औरत ने अपने हलफिया ब्यान में लिखा है कि वह इनकी पार्टी में काम करती थी। वह इंदिरा जी के बीस सूत्री कार्यक्रम को पढाकर कांग्रेस में आ गई। जिस वक्त वह कांग्रेस में आई ये सारे भाई इकट्ठे होकर उसके घर गए। इन्होंने कहा कि तू हमारी पार्टी में वापस आ जा। उसने कहा कि मैं नहीं आती। उसके बाद क्या हुआ? उसके लडके की भाादी थी। उसकी लडकी जिस वक्त बस अड्डे पर उतरी इनके आदमियों ने उसे रिक्शा में नहीं बैठने दिया और उसके ट्रंक में से जेवर चोरी करवा दिए। (विधन) यह मैं हलफिया ब्यान में से बता रहा हूँ। फिर उसका जो खाने का तम्बू लगा हुआ था वह भी गिरा दिया। उसे यह कहा गया कि अगर तू जनसंघ में वापस आ

जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा वरना हम तुझे भाहर से उजाड देंगे। (विघ्न) यह हलफिया ब्यान है इस बात का। (विघ्न) उसके बाद इन्होंने क्या किया? 15 तारीख को मैं वहां जा रहा था। मैंने जाकर देखा कि इतनी पब्लिक क्यों इक्टटी हुई है? मैंने सोचा कि भायद कोई ऐक्सिडेंट हो गया होगा। जब मैं वहां खडा हुआ तो ऐक्स एमएलए चौधरी साधुराम जी आगे आगे आ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि आप इनकी बात सुनो ब्लौक के दफतर में जाकर। मैं ब्लौक के दफतर में गया। वहां परप सब लोग बुलाए और पूछा कि लोगों क्या बात है? उन्होंने कहा कि रात को इस औरत के जेवर चोरी हो गए और इसने थाने में रपट लिखा दी। लोगों ने यह बात भी कहीं कि जनसंघ वालों ने इसे कहा कि जनसंघ में आ जाओ, नहीं तो जेवर नहीं मिलेंगे। (विघ्न) वह महिला मंडल की चेयरमैन है। (विघ्न) उसके बाद इन्होंने अपने मर्जी से भाहर वालों की एक कमेटी बनवाई और कहा कि हम अपना फैसला आप कर लेंगे। मैंने कमेटी वालों को कहा कि अगर खुद फैसला करना है तो थोनदार को बीच में डालने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि थानेदार का कसूर नहीं इसको तो कमेटी में डालो। मैंने कहा डाल लो। फिर उन्होंने कहा एसडीएम को भी कमेटी में डालो। मैंने कहा डाल लो। उसके बाद मैं तो चला आया लेकिन इनके एक आदमी ने दौडकर मास्टर जी को रिपोर्ट दी और इन्होंने वहां जाकर मुनियादी कराई कि 17 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। (विघ्न) स्पीकर साहब इनका यह इलैव इन स्टन्ट है। (विघ्न)

सारा इलाका वहां इक्कठा हुआ लेकिन ये ले गए सूरजभान जी को और दुनिया भर की बातें इन्होंने वहां की। उस औरत को छुपाया गया, गुम रखा और अपने कब्जे में रखा गया और फिर यह ब्यान दिलाया गया और यह कांड बनाया गया, वोट लेने के लिए। (विघ्न) फिर धमेजा साहब को कहा कि धमेजा साहब हमने वहां की 25 हजार वॉटे तो बना ली है। हमारा सिलसिला जम गया है यह बात इन्होंने वहां पर कही। मैं ईमानदारी से स्पीकर साहब आपको ही जांच करने के लिए कहता हूं। अगर इसमें मेरा कोई हाथ हो तो आप देख लें। वहां अखबार वाले गए। राम प्रकाश जी जो प्रधान है जिला कांग्रेस के वे भी वहां गए। सबने कहा कि लाल सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं है। मैंने एक पैम्फलेट छपवाया है। इस पर मेरे दस्तखत है। यह अंग्रेजी में भी है और हिन्दी में भी है। कोई इसे लेना चाहे तो आकार ले ले। (विघ्न) स्पीकर साहब यह इनका वोट लेने के लिए ढोंग है। (विघ्न) स्पीकर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पर ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। पहले जो इनके एमपी जनता पार्टी के श्री सुरजभान जी थे वे मेरी मदद से बने थे क्योंकि मैं भी उस वक्त जनता पार्टी में था। इन्होंने एक मीटिंग करी कि चौधरी लाल सिंह को हटवा दो फिर हम पार्लियामेंट का इलैक्शन जीत जायेंगे। अगर लाल सिंह को हटवा दो फिर हम पार्लियामेंट का इलैक्शन जीत जायेंगे। अगर लाल सिंह मिनिस्टर रहा तो पार्लियामेंट का इलैक्शन नहीं जीत सकते। ये मेरे खिलाफ बोलते हैं तो इनकी अपनी वोटें टूटती हैं। अब की दफ देख लेंगे कि कितनी वॉटे

लेंगे। पार्लियामेंट के इलैक्ट्रान आने वाले है। ये जानते है कि इनके आदमी को सिर्फ लाल सिंह ही हरा सकता है और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए ये सब मेरे पर इल्जाम लगाये जा रहे है।

(2) मास्टर रिक्वायर् द्वारा

मास्टर रिक्वायर्: स्पीकर साहब, मैं भी वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। चौधरी लाल सिंह जी ने मेरे बारे में कुछ बातें कही। मैंने उस देवी की आज तक भाक्ल भी नहीं देखी है जिसका ये जिकर कर रहे है। (गोर) ये जो हाउस में एफिडेविट दिखा रहे है ये ठीक नहीं। ये वैसे ही पांच आदमियों के कोरे कागज पर दस्तख्त करा कर लाये हैं। रायपुर रानी के बारे में इन्होंने कहा कि वहां पर रिक्वायर् में से उस लडकी को उतारा। वहां पर न कोई रिक्वायर् है न कुछ और है। केवल एक रिक्वायर् है जिसके पीछे सामान रखा जाता है। सवारी बैठने वाली वाहं पर कोई रिक्वायर् नहीं है। दूसरी बात मैं हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि 16 तारीख को मैं एसएचओ साहब से मिला। उससे मैंने पूछा कि क्या आपको उस देवी के घर का पता है। उन्होंने बताया कि उन्हें सब जानते है। अगर अफीम और भाराब कहीं मिलती है तो उस देवी के घर पर मिलती है। उसके घर वाला कहता है कि मिनिस्टर मेरा साला है। एसएचओ ने बताया कि वहां पर भाराब बिकती है क्योंकि मिनिस्टर का इसके पीछे हाथ है। (गोर)

श्री अध्यक्ष: मेरे ख्याल में दोनों तरफ से काफी हो चुका है। इसलिए अब खत्म करें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, लाल सिंह जी से यह तो पूछ लें कि क्या फरीदाबाद में इनका या इनके लडके ने या रि तेदार ने किसी खान में हिस्सा डाला है या नहीं?

चौधरी लाल सिंह: क्या आप मेरे लडके के ठेकेदार लगे हुए हो। आपका इससे क्या मतलब है।?

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, लाल सिंह जी का 52 पत्तों वाला रोल तो ठीक है। मैंने हाउस में कैटेगरीकली पूछा है कि क्या फरीदाबाद में आपने आपके लडके ने या रि तेदार ने खान के ठेके में कोई हिस्सा डाला है?

चौधरी लाल सिंह: *****

श्री अध्यक्ष: जो कुछ चौधरी लाल सिंह जी ने अब कहा है इसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, अभी चौधरी भजन लाल जी कह रहे थे कि अनु शासन का पालन करना चाहिए। मैंने अनु शासन का पालन करते हुए चौधरी लाल सिंह जी से बड़े अदब के साथ पूछा है कि उस खान में इनके बेटे का हिस्सा है या नहीं? इन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब यह हुआ कि *silence means half consent.*

श्री अध्यक्ष: जो कुछ आपने कहा है अगर उसका जवाब नहीं आया तो उसके मायने आप समझते ही है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

सरदार सुजान सिंह (जंडुला अनुसूचित जाति):

आनरेबल मान योग स्पीकर साहब, सरकार ने जो अभिभाषण सदन में पेश किया है यह एक सरकारी रिपोर्ट से बढ कर कुछ नहीं। इस अभिभाषण में बताया गया है कि किसान, मजदूर, हरिजन और पढे लिखे बेरोजगार लोगों की डिवलपमेंट के लिए ठोस कदम उठाये जायेंगे लेकिन इस अभिभाषण को गौर से पढें तो असलियत में कुछ ओर है। बेरोजगारी के संबंध में हाउस में काफी चर्चा हुआ है। सरकार ने एसएसएस बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन, एम्पलायमेंट एक्सचेंज द्वारा बेकारी को दूर करने के लिए प्रबन्ध किया है। स्पीकर साहब, नौकरी किस ढंग से और कैसे मिलती है इस बारे में आनरेबल मैम्बरज काफी रोशनी डाल चुके हैं लेकिन मैं आपके द्वारा इस सरकार को बधाई देता हूँ कि हरियाणा सरकार ने 25 करोड रूपया पंजाब सरकार को दे कर वहां के बेकार लोगों की बेरोजगारी दूर कर दी। जिस मतलब के लिए हरियाणा सरकार ने 25 करोड रूपया दिया था यानि सतलुत यमुना लिंक नहर बनाने के लिए वह बिल्कुल नहीं बनी। हमारा सारा 25 करोड रूपया जाया हुआ है। हरियाणा स्टेट को इस पैसे

के जाने से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हरियाणा सरकार ने अपने सूबे की बेकारी दूर करने की बजाए पंजाब सूबे की कर दी।

स्पीकार साहब, इस सरकार की तो यह हालत है कि जिन हरिजनों के बारे में ये दम भरते हैं उन लोगों की भी बुरी हालत है। जो सफाई मजदूर म्यूनिस्पल कमेटियां में काम करते हैं उनकी बीस बीस साल की नौकरी हो गई परन्तु उन्हें आज तक रेगूलर नहीं किया गया।

स्पीकर साहब, अभी इस अभिभाषण में ला एंड आर्डर के विषय में काफी सन्तुष्टता प्रकट की गई है। पिछले दिनों यमुनानगर, पानीपत, जींद, कैथल और करनाल में जो कुछ हुआ है वह हाउस में किसी से छुपा नहीं है। मैं मानयोग सदस्यों का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। वे हरियाणा की समस्या को पंजाब की समस्या से अलग रखें। पंजाब में जो कुछ भी समस्या है उसके बारे में सब लोग समझते हैं लेकिन जब यहां पे । करते हैं तो अपने ढंग से पे । करते हैं। अप्रैल 1978 में निरंकारियों का जो झगडा हुआ वहा एक धार्मिक फिरके के साथ हुआ। जिनका कतल हुआ था उन्होंने उस बदले की भावना से निरंकारी का कतल किया। सब मैम्बर्ज को मालूम है कि निरंकारियों ने भी उनकी हत्या की थी। कहने का मतलब यह है कि पंजाब में जो हिंसक घटनायें हुई हैं वे कम्युनल रायटस या साम्प्रदायिक रायटस से हैं। लेकिन जब हम यहां बोलते हैं तो

कहते हैं कि जो पंजाब की घटनायें हैं उनका असर हरियाणा की घटनाओं पर पड़ता है। जो कुछ भी हरियाणा में हुआ है वह सरदार लछमन सिंह जी ने बड़े विस्तार के साथ बताया है। पानीपत में जब माइनोरिटी ग्रुप की मैजोरिटी ग्रुप वाले दुकानें लूट रहे थे, धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचा रहे थे तो उस समय पुलिस वाले स्पक्टेटर बने खड़े रहे। वहां माइनोरिटी के दस आदमी मरे गये, 11 जख्मी हुए। जो दस आदमी मारे गये हैं वे के आधारी हरिजन थे। (गोर एवं व्यवधान) अमर सिंह जी यह आपके ध्यान में लाने के लिये मैंने कहा है। मैं जब भी कोई बात कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मेरे पास रिकार्ड मौजूद है। पानीपत में असर अन्दाज, बा-खबर और बा-रसूख सियासतदान है जो माइनोरिटी ग्रुप को दबाना चाहते हैं। यह अन-कांस्टीच्यु इनल और एंटी ने इनल है। राजलूगढी रेलवे स्टेशन जो है वहां पर एक फिकरे **18.00 बजे** के लोगों को धर्मविहिन किया जा रहा था? उस टाइम पर भी पुलिस ने कोई ऐक इन नहीं लिया। मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं। कि वायलैन्स चाहे कहीं पर भी हो, चाहे जम्मू क मीर में हो, पंजाब में हो, आसाम में हो या हरियाणा में हो, सब को मिलकर कन्डैम करना चाहिए और ला आफ दि लैन्ड को सब को मानना चाहिये। किसी एक तबके को या किसी एक आदमी का राज नहीं होना चाहिए। कानून का राज होना चाहिए। मैं आपके द्वारा मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर नै इनल हाईवे और रेलवे पर ट्रैफिक पुलिस समय पर

काम नहीं करती तो जम्मू क मीर, पंजाब और हरियाणा की जो एक माइनोरिटी कम्युनिटी है उसका सैन्टर में यानि दिल्ली जाने का लिंक टूट जाना था। जहां कुछ पुलिस वाले मिल जुल कर माईनारिट गुप को दबाना चाहते है वहां पर कुछ ऐसे भी पुलिस कर्मचारी है जो यह चाहते है कि हमारे दे 1 और हमारे सूबों में अमन और भान्ति बनी रहे। आखिर में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है— जानी या माली और धार्मिक स्थानों का अपमान किया गया है और उनको जो रकम दी गयी है या देने की आफर की गयी है वह कहीं कम है। मेरे अपने इलाके जंडुला में जो सिखों के गांव है वहां पर खासतौर पर जो के 1धारी—अमृतधारी लोग कृपाण पहनने है वह 6 इंच लम्बी कृपाण पहनते है। हमें कृपाण पहनने का कांस्टीच्यू 1नल हक दिया गया है। कुछ लोगों को धर्मविहीन बनाने के लिये पता नहीं सरकार की तरफ से यह आदे 1 कैसे जारी किये गये कि उनको कृपाण साथ लेने की इजाजत नहीं है। हम यह चाहते है कि जो माइनोरिटी कम्युनिटी वाले है इस दे 1 की आजादी की खातिर उन्होंने भी लडाई लडी है उनको उनके हक दिये जायें।

मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल: ऐसे है कि कृपाण ले जाने से स्टेट में कोई पाबन्दी नहीं है। इतना जरूर हुआ था कि जब 144 दफा लगी हुई थी तो तलवार ले जाने पर पाबन्दी लगाई

गयी थी। कृपाण पर कोई पाबन्दी नहीं है। (व्यवधान व भाोर).....

.....

श्री सुजान सिंह: आनरेबल स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है कि कृपाण ले जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है। मैं कृपाण की बात कर रहा हूँ तो यह भी बता दूँ कि मैं उस कृपाण की बात कर रहा हूँ जो 6 इंच लम्बी कृपाण अमृतधारी सिख पहनता है। (व्यवधान व भाोर) यदि इन्होंने यह कहा है कि हमारे यहां कोई भी पाबन्दी नहीं है तो मैं इनकी इस बात को काबिले तारीफ समझता हूँ। सरकार ने इस देश की अखण्डता और एकता को कायम रखने के लिये यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। आनरेबल स्पीकर साहब, मैं ज्यादा बात न कहते हुए यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब ने जो अभिभाषण दिया है मैं उसका विरोध करता हूँ। इन भावों के साथ अपना स्थान लेता हूँ कि—

कहने को बहुत कुछ है अगर कहने पर आते,

अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते।

धन्यवाद।

चौधरी हुकम सिंह फोगाट: आदरणीय स्पीकर साहब, गवर्नर साहब ने यह जो एड्रेस दिया है मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। साथ साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि

मेरी इस बात पर चौधरी भामोर सिंह और मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी भजन लाल: मैंने यह कहा है कि यह बात तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि आप इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी हुकम सिंह फोगाट: आदरणीय स्पीकर साहब, जब हम सभ्य भाशा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मजाक किया जाता है। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारी कैबिनेट के मंत्री भी ऐसे हैं जो ऐसी भाशा का प्रयोग करते हैं जो कम से कम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पीकर साहब, कैबिनेट के मंत्री ऐसी भाशा का प्रयोग करें तो भाोभा वाली बात नहीं है। जब हमारा कोई आदमी बोलता है तो उसको धमकाने की बात करते हैं। (व्यवधान व भाोर) सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री महोदय का ध्यान एक बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय एक दफा दादरी गये थे। आज के राष्ट्रपति और उस वक्त के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी भी इनके साथ थे। दादरी में इन्होंने यह वायदा किया था कि अगर आप जमीन दो और 50 लाख रूपया दे दो तो मैं यहां पर एक इंजीनियरिंग कालेज खोल दूंगा। आप 21 फरवरी का टाईम्ज आफ इंडिया देखिये मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक ब्यान आया है कि स्टेट मे दो इंजीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं। इसमें से एक तो बैंक वर्ड एरिया में सैटअप कर सकते हैं। वहां के लोग 50 लाख रूपये की बजाये इनको 3 करोड रूपया दे

रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय अपने उस वायदे पर कायम हैं जैसे हैं तो बड़े उदारवादी हर चीज की हां भर लेते हैं। जैसे ना नहीं करेंगे, तो वहां पर इंजीनियरिंग कालेज खोल दें। वहां के लोग 50 लाख की बजाये 3 करोड़ रुपये देने को तैयार हैं। मैं यह चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय खड़े होकर इस हाउस में इस बात का वि वास दिलायें कि दादरी में एक इंजीनियरिंग कालेज खोला जायेगा क्योंकि वह एरिया बैकवर्ड एरिया है। स्पीकर महोदय, इस अभिभाषण में लिखा है कि विकास कार्यों के सभी क्षेत्र में बड़ी उल्लेखनीय तरक्की की है। चाहे वह खेती की बात हो, बिजली की बात हो, किसानों की बात हो, शिक्षा की बात हो, हमने बड़ी तरक्की की है। मैं चौधरी भाम देर सिंह जी का ध्यान बिजली के बारे में दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने परसों ही यहां पर कहा था कि हमने सभी ट्रांसफार्मर्ज बदले हैं जब बिजाई का सीजन निकल चुका है। दादरी डिविजन मेरे हलके में है। इनका एक आदेश यह कहता है कि ट्रांसफार्मर्ज ऐसे हैं जो ओवरलोड चल रहे हैं। जिसकी वजह से किसानों की मोटरें जल रही हैं। वहां पर इतनी ट्रिपिंग होती है कि वह इरीगेशन नहीं कर सकते। क्या इस तरफ भी सरकार ध्यान देगी? अभी तक 1980-81 की टैस्ट रिपोर्ट्स पडी हुई हैं। एक किसान ट्यूबवैल के लिये कर्जा लेता है फव्वारा सैट लगाने के लिए कर्जा लेता है लेकिन उसको कर्नैकेशन नहीं मिलता। अब इन्होंने आदेश जारी किये हैं कि अगर कोई 13 हजार रुपया जमा करा दे तो तुरन्त कर्नैकेशन मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष: वह तो इन्होंने परसों कहा था कि वह वापस ले लिया गया है।

चौधरी हुकम सिंह फोगाट: मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रदेश में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर किसानों को कर्जा देना लेने के लिए 1980-81 की टैस्ट रिपोर्ट्स पडी हुई है। आप ही बताये वह किसान कहां से कर्जा की कि त देगा। बैंक वाले जीपें लिये उसके पीछे घूमते रहते हैं। कर्जा तो वह तब ही-पे करे जब उसको कर्जा देना मिल जाये। मैं चौधरी भाम सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे ज्यादा से ज्यादा माल मेरे इलाके में भेजे ताकि वहां पर 1980-81 की जो 3-4 साल से टैस्ट रिपोर्ट्स पैंडिंग पडी हुई है और किसानों ने कर्जा लिया हुआ है उनको कर्जा देना मिल जाये। मेरा इलाका बारानी इलाका है भगवान का भी कुछ प्रकोप है। वहां पर बारानी इलाका होने की वजह से एक लोहारू कैनल है। वह सिर्फ बरसात के समय में ही चलती है। गेहू की फसल के लिये कम से कम 4 पानी चाहिए लेकिन आज हालत यह है कि कहीं पर एक पानी मिल गया तो कहीं पर दो पानी मिल गये लेकिन किसान से लगान पूरे पानी का लिया जाता है। उसे पूरी फसल का लगान देना पडता है। लोहारू कैनल से कम से कम किसानों को तीन पानी तो मिलने चाहिए ताकि किसानों को जो कुछ वह बोये उसमें उसको कुछ लाभ मिल सके। अब एक दो पानी लगने की वजह से जितना वह खर्च करता है। केवल उतना ही मिल पाता है। उसको लाभ कुछ नहीं होता।

मेरा सुझाव यह है कि इस की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

स्पीकर साहब, पीने के पानी का जहां तक ताल्लुक है इनके पास पीने के पानी के लिये बिजली नहीं है जिससे कि पानी की सप्लाई जारी रह सके। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि हम दस घंटे बिजली देते हैं लेकिन आप इंकवायरी करवा कर देख लो कोई कमेटी बिठा दीजिए या मंत्री महोदय अपने आप इंकवायरी करके देख लें सिर्फ कागजों पर दस घंटे बिजली दी जाती है। वरना कहीं आठ घंटे बिजली दी जाती है कहीं नौ घंटे दी जाती है और कहीं सात घंटे दी जाती है। कल ही मैं अपने यहां गया था और लोगों से पूछा था कि कितने घंटे बिजली आ रही है। मुझे बताया गया कि बिजली आठ-नौ घंटे ही मिलती है और दस घंटे तो केवल कागजों में ही है। उसके बाद मैंने बिजली के दफतर में पता किया उन्होंने भी यही कहा सच्चाई तो यह है कि कागजों में ही दस घंटे बिजली की सप्लाई है वरना आठ नौ घंटे बिजली दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इनके पास पीने के पानी के लिए बिजली नहीं है। बे तक आप इस बात की इंकवायरी करवा लें या मंत्री महोदय खुद इंकवायरी कर लें। भुक्तला जी ग्रिवेन्सिज कमेटी की मीटिंग में जाती थी और मैंने इनको भी बताया था और स्पीकर साहब आपको सुनकर अचम्भा होगा कि रात के बारह बजे, एक बजे और कभी दो बजे वाटर की सप्लाई होती रही है। मैं दिसम्बर-जनवरी की बात कर रहा हूं।

उस समय गांव की औरतें रात को कडकती सर्दियों में पानी के इंजजार में बैठी रहती थी। चन्दा करके रात को चाय का इंतजाम करती थी और कडकती रात में नलकों पर बैठी रहती थी। स्पीकर साहब, यह हालत पानी की और बिजली की है। आप पीने के लिए कहां से पानी देंगे जब आपके पास बिजली ही नहीं है। उन गांव में और साजरवाल में वाटर वर्क्स की बिजली काट दी क्योंकि पब्लिक हैल्थ वालों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया था। स्पीकर साहब, अगर पब्लिक हैल्थ वाले पब्लिक हैल्थ का बिल न भरें तो लोगों को इसकी सजा क्यों मिले। पब्लिक हैल्थ वाले बिल न भरें और उसके बदले में बिजली वाले उस वाटर वर्क्स का कनैक्ट न काट दें और लोगों को पीने का पानी न मिले जोकि बहुत जरूरी चीज है और जिसके बगैर गुजारा नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह तो देते हैं कि कोई चीज नोटिस में लाओं सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्यवाही आप करें इससे ज्यादा लोगों के साथ क्या अन्याय होगा कि पब्लिक हैल्थ वाले बिल न भर और सजा लोगों को मिले। इसमें लोगों का क्या कसूर है?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सडकों के बारे में कहना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में दादरी तहसील में सडक तो क्या बननी थी कोई सडक का पैच भी नहीं लगा। एक सडक दादरी से छूछवास और दूसरी दादरी से बोंद कलां ये दोनों सडक जगह जगह पर टूटी हुई है। कर्नल साहब की अब वहां की बसें

गुजरती है तो उन बसों की कमानी टूट जाती है और जब कमीनी टूट जाती है तो बसें खड़ी रह जाती है। स्पीकर साहब, एक सडक लोहारू कैनाल से पम्प हाउस तक बनाई गई। यह हिस्सा पौना किलोमीटर है। एक महीने बाद ही वह सडक टूट गई। मैंने एक्सईएन की जब इस बारे में बताया तो वह कहने लगा कि मथुरा से जो तारकोल आता है उसमें चेप नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिन सडकों पर लोगों का पैसा लगा हुआ है उन सडकों की हालत ऐसी है कि बसों का चलना दुभर हो गया है।

अब मैं बहन प्रसन्नी देवी जी के डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं कि मैं बहन जी से कई बार कहा चुका हूं कि हमारे अस्पताल की ओर ध्यान दो। स्पीकर साहब, दादरी का अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहां से तीस चालीस किलोमीटर तक कोई अस्पताल नहीं है। स्पीकर साहब, एक दिन मैं उस अस्पताल में आठ नौ बजे चला गया लेकिन मैंने देखा कि वहां पर कोई लाइट नहीं है। मैंने डाक्टर का कहा कि यह अंधेरा क्यों हो रहा है क्या ब्लैक आउट हो रहा है तो डाक्टर कहने लाग कि बल्ब नहीं है और बल्ब खरीदने के लिए हमारे पास कोई फण्ड नहीं है। स्पीकर साहब, वहां पर न कोई चारपाई है न वहां पर गददे है और न वहां पर चादरें हैं। ऐसी हालत में अच्छा खासा आदमी भी वहां पर जाकर बीमार हो जाएगा। एक वहां पर डाक्टर भी ऐसा भेज रखा है। स्पीकर साहब, कुछ कम्पनियां घटिया दवाइयां बनाती है जिनका कि कुछ असर नहीं होता। वहां के

डाक्टर उन कम्पनियों की ही दवाई मरीज को प्रैसक्राइब करते हैं। उनसे कुछ आराम मरीज को नहीं आता। अगर किसी को सरदर्द हो जाए तो पचास रूपए की दवाई डाक्टर लिख देते हैं और साथ में कुछ विटामिन लिख देते हैं। मैंने सी.एम.ओ. को कहा कि डाक्टर घटिया किस्म की दवाई लिख देते हैं जिनसे आराम नहीं होता। वे कहने लगे कि इन दवाइयों का कुछ असर नहीं है। मैं उनको कुछ कह तो नहीं सक कि वे दवाई न लिखें। मैं उनको रोक नहीं सकता लेकिन कउन्हें चाहिए कि वे इन कम्पनीज की दवाइयां प्रैसक्राइब न करें। वैसे इनसे नुक्सान तो नहीं लेकिन फायदा भी नहीं होता। पता नहीं कि कहीं कोई कमि इन का तो चक्कर नहीं है इसलिए डाक्टरज इन घटिया कम्पनीज की दवाई लिखते है। मेरी बहन जी से प्रार्थना है कि वहां के लोग गरीब हैं और अस्पतालों का बुरा हाल है। दवाइयां तो अस्पतालों में कहीं है ही नहीं। इसलिए बहन जी को हमारे यहां के अस्पताल का ध्यान रखना चाहिए। न वहां पर गद्दे हैं, न चादरें हैं और न ही दवाइयां और चारपाइयां हैं। अगर वहां के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो उनको सजा तो नहीं मिलनी चाहिए। अगली दफा आपको वोट दे देंगे। स्पीकर साहब, दादरी भाहर की म्युनिसिपल कमेटी का बहुत ही बुरा हाल है वहां पर सारी सड़कें टूटी हुई है। म्युनिसिपल कमेटी के पास इनको ठीक कराने के लिए पैसा नहीं है। वहां पर ऐसी ऐसी गलियां हैं जहां से कोई आदमी निकल नहीं सकता। मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उस कमेटी को ग्रांट दी जाए। वहां पर नालियां खराब हैं और गलियां

पक्की नहीं है। स्पीकर साहब, अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत सियाने और होठियाँ हैं और हमारे सभी मंत्री भी बहुत होठियाँ हैं। भ्रष्टाचार का तो जिक्र ही क्या करूँ कहीं किसी दफ्तर में घुस जाओ अगैर पैसे के कोई घुसने ही नहीं देगा। हर बात के लिए पैसा चाहिए। एक आदमी अभी कुछ समय पहले तहसील में गया था। वहाँ उसका कोई केस था। जो आदमी फाईल डील कर रहा था वह कहने लगा कि फाईल चलाने के लिए तेल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। वह आदमी पच्चीस रूपया देकर आया और उसके बाद वह फाईल आगे चली। (गोर एवं व्यवधान) भाम गोर सिंह जी आप सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है ? हर जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिजली वालों के पास चले जाओ बगैर पैसे के कनेक्शन नहीं मिलेगा और जो पैसा दे देता है उसको बीच में ही कनेक्शन दे दिया जाता है। कर्नल साहब हमारी मीटिंग में जाया करते थे। मैंने उनको बताया था कि बिजली के महकमे वाले बीच में भी कनेक्शन दे देते हैं और सीनियोरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है।

श्री अध्यक्ष: अब आप वाइंड अप करिए।

चौधरी हुकम सिंह फोगाट: आजकल तो हालत यह है कि पैसे वालों का ही काम हो रहा है गरीब आदमी का कुछ नहीं हो रहा है। अगर सरकार यह कर दे कि कोई भी फाइल पन्दह दिन से ज्यादा किसी अफसर या क्लर्क की मेज पर नहीं रहेगी तो

मेरे ख्याल में करण्डान होने की कम गुंजाइश हो जाएगी। आज हालत यह है कि बेचारा किसान रजिस्ट्री बनवाने अगर तहसील में जाता है तो तहसीलदार कहता है कि रैडक्रास की टिकट लो। बीस हजार की रजिस्ट्री करवानी हो ताक कहा जाता है कि पांच सौ रूपया की रैडक्रास की टिकट ले लो। इस तरह से बेचारा गरीब किसान पांच पांच सौ, तीन तीन सौ और दो दो सौ रूपया दे कर के अपनी जान छुडवाता है और तंग आकर के कहता है कि यह दो सौ रूपया ले लो और मेरा पीछा छोड़ो। मेरा कहने का मतलब यह है कि करण्डान चर्म सीमा तक पहुंच चुकी है। इसलिए मेरी आपके द्वारा सरकार से यह रिक्वेस्ट है रजिस्ट्री डान के समय पर जो टिकटों वगैरह की आड़ में इस तरह गरीब किसानों को लूटा जा रहा है, इस सिलसिले को बन्द किया जाए ताकि गरीब किसानों को इससे राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आपका समय समाप्त हो गया है।

चौधरी हुकम सिंह फोगाट: स्पीकर साहब, बस मैं एक दो बातें कह कर ही आना स्थान लूंगा। दादरी से जनता के विचार नामक एक अखबार निकलता है ओर उसके सम्पादक जो हैं, वे ट्रिब्यून के भी नुमाइन्दे हैं। उस सम्पादक को मिनी सैक्रेटेरिएट के सामने बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उस बेचारे ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए किसी बड़े आदमी के किसी एक रिश्तेदार के खिलाफ खबर छपवा दी थी। उसकी इसी सिलसिले में खूब पिटाई हुई

और बाद में उसे जान से मार देने की भी धमकियां दी गयी। उसे यह कहा गया कि अगर उसने आगे से ऐसी खबरें दी तो जान से मार देंगे। आज अगकर प्रैस को आजादी नहीं है, उनकी इस तरह से धज्जियां उड़ायी जा रही है, उन के सम्पादकों की बुरी तरह से पिटाई हो रही हैं तो फिर हमारी जान माल की सेफटी कैसे हो सकती है। हमारी जान की गारन्टी क्या हो सकती है ? ऐसी सरकार के होते हुए यहां पर कोई जी भी नहीं सकता। यहां तक ही बात नहीं रही। जब वे बेचारे थाने में इस मामले की रपट लिखवाने के लिए गये तो उनकी रपट तक भी दर्ज नहीं की गयी। यह तो इस सरकार के ला एण्ड आर्डर का हाल है। सरकार को चाहिये था कि उस बेचारे की रपट तो थाने में दर्ज होने देती लेकिन इस सरकार ने यह भी नहीं होने दिया। (गोर एवं व्यवधान) इन लफ्जों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। (धन्यवाद)

बहिन भान्ति देवी (करनाल): अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को विधान सभा में जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, मैं उसके समर्थन में थोड़े भाब्द कहने के लिए खड़ी हुई हूं। सभी जानते हैं कि हरियाणा में निरन्तर प्रगति हो रही है ओर सच्चाई तो यह है कि इसके लिए हमारी सरकार ने काफी प्रयत्न किये हैं ताकि यहां के लोग खुा हाल नजर आए। इस तरह से सरकार ने हरियाणा की प्रगति

के लिए नयी नयी योजनाएं बनायीं। यहां के लोगों को तरक्की के हर तरह के नये नये अवसर जुटाये गये जिससे कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा साथ में भौतिक विकास हो जिसके कारण से लोग सुख सुविधा का जीवन व्यतीत कर सकें। हरियाणा की प्रगति का एक विशेष कारण यह भी है कि यहां पर हर लिहाज से सुख, चैन और भ्रान्ति रही है। हरियाणा के लोग बड़े सुखी मन से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, हरियाणा के लोग प्रगति के पथ पर पूरी तरह से अग्रसर थे, सुख सुविधापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले दिनों यहां भी झगड़े हुए, कुछ गड़बड़ हुई। आपको तो पता है कि हरियाणा भगवान कृष्ण की भूमि है और यहां के लोग तो सदा ही भ्रान्ति प्रिय रहे हैं और कभी भी इन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया है। यहां सुख, चैन से रहने वाले लोग हैं, इसलिए यहां पर लोगों का प्रयास रहा है कि बुराई को भलाई से दबाया जाए। बुराई का बदला भलाई से दिया जाए न कि बुराई का बदला बुराई से दिया जाए। यही वास्तव में मानवता है। इसी कारण से हमारे हरियाणा में पड़ोसी प्रदेशों की प्रतिक्रिया स्वरूप थोड़ी भ्रान्ति फैली थी परन्तु बहुत ही जल्दी सरकार की सतर्कता के फलस्वरूप वातावरण को भ्रान्त बनाने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं एक किताब पढ़ रही थी, उसकी एक बात मैं आपको इसी सम्बन्ध में बताना चाहती हूँ। किसी एक प्रदेश में एक भासक था। उस राज्य के किसी हिस्से में गड़बड़ हो गयी। वहां पर क्या हुआ ? उस भासक ने अपने किसी सीनियर अधिकारी को बुलाया और कहा कि आप वहां पर

जाईये और वहां का प्रबन्ध ठीक ठाक करिये और भ्रान्ति कायम करवाईये। अधिकारी ने कहा कि मेरा स्वभाव क्रोधी है। मैं अगर वहां पर जाऊंगा तो कुछ और ही न हो जाए। भासक ने कहा कि कोई बात नहीं। आप किसी बात की परवाह न करिये। यदि वहां कुछ और हो गया तो मैं वहां के सैकड़ों लोगों के सिर कटवा दूंगा। अधिकारी ने अपने होठों पर हवा का कायम रखे और कहा कि सैकड़ों के सिर कटवा दिये गये तो उसका क्या फायदा होगा ? मेरी गर्दन पर किस का सिर फिट आएगा ? मुझे इससे क्या मिलेगा ? इस तरह की भावना उस अधिकारी ने दिखायी। तो इसी भावना को लेकर के हमारे हरियाणा के लोगों ने अपनी उदारता का परिचय दिया। अगर उधर से कुछ आदमी मरते तो इधर हम उससे ज्यादा मारते फिर इसके बदले में दूसरी तरफ से और मरते। इसलिए हमारे हरियाणा के लोगों ने भ्रान्ति प्रिय निवासी होने के नाते इस तरह का वातावरण नहीं अपनाया। तभी हमारे हरियाणा और दूसरे साथ लगते राज्य में भ्रान्ति का वातावरण बना रहा। स्पीकर साहब, आप ही सोचिये कि जिन लोगों के परिवारों में जान की, माल की हानि हुई है, उनको इस झगड़े से कितनी परेशानी और दुःख मिला होगा। इसी दृष्टि से अमर चैन के कारण ही हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहा है। अमर चैन पर ही प्रत्येक प्रदेश की तरक्की निर्भर करती है। इसलिये हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने प्रदेश में भ्रान्ति बनाये रखें और हमारे यहां पर प्रेम की गंगा बहती रहे। करनाल की बात को ही स्पीकर साहबले लीजियेगा कितने दुःख की बात है

? प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते रहे हैं कि करनाल एक ऐतिहासिक स्थान है। इसके निकट कुरुक्षेत्र, पानीपत और तरावड़ी के स्थानों पर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गयीं लेकिन वे लड़ाइयां भी बाहर के आक्रमणकारियों द्वारा थोपी गई थीं। इन सब बातों को मिलाकर अगर देखें तो आप को पता चलेगा कि करनाल सब से बढ़कर भान्ति प्रिय जिला रहा है। मेरी सब भाईयों से प्रार्थना है कि यहां की भान्ति और अमन चैन को बनाये रखना चाहिए ताकि लोग बढ़चढ़ कर तरक्की कर सकें जिससे हमारे हरियाण का नाम सारे भारत में चमके और आपस में मिलजुल कर काम होता रहे। हम सब को यह चाहिए कि हम सब मिल कर रहें और अपने अपने इलाकों में पूर्ण भान्ति बनाये रखें। किसी भी धर्म, इजम, वर्ग, सम्प्रदाय की दृष्टि से भेदभाव उत्पन्न न होने दें। इसलिए हम सब अपने प्रदे 1 की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें और हर तरह की सद्भावना बनाये रखें। यही मेरी हाउस से प्रार्थना है। हम सब यहां पर जनता द्वारा चुनकर भेजे हुए प्रतिनिधि हैं। यह हम सब का फर्ज बनता है कि हम देखें कि कोई भी भाई कोई भी बहिन, कोई भी परिवार किसी भी प्रकार से दुःखी न हो। हमारा पड़ोसी कोई भी क्यों न हो। हम सब उसके हित की ही सोचें और उसे किसी प्रकार का दुःख महसूस न होने दें। पड़ोसी के साति हमीर सद्भावना रहे। बुराई का बदला भलाई से दें, हम सभी को अपना सहयोग दें और दूसरे के सहयोग के लिए प्रार्थना करें तभी इस प्रदे 1 में भान्ति की स्थापना बरकरार रह सकती है। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यही हमारा धर्म हैं

अध्यक्ष महोदय, इससे आगे चलकर मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में भी बड़ा सराहनीय कार्य किया है। पानी का प्रबन्ध करने की, बढ़िया बीज देने की हमारी सरकार ने भरपूर कोशिश की है जिससे कि पैदावार की बढ़ोतरी हो। इन सभी बातों की कोशिश की जाती है तभी जाकर पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। सरकार की तरफ से कीटनाशक दवाइयों का भी प्रबन्ध किया गया है कि इस कारण से किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और वे अपनी जिन्स पैदा करने में आर्थिक लाभ प्राप्त करें। ये अच्छे कार्य सरकार ने किये हैं। इसके साथ मैं यह बताना चाहती हूँ कि सूखे इलाके और मरुस्थलों में भी नलकूपों द्वारा फसल उगाने का प्रयास चल रहा है। बिजली के ट्रांसफार्मर को मुरम्मत करने का काम भी सरकार द्वारा बड़ी तेजी से किया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचालाएं खोली गयी है और खोली जा रही है। इस सरकार के कार्यकाल में खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ा है। इसके साथ साथ जो कम कीमतों की दुकानें हैं उन द्वारा भी लोगों को ससती वस्तुओं की उपलब्धि करायी जाती रही है और इस काम की तरफ खास ध्यान भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और काम सरकार की तरफ से सराहनीय हुआ है कि जो कम आय वाले लोग हैं, वे चाहे, कोई भी काम करना चाहें, उनको लोन वगैरह देकर सरकार द्वारा मदद दी जाती रही है ताकि लोन लेकर के वे अपना कोई न कोई धन्धा भुरू कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। ऐसा करने से लोगों की आर्थिक दशा में सुधार

हुआ है और आगे के लिए सरकार इसके लिए प्रयत्न गिल है। वन लगाने की तरफ हमारे प्रदे की सरकार ने वनों का महत्व समझ कर काफी ध्यान दिया है। नये नये तरह के पौधों और वृक्षों का करोड़ों की संख्या में लगाया जाना, सरकार का सरहानीय काम रहा है इससे जलवायु भी भुद्ध होगी और सरकार की आर्थिक द ता में भी सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है। सभी जानते हैं कि वनों से तो बहुत ही लाभ हैं। वनों से लकड़ी, लकड़ी से पानी, पानी से रोटी और रोटी से जीवन मिलता है। बाकी छोटे उद्योग और मध्यम उद्योगों के बारे में भी कोि ता की जा रही है कि लोगों को लोन देकर अधिक से अधिक काम बढ़ाया जाए। जहां तक ि िक्षा कस संबंध है ि िक्षा तो मुनश्य मात्र के लिए बहुत ही जरूरी हैं। हमारे प्रदे ता में नये नये स्कूल खोले गये। प्राइमरी से मिडल और मिडल से हाई स्कूल अपग्रेड किए गये ताकि सबके लिए ि िक्षा का उचित प्रबन्ध किया जा सके। ि िक्षा से ि िक्षित होकर मनुश्य वास्तव मे ंसही मनुश्य बनता है। ि िक्षा से उसको अपना जीवन सुधारने ओर प्रदे ता के बारे में सोचने की ि िक्षा मिलती है। पिछली बार बहनों की ि िक्षा का वि ेश तौर पर ध्यान रखा गया। क्योंकि प्रेम प्यार, दे ता को बनाना, बच्चों को पढ़ाने का काम उनके कन्धों पर ही है। परिवार को बनाने की जिम्मेदारी औरतों पर ही होती है। इस दृशिट से हमारी सरकार इधर भी ध्यान दे रही है। स्वास्थ्यय की दृशिट से स्कूलों में खेलों का कार्यक्रम रखा गया हैं। खेल द्वारा यह प्रयत्न है कि लोगों का भारीरिक, मानसिक आत्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य ठीक रहे और

लोग एक तरह से एक टीम की भांति अनुशासन में रह कर काम करना सीखें। एक टीम का जैसे कप्तान होता है, उसके नेतृत्व में सभी काम करते हैं उसी प्रकार ऐसा करने में हमें भी एक नेतृत्व में काम करने की शिक्षा मिलती है। पढ़ने लिखने के बाद शिक्षित होने पर ही हममें से कोई मास्टर बनता है, कोई डाक्टर बनता है और कोई मिनिस्टर या कमिश्नर बनता है। सभी कुछ न कुछ बनते हैं कम से कम माता पिता बनते हैं या पति पत्नी बनते हैं। अर्थात् जो मानवता है वह जीवन में पढ़ाई से आती है। प्रेम की बात, रहन सहन की बात और संयम की बात, जीवन में केवल पढ़ाई से ही आती है। अतः सरकार शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठिए। आप कल कंटिन्यू करेंगी। अब हाउस कल प्रातः 9.30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता है।

18.30 बजे

(तत्पश्चात् सदन मंगलवार, दिनांक 20-3-1984 को प्रातः 9.30 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)